Tuesday, 22 August, 1961

लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
14-5-...
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११—सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९—१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३—३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९—१९२९

स्थगन प्रस्ताव—

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९—३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०—३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१—३२

राज्य सभा से सन्देश . . . . १९३२—३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन—

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् . . . . १९३३—३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४—५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका . . . . १९५७—६८

अंक १२—मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९—९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४—२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६—७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में—

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८—७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९—८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २०८०—८१

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका .	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३

अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३ . . .	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२०० .	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना . . .	२२०८-०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९-१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण . .	२२१०-११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११-१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना . . .	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश . . .	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन . .	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन . . .	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि . . .	२२१६-१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका . . .	२२५१—५८

अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९०० .	२२५९—८१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२	२२८१--८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६ .	२२८७--२३४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना	२३५०-५१
सभा का कार्य .	२३५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५१-५२
इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य .	२३५२-५३
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव .	२३५३--६३
आय कर विधेयक--	
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	२३६३--८०
श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार	२३८०-८१
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन .	२३८१
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२३८१--८६
दैनिक संक्षेपिका .	२३८७--९५
अंक १५--शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५ . .	२३९७--२४२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९ . . .	२४२०--३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२ .	२४३९--२५०२
निधन संबंधी उल्लेख . . .	२५०३-०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२५०४-०५
उत्तर प्रदेश में बाढ़ .	२५०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५०५
सभा का कार्य	२५०६
श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में . .	२५०६,४०--४३
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२५०६-०७

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२—७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक २६४६--६६

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
खंड १३ से २९८ और अनुसूची १ से ५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . २६६६--७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३--८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५--९१

अंक १७--मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२९, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६९३--२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४--२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१--७५

स्थगन प्रस्ताव--

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दिया जाना २७७६--७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७--७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८--७९

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१--

पुरःस्थापित . . . २७७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २७८०--९४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७९४--२७२९

दैनिक संक्षेपिका . २८३०--३६

अंक १८--बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७--६१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६६ से १०६७ . .	२८६१--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २६११ .	२८७८--२६४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना	२६४१-४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२६४२-४३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अठास्सीवां प्रतिवेदन	२६४३
सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . .	२६४३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १६६१-६२ .	२६४३--४८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव .	२६४८--७३
बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव .	२६७३--६३
दैनिक संक्षेपिका	२६६४--३००३
अंक १६--गुरुवार, ३१ अगस्त, १६६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०६८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०६, १११२ और १११५ से १११७	३००५--२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०६६, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, ११११, १११३, १११४ और १११८ से ११२७	३०२६--३६
अतारांकित प्रश्न संख्या २६१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ .	३०३६--७६
अविश्वास का प्रस्ताव	३०७६--७८
पटल पर रखे गये पत्र . .	३०७८-७६
कुछ अंशों का निकाल दिया जाना	३०७६
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	
पच्चीसवां प्रतिवेदन	३०८०
विधेयक पुरस्थापित--	
(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक .	३०८०
(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक	३०८०

विषय | पृष्ठ

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . . ३०८०—९३

खंड २ से ४ और १ . . . . . . ३०९८

पारित करने का प्रस्ताव . . . . . ३०९८—३१०६

समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—

विचार करने के प्रस्ताव . . . ३०९४—९७

खंड १ और २ . . . . . ३०९७

पारित करने का प्रस्ताव ३०९८

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . . ३१०६–०७

प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ३१०६–०७

भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव ३१०७—१९

मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा ३११९—२२

दैनिक संक्षेपिका . . . . ३१२३—२९

अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७ . . . . ३१३१—५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७ . . . . . ३१५४—६०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९ . . . . . ३१६०—३२१७

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण ३२१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना . . ३२१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३२१८

सभा का कार्य ३२१९–२०

गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित . . . ३२२०

विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित . . . ३२२१

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३२२१—३४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अठ्ठासीवा प्रतिवेदन ३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३९
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिंहन् का)-- परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३९--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)-- विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1210 (Ai) LS—10-10-61—125.

लोक-सभा

मंगलवार, २२ अगस्त, १९६१

३१ श्रावण, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अन्तरिक्ष उड़ानों से प्राप्त जानकारी की उपलब्धि

+

†*७८३ { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस और अमरीका द्वारा की गई अन्तरिक्ष उड़ानों से प्राप्त महत्वपूर्ण जानकारी इन दो देशों की सरकारों ने विश्व के वैज्ञानिक समुदाय को उपलब्ध किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत वह प्राप्त कर सका है ;

(ग) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने जानकारी का विश्लेषण किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस विश्लेषण का ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ). ऐसी सामग्री के विश्लेषण में काफी समय लगता है । भारतीय वैज्ञानिकों ने उसका कुछ विश्लेषण शुरू किया है और आकाश में बहुत ऊंचे पर सुलभ घनत्व तथा तापमान के सम्बन्ध में कुछ बड़े महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले हैं ।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या उन वैज्ञानिकों ने उन देशों में जाकर उस सामग्री का स्वयं अध्ययन किया था ? यदि हां, तो कितने वैज्ञानिक किन-किन देशों में गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून कबिर :** जब भी इस प्रकार के कुछ सम्मेलन होते हैं और उनमें हमारे यहां के वैज्ञानिकों को आमंत्रित किया जाता है, हमारे वैज्ञानिक जाते हैं। मैं अभी इस समय उनकी ठीक-ठीक संख्या तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे बहुत से वैज्ञानिक अमरीका, सोवियत संघ और अन्य कई देशों में गये हैं।

†**श्री श्रीनारायण दास :** क्या इस सामग्री के विश्लेषण के लिये कोई विशेष संगठन या विभाग बनाया गया है? यदि हां, तो उस का क्या आकार है और उसमें कितने कर्मचारी काम करते हैं?

†**श्री हुमायून कबिर :** भारतीय भू-भौतिकीय वर्ष के लिये बने भारतीय राष्ट्रीय आयोग से ही कहा गया है कि वह अन्तरिक्ष स्थायी समिति बनने तक, अस्थायी तौर पर भारत की अन्तरिक्ष राष्ट्रीय समिति के रूप में काम करे। उसका संबंध 'कोस्पार'—अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से है। उसके सभापति डा० कृष्णन् थे, जिनकी हाल में मृत्यु हो गई है, और सचिव डा० ए० पी० मित्र हैं, जो १९५९ से अन्तर्राष्ट्रीय समिति के साथ भी कार्य कर रहे हैं।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या सोवियत संघ और अमरीका की सरकारों ने भौम वातावरण में मानवीय शरीर पर होने वाली मानसिक शारीरिक प्रतिक्रियाओं के सम्बन्ध में कोई सामग्री हमें जुटाई है; और यदि हां, तो क्या उसका विश्लेषण किया जा चुका है?

†**श्री हुमायून कबिर :** सोवियत संघ और अमरीका दोनों ही राकेटों और कृत्रिम उपग्रहों के कार्यक्रमों के फलस्वरूप प्राप्त वैज्ञानिक सामग्री संसार के वैज्ञानिकों के लिये सुलभ बना रहे हैं। यह सामग्री वैज्ञानिक सामग्री के केन्द्रों में भेजी जाती हैं और देशों में इसका आदान-प्रदान भी होता है। शरीरिक प्रतिक्रियाओं का वे स्वयं अभी अध्ययन ही कर रहे हैं और जब तक उनको उससे पूरा संतोष न हो जाये तब तक वे दूसरों को वह सामग्री कैसे दे सकते हैं?

†**श्री राधारमण :** क्या सोवियत संघ के मेजर तितोव द्वारा हाल में की गई अन्तरिक्ष-यात्रा के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना मिली है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†**श्री हुमायून कबिर :** मुझे मेजर तितोव द्वारा की गई यात्रा का ब्यौरा नहीं मालूम। मेरा ख्याल है कि अभी उसकी परीक्षा की जा रही है। वे किसी देश को ब्यौरा नहीं बताते। वे ऐसी सामग्री संसार की वैज्ञानिक संस्था—कोस्पार—को भेज देते हैं। उसके बाद यदि कोई देश उनसे मांगता है, तो वे अपनी शर्तों पर उसे भेजते हैं।

राजनैतिक प्रदर्शनों में छात्रों द्वारा भाग लिया जाना

†*७८४ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :** +
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **शिक्षा** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजनैतिक प्रदर्शनों में छात्रों को भाग लेने से रोकने के प्रश्न पर, यदि कोई निर्णय किया गया है, तो वह क्या है?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** इस विषय के सम्बन्ध में राज्य-सरकार से लिखा-पढ़ी की जानी वाली है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** पिछले प्रश्न के उत्तर में बताया गया है कि राजनीतिक दलों को इस पर राजी करने प्रयास किये जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई और क्या वे ऐसे प्रतिबन्ध लगाने के लिये सहमत हो गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** मंत्रालय ने इस मामले की परीक्षा की है। हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस मामले में कोई भी प्रतिबन्ध लगाना ग़लत होगा, क्योंकि शिक्षा के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण से हानि ही होगी। रचनात्मक दृष्टिकोण रखना कहीं अच्छा रहेगा। यह तो निश्चित है कि विद्यार्थियों का प्रदर्शनों में भाग लेना और बालकों का झंडे लिये घूमना अच्छा नहीं है। लेकिन उसे गैर कानूनी बनाने से ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि उसके बारे में एक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाये और बालकों को इसके लिये निरुत्साहित किया जाये।

कुछ माननीय सदस्य उठे

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने बच्चों को राजनीतिक दलों में शामिल होने देने से पहले एक बार सोच लें कि उनको मंत्री बनने की अवस्था से पहले उनमें जाने दिया जाये या नहीं। क्या उनकी ग्रहणशील अवस्था, उस कच्ची अवस्था में उनको बिगाड़ देना ठीक होगा ? माननीय मंत्री से ऐसे प्रश्न पूछने से पहले उनको स्वयं विचार कर लेना चाहिये। माननीय मंत्री तो सभी के लिये निर्णय करते हैं। परन्तु सब को व्यक्तिगत तौर पर भी सोच लेना चाहिये।

†**श्री वाजपेयी :** विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों के बारे में क्या है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी, हां।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** माननीय मंत्री ने कहा है कि वह राजनीतिक दलों को इस पर राजी करने की कोशिश कर रहे हैं कि बालकों को राजनीतिक काम में इस्तेमाल न किया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सम्बन्धों के बारे में पूछा जा रहा है। यह तो प्रत्येक सदस्य महसूस करेगा कि बालकों को कच्ची उमर में राजनीति में नहीं डालना चाहिये। मैं जब भी किसी मंच पर खड़ा होता हूं, क्या यही सलाह सबको दे सकता हूं ? कालेज के प्रिंसिपल को इसकी और अधिक चिन्ता होनी चाहिये। व्यक्तिगत तौर पर मैं तो यही चाहूंगा कि कोई भी बालक राजनीति में न पड़े (**अन्तर्बाधायें**) अगला प्रश्न :

†**श्री त्यागी :** कई अन्य मसले भी हैं। साम्प्रदायिक किस्म के संगठनों में भाग लेने के बारे में क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या उनको राष्ट्रीय एकता के कार्य में हाथ नहीं बंटाना चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वह राजनीति नहीं है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** वह राजनीतिक है।

†**श्री वाजपेयी :** 'राजनीतिक प्रदर्शन' शब्द की परिभाषा की जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं राजनीतिक एकीकरण के बारे में सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दूंगा। वे तब योजना सम्बन्धी वाद-विवाद के दौरान बच्चों से सम्बन्धित भावात्मक एकीकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे। वे तय कर सकते हैं कि बच्चों के लिये एक नया

---

†मूल अंग्रेजी में

मन्त्रालय स्थापित किया जाये । और यह भी क्या बच्चों को राजनीति में पड़ना चाहिये । अगला प्रश्न ।

†**श्री त्यागी :** मैंने एक प्रश्न पूछा है । माननीय मन्त्री उसका उत्तर देने जा रहे थे ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** साम्प्रदायिक हो या राजनीतिक, जिस भी प्रकार की कार्यवाही हो, उनके प्रदर्शनों में बच्चों को शामिल करना ठीक नहीं है । आपने ठीक कहा है कि वह सभी राजनीतिक नेताओं का ही दायित्व है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे आशा है कि सभी अभिभावक और राजनीतिक दल इसका ध्यान रखेंगे कि इन बालकों को इसमें न घसीटा जाये । २१ वर्ष की अवस्था तक उन्हें रुकना चाहिये, उसके बाद तो वे प्रधान मन्त्री तक बन सकते हैं ।

†**श्री त्यागी :** और अध्यापक ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

तेल शोधक कारखानों के लागत प्राक्कलन

+
†*७८५. { **श्री आचार :** / **श्री रामकृष्ण गुप्त :** / **श्री मुरारका :** }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नूनमती और बरौनी तेल शोधक कारखानों के लागत प्राक्कलन इस बीच अंतिम रूप से तैयार किये जा चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जी; हां, केवल नूनमती परिष्करिणी के लिये ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या १]**

†**श्री आचार :** विवरण से पता चलता है कि कुल अपेक्षित राशि १७ करोड़ रुपये से कुछ अधिक है । उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी और क्या उसकी व्यवस्था की जा चुकी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमारे लिये यह परिष्करिणी रूमानिया यहां बना रहा है और रूमानिया से मिलने वाले ऋण से ही इसके लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था की गई है । संयंत्र और उपकरण और कुछ विविध कार्यों और विदेशियों के दिये जाने वाले वेतन, इत्यादि के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं अभी यह निर्णय नहीं कर सका हूं कि अलग अलग हर उद्योग के लिये विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति दूं या नहीं । आप उद्योग चाहते हैं, या नहीं? यदि आप चाहते हैं कि देश में उद्योग खड़े हों, तो विदेशी मुद्रा के अभाव की अड़चन आपको रोक नहीं

†मूल अंग्रेजी में

सकती । और यदि आप नहीं चाहते तो उसकी अनुमति ही मत दीजिये । विदेशी मुद्रा तो उसका एक साधन है । यदि मैं अपने घर जाना चाहूं तो अन्य कोई साधन न मिलने पर, पैदल ही चल सकता हूं । यहां पूछे जाने वाले प्रत्येक प्रश्न से सभा को उद्योग के पक्ष या विपक्ष के सम्बन्ध में कुछ नयी जानकारी मिलनी चाहिये । यदि उद्योग अपने आप में ठीक है तो मनचाही विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो सकती है ।

†**श्री आचार :** इसका यह मतलब नहीं कि चाहते नहीं, हम तो जानना चाहते हैं....

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं । कठिनाई यह है कि मैं ऐसे प्रश्नों की अनुमति दूं या नहीं । क्या मैं हर रोज इस प्रकार के प्रश्न प्रत्येक उद्योग के बारे में पूछने की अनुमति देता रहूं कि कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है, जैसे कि माननीय सदस्य स्वयं ही उतनी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था कर देंगे । उसकी व्यवस्था तो सरकार को करनी पड़ती है । मैं साधारणतया ऐसे प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा, हां गम्भीर परिस्थिति होने पर ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं ।

कुछ माननीय सदस्य : उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** अब तक मैंने अपने दिमाग में समझ लिया है कि कौन सदस्य किस विषय के विशेषज्ञ हैं । मैं उनको अवसर दूंगा । श्री हेम बरुआ ।

†**श्री हेम बरूआ :** रूमानियाई विशेषज्ञों मे नूनमती परिष्करिणी के मूल प्राक्कलनों को अस्वीकृत कर दिया था । क्या ये नये प्राक्कलन रूमानियाई विशेषज्ञों को मान्य हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** अन्तिम तौर पर जो प्राक्कलन तैयार किये गये हैं, वे सबसे पहले के उन प्राक्कलनों से मिलते-जुलते हुये नहीं हैं, जो भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने बहुत पहले रूमानिया के अपने दौरे के समय तैयार किये थे । उस प्रतिनिधिमण्डल ने परिष्कारिणी के निर्माण के बहुत से उन पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा था जो आसाम में उनके सामने आते थे, जैसे कि परिवहन और निर्माण का व्यय, भूमि की लागत और जल का प्रबन्ध, इत्यादि । अब उन सभी को ध्यान में रखते हुए अन्तिम प्राक्कलन २० करोड़ से घटा कर १७ करोड़ रुपये तक कर दिये गये हैं । हमारा ख्याल है कि इस परियोजना पर १७ करोड़ रुपये तक व्यय होंगे ।

†**श्री आचार:** इस संयंत्र को लगाने में कितना समय लगेगा और परिष्कारिणी कब तक उत्पादन शुरू कर सकेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** अब वह लगभग तैयार है । परिष्कारिणी दिसम्बर तक उत्पादन शुरू कर देगी । हम कुछ ही महीनों बाद आजमाइश के तौर पर उत्पादन शुरू कर देंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय :** दिसम्बर में ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां । हम पहली जनवरी को उसके उद्घाटन की बात सोच रहे हैं ?

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या प्राक्कलन में वृद्धि के साथ ही साथ लक्ष्य में भी वृद्धि की गई है ?

†**श्री के० दे०मालवीय :** उत्पादन का लक्ष्य वही है जो पहले था : ७.५ लाख टन । उस समय प्राक्कलन तैयार करते समय कई पहलुओं को ध्यान में नहीं रखा गया था, अब उनको सम्मिलित कर लिया गया है, और इसी आधार पर उनका पुनरीक्षण किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** विविध सहायक कार्यों की मद के लिये एक करोड़ रुपये से कुछ अधिक राशि की व्यवस्था की गई है। वे कौन से सहायक कार्य हैं? माननीय मन्त्री ने अभी कहा है कि परीक्षण के तौर पर उत्पादन शुरू होने वाला है। पाइप की लाइन कब तक पूरी हो सकेगी?

†**श्री के० दे० मालवीय :** पाइप लाइन डालने का काम एक अलग संस्था—'आयल इण्डिया लिमिटेड'—कर रही है। पाइप लाइन नूनमती के काफी पास तक पहुंचा दी गई है। ठीक ठीक तो नहीं कह सकता; लेकिन हां, २०–२५ मील का काम और बाकी है। घोर वर्षा के कारण, पाइप लाइन डालने का कार्यक्रम दिसम्बर या नवम्बर से पहले पूरा नहीं किया जा सकेगा। उसके बदले हम कुछ और प्रबन्ध कर रहे है। जहां तक पाइप लाइन पहुंच चुकी है, उससे आगे तेल के परिवहन की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि फरवरी तक पाइप लाइन डालने का काम पूरा हो चुकेगा।

†**श्री हेम बरूआ :** क्या यह सच है कि नूनमती परिष्कारिणी अपने प्रारम्भिक तीन वर्षों में घाटे पर चलाई जायेगी और क्या उस घाटे की भी गणना कर ली गई है? ऐसा समाचार है कि पहले तीन वर्ष तक की परिष्कारिणो को कोई आर्थिक लाभ नहीं हो सकेगा। इसीलिये मैं यह पूछ रहा हूं कि क्या उसकी गणना की जा चुकी है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैंने तो ऐसा कोई प्राक्कलन या कोई भविष्यवाणी नही देखी कि परिष्कारिणी को प्रारम्भिक तीन वर्षों में कोई लाभ नहीं होगा। हो सकता है कि शुरू में लाभ बहुत कम हो और बाद में बहुत बढ़ जाये। मैं तो नहीं समझता कि परिष्कारिणी, विशेषकर नूनमत परिष्कारिणी को कोई लाभ नहीं होगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या रेलवे के साथ पक्की तौर पर तय कर लिया गया है और पूरा प्रबन्ध कर लिया गया है तेल के परिवहन के लिये; जिससे कि कोयले की भांति तेल के परिवहन में गतिरोध पैदा न हो?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यथासम्भव यही प्रयास किया गया है। बिना साफ किये हुए तेल के सम्भरण में कोई रुकावट नहीं होगी क्योंकि दूसरा प्रबन्ध भी मौजूद है। पाइप लाइन फरवरी में कमी तैयार हो जायेगी। उससे पहले हम परिष्कारिणी को बिना साफ किया हुआ तेल पहुंचाते रहेंगे।

†**श्री प्र० चं० बरूआ :** क्या नूनमती परिष्करिणी के तैयार उत्पादनों के परिवहन के लिये एक दूसरी उत्पादन पाइप लाइन भी डालो जायेगी?

†**श्री के० दे० मालवीय :** उस योजना की अभी परीक्षा की जा रही है।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री हेमराज।

†**श्री हेम राज :** प्रश्न संख्या ७८६।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** इसके साथ प्रश्न संख्या ७९८ को भी ले लिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय मंत्री उसका उत्तर देने के लिये तैयार हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल की खोज

+

†*७८६ { श्री हेम राज :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री सुब्बय्या अम्बलम :
श्री श्रीनारायणन कुट्टि मेनन :
श्री पुन्नूस :
श्री दामानी :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री मुरारका :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री ५ अप्रैल १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे देश में तेल की खोज करने और तेल निकालने के संबंध में विदेशी हितों के साथ बातचीत के विषय में आगे और क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : बर्मा आयल कम्पनी के साथ हुई बात के फलस्वरूप, २६ जुलाई, १९६१ को एक और अनुपूरक करार पर हस्ताक्षर किये गये थे, जिसके द्वारा वर्तमान आयल इंडिया लिमिटेड के साथ हुए करार में रूप भेद किया गया है। अन्य विदेशी समवायों के साथ वार्ता चल रही है ।

तेल की खोज

+

†*७९८ { श्री प्र० च० बरूआ :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री बहादुर सिंह :
श्री नक राम नेगी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार और एक अमरीकी तेल कम्पनी, एस्सो स्टैन्डर्ड के बीच भारत में तेल की खोज के बारे में अभी हाल में जो बातचीत चल रही थी क्या उसके परिणामस्वरूप दोनों के बीच कोई करार इस बीच हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस करार की शर्तें क्या है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस करार के अधीन खोज की क्या योजना बनायी गयी है ?

†**खान और तल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्रीहेम राज** : किन विदेशी समवायों के साथ वार्ता चल रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अमरीकन कम्पनी और इ० एन० आई० के साथ वार्ता चल रही हैं और 'शैल' द्वारा रखे गये प्रस्तावों की परीक्षा की जा रही है ।

†**श्री हेमराज** : फ्रांस, इटली और अमरीका जैसे देशों के साथ भारत में तेल की खोज के संबंध में वार्ता चल रही है। क्या सरकार इन देशों के साथ भी उसी तरह के करार करने का सोच रही है, जैसा कि बर्मा आयल कम्पनी के साथ किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, नहीं। इन समवायों के साथ दूसरे आधार पर वार्ता चल रही है। उनका आधार उन देशों द्वारा रखे गये प्रस्ताव हैं, जिनको हम अपनी नीति के दायरे में रह कर उसी के अनुसार स्वीकार करेंगे। वे सभी करार एक दूसरे से भिन्न रहेंगे।

†**श्री विश्वनाथ राय** : बर्मा आयल कम्पनी किस क्षेत्र में कार्य करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : बर्मा आयल कम्पनी के साथ आसाम और उसके समीपवर्ती उन क्षेत्रों के लिये करार किया गया है जिनका यहां कम्पनी के नाम मौजूद हैं। करार आसाम से बाहर के क्षेत्रों के लिये नहीं है ।

अजीत सिंह सरहदी : क्या ये वार्तायें सहयोग के आधार पर करार करने के लिये हैं, या अनुज्ञप्तियों के आधार पर ? वार्ताओं का आधार क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** । सहयोग या केवल प्राविधिक जानकारी जुटाने के लिये ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : पश्चिमी देशों के कुछ समवाय हमारे यहां पट्टे लेने के इच्छुक हैं। कुछ समवाय साझेदारी चाहते हैं। इटली और फ्रांस के कुछ समवायों ने तेल की खोज के लिये ऋण और प्राविधिक सहायता देने का प्रस्ताव रखा है।

†**श्री दामानी** : जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज शुरू हुई या नहीं, और यदि नहीं तो कब शुरू होने की संभावना है ? उसका अनुमानित व्यय कितना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज का काम शुरू कर दिया है। इधर हाल में उसकी प्रगति कुछ मन्द पड़ गयी है। हमने अभी कुछ दिन पहले 'फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट' के साथ करार किया है। वह जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज के काम में हमारी सहायता करेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या 'एस्सो' (ई० एस० ए० ओ०) के साथ इसके संबंध में वार्ता चलाई गई है, और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी, हां। मैं ने प्रश्न संख्या ७९८ के उत्तर में बताया है कि वार्ता हुई थी, लेकिन अभाग्यवश उन्होंने बात तोड़ दी और कोई करार नहीं हो सका।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या ज्वलामुखी क्षेत्र में कोई विदेशी समवाय काम करने के लिये तैयार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं ।

†**श्री वुमानी :** मेरा प्रश्न यह था कि जैसलमेर क्षेत्र में तेल की खोज का कार्य कब आरम्भ होगा और क्या उसके अनुमित व्यय का अनुमान लगा लिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** खोज के कार्य के अन्तर्गत कई चीजें आजाती हैं । मैं ने बताया है कि कार्य शुरू कर दिया गया है । उस क्षेत्र में एक फ्रेंच इन्स्टीटयूट के सहयोग से खनन और शेष खोज कार्य आरम्भ किया जायेगा । अभी अनुमान है कि खोज कार्य में ही कुल मिला कर ३ से ४ करोड़ रुपये तक व्यय हो जायेंगे ।

श्री तंगामणि : क्या सरकार ऐस्सो स्टैण्डर्डस जैसी इन विदेशी तेल समवायों के प्राविधिक ज्ञान का उपयोग करेगी अथवा वह इन समवायों को पट्टे पर भूमि देगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं कह चुका हूं कि ऐस्सो स्टैण्डर्डस के साथ बातचीत टूट गयी है; अब ऐस्सो स्टैण्डडस के साथ बातचीत करने का कोई प्रश्न नहीं है । उस क्षेत्र के लिये फ्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीटयूट एक सरकारी निकाय जैसलमेर क्षेत्र में कार्य करने में हमें सहायता देने को राजी हो गयी है ।

†**श्री हेम बरूआ :** हम इन विदेशी समवायों के साथ बातचीत कब करेंगे । क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग भी वास्तविक समन्वेषण के कार्य में उनके साथ सहयोग कर रहा है, अथवा ये विदेशी समवाय स्वयं समन्वेषण कार्य करेंगी जैसा कि स्टैनवैक ने पश्चिम बंगाल में किया था ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हम माननीय सदस्य के प्रथम सुझाव को अच्छा समझते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह सच है कि तेल मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र में इटली की फर्म के साथ कोई करार किया था परन्तु बाद में यह वित्त मंत्री ने रद्द कर दिया ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह बिल्कुल सत्य नहीं है ।

†**श्री हेम बरूआ :** इस बारे में कुछ समाचार थें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह इससे इन्कार करते हैं । उनका कहना है कि यह गलत है ।

लुब्रिकेटिंग तेल का आयात

+

†*७८७ { **श्री राम कृष्ण गुप्त :** / **श्री नेक राम नेगी :** }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १५,००० टन लुब्रिकेटिंग तेल की सप्लाई के लिये राज्य की तेल कम्पनी ार यूगोस्लाविया के बीच कोई करार किया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: इस मामले पर अभी बातचीत की जा रही है ।

राम कृष्ण गुप्त : यूगोस्लाविया की सरकार से क्या प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यूगोस्लाविया के वाणिज्यिक संगठनों से लुब्रिकेटिंग तेल का संभरण करने के लिये वर्ष १६६१ की व्यापार योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव किये गये हैं जिसका भुगतान गैर-परिवर्तनीय रुपये में किया जायेगा । लुब्रिकेटिंग तेल की जो मात्रा बतायी गयी है उसका मूल्य ५० लाख रुपये है ।

†**श्री कासलीवाल** : हमारे देश में लुब्रिकेटिंग तेल की कितनी मात्रा की कमी है और इस मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : दिगबोई तेल परिष्करनी द्वारा थोड़ी मात्रा में तैयार किये जा रहे तेल के अतिरिक्त हम अभी लुब्रिकेटिंग तेल की कोई मात्रा का उत्पादन नहीं कर रहे हैं । लुब्रिकेटिंग तेल के आयात पर ग्रस्त कुल रकम १३ करोड़ रुपये है । अब हम सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में लुब्रिकेटिंग तेल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और मुझे आशा है कि ततीय पंचवर्षीय योजना काल में हम पर्याप्त मात्रा में उसका उत्पादन करना आरम्भ कर देंगे ।

मोहिन्दरगढ़ में लौह अयस्क

+

†*७८८ { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री नेंक राम नेगी :

क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री २६ अप्रैल, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में मोहिन्दरगढ़ जिले में लौह अयस्क के निक्षेपों की उपयुक्तता के बारे में राष्ट्रीय धतुकर्मिक प्रयोगशाला में जाच पड़ताल की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ;

(ग) मोहिन्दरगढ़ जिले में कायम की जाने वाली 'लो शैफ्ट' भट्टी में लौह अयस्क के उपयोग के लिए पंजाब सरकार से या गैर-सरकारी पार्टी से प्राप्त प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या उसकी जांच की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान और इंधन** मंत्री **(सरदार स्वर्ण सिंह)** : : (क) और (ख). अभी राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला ने, जो मोहिन्दरगढ़ के लौह-अयस्क को गलाने के प्रयोग कर रहे हैं, अपना काम पूरा नहीं किया है ।

(ग) से (ङ). मोहिन्दर गढ़ जिले में 'लो शैफ्ट' भट्टी की स्थापना के लिये पंजाब सरकार से कोई प्रस्थापना नहीं मिली है । नारनौल, मोहिन्दरगढ़ जिले में एक कच्चे लोहे का संयंत्र लगाने के लिय

†मूल अंग्रेजी में

लाइसेंस देने के लिये एक गैर-सरकारी पक्ष से एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। यह आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या इस क्षेत्र में लौह अयस्क निक्षेपों की मात्रा का पूर्ण रूपेण मूल्यांकन कर लिया गया है और यदि नहीं, तो क्या और सवक्षण किया जायेगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : कुछ मूल्यांकन किया गया है और वर्तमान प्राक्कलनों के अनुसार, निक्षेप अधिक नहीं है; वे लगभग २० लाख टन हैं।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह क्षेत्र कम विकसित और पिछड़ा हुआ है, क्या सरकारी क्षेत्र में कोई भट्टी स्थापित करने की कोई प्रस्थापना है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमें कम विकसित क्षेत्रों के साथ पूरी सहानुभूति है, एक भट्टी केवल उसी स्थान पर लगाई जा सकती है जहां आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध हो और यह प्रस्ताव लाभप्रद हो।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस अयस्क में ६० प्रतिशत से अधिक लोहा है अथवा यह निम्न श्रेणी का है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ७० से ६५ प्रतिशत तक है परन्तु दुर्भाग्य से इस में फ़ासफोरस भी अधिक है।

पीपुल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को

+
†*७८९ {
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेक राम नेगी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री खुशवक्त राय :
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री सूपकार :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीपुल्स फ्रेन्डशिप यूनिवर्सिटी, मास्को, के लिए छात्रों का अंतिम चुनाव इस बीच कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह चुनाव किस प्रकार किया गया है; और

(ग) कितने छात्र चुने गये हैं, उनका व्यौरा क्या है और किन किन विषयों के लिए वे चुने गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां

(ख) वही प्रक्रिया अपनाई गयी जो अन्य विदेशी छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में अपनाई गयी थी।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २।]**

†**श्री स० चं० सामन्त** : विवरण से पता चलता है कि केवल ३० विद्यार्थी चुने गये हैं। क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित विज्ञापन में विद्यार्थियों की संख्या बताई गयी थी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हमें ३० स्थान दिये गये थे और वे हमने स्वीकार कर लिये। मुझे इस बात का पता नहीं है और मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि यह बात विज्ञापन में दी गयी थी या नहीं।

†**श्री स० चं० सामन्त** : चयन समिति के समक्ष कितने आवेदन-कर्ता आये और चयन समिति के सदस्य कौन कौन थे ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : साक्षात्कार के लिये ११७ अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। समिति का गठन निम्न प्रकार था : प्रोफेसर ठक्कर अध्यक्ष थे; अन्य सदस्य ये थे : रूसी दूतावास का एक प्रतिनिधि, वैदेशिक-कार्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के निदेशक, दिल्ली पालीटेक्नीक के प्रिन्सिपल, भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था में एक औषधियों के प्रोफेसर और अमृतसर मेडिकल कालिज के भूतपूर्व प्रिन्सिपल और सचिव के रूप में मंत्रालय का एक पदाधिकारी।

†**श्री च० द० पांडे** : इन विद्यार्थियों को प्रविधिक शिक्षा के लिये चुना गया है अथवा सामाजिक और आदर्श प्रशिक्षण के लिये ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : विज्ञापन में यह स्पष्ट नहीं था और यदि माननीय सदस्य ने विवरण देखा होता तो उन्हें पता चलता कि हमने केवल कृषि, इंजीनियरिंग और मेडिसिन के लिये ही विद्यार्थी चुने हैं।

†**श्री कुन्हन** : क्या इन छात्रवत्तियों के लिये अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये कोई आरक्षण किया गया है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : विदेशी छात्रवृत्तियों के लिये हम ऐसा कोई आरक्षण नहीं करते परन्तु अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये पृथक छात्रवृत्तियां हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या यह सच है कि पीपुल्स फ्रेन्डशिप यूनिवर्सिटी, मास्को भारतीय विद्यार्थियों का पीपुल्स फ्रेन्डशिप विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने के दौरान का सभी खर्च वहन करेगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : पूर्ण छात्रवृत्ति का यही मतलब है।

†**श्री तंगामणि** : समाचारपत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि ये पाठ्यक्रम १ अक्तूबर, १९६० से आरम्भ हो गये हैं। क्या उस पाठ्यक्रम के लिये इन तीस विद्यार्थियों को वहां

†मूल अंग्रेजी में

समय पर भेज दिया गया था अथवा वे बाद में भेजे गये हैं और यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : वे अभी नहीं गये है । वे इस वर्ष २५ अगस्त तक जायेंगे और पाठ्यक्रम में शामिल होंगे । परन्तु मैं नहीं समझता कि उन्हें कोई हानि हुई है । मैंने विश्वविद्यालय का दौरा किया है । उपर्युक्त पाठ्यक्रम केवल इस वर्ष आरम्भ होगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : पाठ्यक्रम की अवधि कितनी है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : अवधि सामान्यतः चार वर्ष है परन्तु मेडिकल पाठ्यक्रम की अवधि पांच वर्ष है ।

जासूसी के मामले

+

†*७६०. { **श्री हेम बरुआ :**
श्री विद्या चरण शुक्ल : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १७ फरवरी, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जासूसी की गतिविधियों के सम्बन्ध में गिरफ्तार व्यक्तियों के मामले निपटा दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो जो लोग अपराधी पाये गये हैं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) तीन मामलों में निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत पांच व्यक्ति नजरबन्द किये गये । तथापि, एक व्यक्ति की नजरबन्दी पर मंत्रणा समिति ने स्वीकृति नहीं दी और उसको २२ मई, १६६१ को रिहा कर दिया गया ।

एक मामला न्याय-निर्णयाधीन है जिसमें तीन व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस जासूसी के मामले के सम्बन्ध में एक पूर्व अवसर पर प्रधान मंत्री महोदय ने यह बताया था कि इस देश में जासूसी के मामले में छः सात देशों का हाथ है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन छः अथवा सात देशों से सम्पर्क स्थापित किया गया और उनको यहां जासूसी करने के विरुद्ध चेतावनी दी गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : जो कुछ मैंने कहा था वह यह था कि समय समय पर सभी एक समय नहीं, हमें यहां पर कई विदेशी मिशनों द्वारा ऐसी कार्यावाहियां करने के बारे में पता चला है । स्पष्टतः जब कभी ऐसा हुआ है, हम ने उनके साथ मामला उठाया है; बाज दफ़ा सम्बन्धित व्यक्ति जुनियर लोग थे और उनको भारत से वापस बुला लिया गया । सामान्यतः ये मामले कुछ बहुत अधिक महत्व के नहीं थे; बाजदफ़ा यह मामला अदालत में भी पेश किया गया ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या जासूसी के इस मामले को उन एक या दो विदेशों के साथ उठाया गया था जो इस मामले में ग्रस्त थे और यदि हां, तो हमारे विरोध पर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई है अथवा उन्होंने क्या उत्तर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**अध्यक्ष महोदय** : वह अभी इसका उत्तर दे चुके हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : मैं उन दो देशों का जिक्र कर रहा हूं जिनका इस विशेष जासूसी में हाथ है। संख्या एक या दो हो सकती है। समाचारपत्रों में दो कहा गया था। वह चाहे कुछ भी हो, मेरा प्रश्न यह है कि क्या इन दो देशों को, जिनके पदाधिकारी इस देश में जासूसी करने में शामिल हैं, उचित रूप से चेतावनी दे दी गयी है और विरोध प्रगट किया गया है ? यदि हां, तो उनकी प्रतिक्रिया अथवा उत्तर क्या है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिन व्यक्तियों के विरुद्ध हम ने विरोध किया, उनको वापस बुला लिया गया, यह केवल चेतावनी देने का ही प्रश्न नहीं था; चेतावनी का असर हुआ और इस बारे में कार्यवाही की गयी।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पूर्व अवसर पर यह कहा गया था कि जासूसी के काम में एक फर्म का हाथ है। क्या उस फर्म का सदर मुकाम यहां है ? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह विदेशी फर्म है ?

†**श्री हेम बरुआ** : एक फर्म का जिक्र किया गया था। मुझे पता नहीं है कि यह विदेशी है या भारतीय। परन्तु मेरा अनुमान यह है कि यह विदेशी फर्म होगी। चाहे जो हो, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जासूसी करने के लिये इस फर्म के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : दूतावासों के पदाधिकारियों के अतिरिक्त, क्या उस फर्म के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी जिसका इस मामले में हाथ बताया जाता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मुझे इस प्रश्न के बारे में कुछ पता नहीं है। मैं इसको समझ ही नहीं सका हूं।

†**श्री दातार** : मेरे पास इस बारे में जानकारी नहीं है। पकड़े जाने और नजरबन्द किये जाने के बारे में जानकारी है।

†**श्री हेम बरुआ** : एक पूर्व अवसर पर सभा में यह कहा गया था और उसके बाद कोई जानकारी नहीं मिली। इसीलिये मैं जानना चाहता हूं कि उस फर्म का क्या हुआ ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने स्वर्गीय गृह-मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को पढ़ा है और उसमें उन्होंने किसी विदेशी फर्म का जिक्र नहीं किया। (**अन्तर्बाधा**) उनका उत्तर मेरे पास है।

†**श्री बाजपेयी** : जो लोग नजरबन्द किये गये हैं क्या उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही की जावेगी ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : इस समय उनको एक वर्ष के लिये नजरबन्द किया गया है। उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

†**श्री नाथ पाई** : उन्होंने प्रश्न का उत्तर अंशतः दिया है। सामान्यतः जासूसी के लिये भारी दण्ड दिया जाता है। यदि सरकार के पास पर्याप्त साक्ष्य हों, तो इन लोगों के साथ इतनी

†मूल अंग्रेजी में

नर्मी का व्यवहार क्यों किया जा रहा है जैसे कि ये हमारे अतिथि हों ? उनको निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत लाने की बजाय, उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की जाती और उनको कठोर दण्ड क्यों नहीं दिया जाता ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि हमारी अदालतों में दोष-सिद्धि करवाना सदैव आसान काम नहीं है चाहे हमें व्यक्ति के अपराध का पता हो और विशेषत: ऐसे मामलों में जिन में औपचारिक साक्ष्य अक्सर नहीं होते ।

†श्री नाथ पाई: मैं इस से पूर्णत: सहमत हूं कि उन को दोष-सिद्धि कराना बहुत कठिन है । उस मामले में क्या यह सम्भव नहीं है कि वे लोग बाद में यह कहें कि उन्हें यों ही पकड़ा गया और तंग किया गया ?

†अध्यक्ष महोदय : यह तर्क है ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं नहीं कह सकता क्योंकि वहां एक मंत्रणा बोर्ड है और उन को अपील करने का और अभ्यावेदन का अधिकार है । अत: जब उन की बात सुनने के बाद मंत्रणा बोर्ड यह निर्णय देता है कि निरोध उचित है तो वे उस के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकते ।

†श्री बाजपेयी : क्या यह सच नहीं है कि साक्ष्य कम है क्योंकि विदेशी मिशनों में काम करने वाले विदेशियों को, जिन का इन मामलों में हाथ था, देश से बाहर जाने दिया गया ?

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : मैं ऐसा नहीं समझता । माननीय सदस्य को भी यह महसूस करना चाहिये कि बाज दफा हमें बड़ी जल्दी कार्यवाही करनी पड़ती है और उस शीघ्र कार्यवाही के लिये यह आवश्यक है कि निवारक निरोध अधिनियम का प्रयोग किया जाये ।

†श्री हेम बरुआ : क्या मैं वर्तमान गृह मंत्री महोदय का ध्यान स्वर्गीय पन्त जी द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट कर सकता हूं कि इन जासूसी के कार्यों में ग्रस्त विदेशियों को देश से बाहर जाने दिया गया; वे यहां नहीं थे और इसीलिये साक्ष्य में कमी है ? इस का निरोध और दण्ड पर असर पड़ता है ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री: मुझे वह देखना पड़ेगा कि स्वर्गीय गृह मंत्री ने क्या कहा था । मेरे पास उन का पिछला उत्तर जो उन्होंने इस अवसर पर दिया था । उस उत्तर में ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी ।

†श्री हेम बरुआ : एक अवसर पर प्रधान मंत्री जी ने यह बात कही थी; दूसरे अवसर पर स्वर्गीय गृह मंत्री ने कहा था । अत: मैं वर्तमान गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वे दोनों उत्तर देखें और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचें ।

जन्म-मरण आदि के आंकड़े इकट्ठा करना

†*७६२. श्री नाथ पाई : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में विस्थापित व्यक्तियों के बाहर चले जाने तथा नये नगरीय क्षेत्रों में लोगों के अधिकाधिक आगमन के कारण जन्म-मरण आदि के आंकड़े इकट्ठे करने का काम असंभव हो गया है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो भारत में सरकार द्वारा चालू किये गये विभिन्न जन्म-मरण संबंधी अनुसंधान केन्द्रों के काम का समन्वय करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) और (ख). जी, नहीं । जनगणना की सभी जानकारी नये नगरीय क्षेत्रों समेत देश के सभी भागों में बिल्कुल संतोषजनक ढंग से एकत्र की गई है, तथापि, सरकार से वित्तीय सहायता से स्थापित किये गये जातीय प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र के कार्य का समेकन करने के लिये एक जातीय मंत्रणा समिति बनाई गई है ।

भूतपूर्व राजाओं के महलों को खरीदना

*७६३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूतपूर्व राजाओं के महलों को खरीदना चाहती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इन महलों को खरीदने और उन के रख-रखाव के लिये एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया जायेगा ;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय में राज्य सरकारों से भी राय ली है ; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ भूतपूर्व राजाओं ने अपने महल मुफ्त में या बराये नाम दामों पर दे दिये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने कुछ राजाओं के महल, जो सार्वजनिक काम के लिये चाहियें थे, खरीदे हैं ।

(ख) एक राष्ट्रीय न्यास बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था, किन्तु व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई ।

(ग) जी हां ।

(घ) जी नहीं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि अभी तक कितने राजाओं के महल खरीदे गये हैं और उन के लिये कितनी धन-राशि व्यय की गई है तथा कितने राजाओं के महल खरीदने का प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन है ?

श्री दातार : मेरे पास इस का विवरण नहीं है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि राष्ट्रीय न्यास स्थापित करने के सम्बन्ध में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वे कौन सी कठिनाइयां हैं, जिन के कारण यह विचार स्थगित किया गया ।

†**गृहकार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** ये महल एक जगह नहीं, अनेक जगहों पर, अनेक सूबों में और अनेक राजाओं के हैं । हम ने स्टेट गवर्नमेंट्स को इस के बारे में लिखा था कि वे उन लोगों से दाम के बारे में बात-चीत करें । देखा यह गया कि जितनी बात-चीत होती है, उतने ही दाम बढ़ते चले जाते हैं । गवर्नमेंट को इस सिलसिले में यह देखना पड़ता है कि मकान की हालत कैसी है । अगर हम उस को ले लें और उस के इन्तजाम और मेनटेनेन्स में काफ़ी खर्च हो जाय, तो उस को लेना बेकार

†मूल अंग्रेज़ी में

है। इन सब बातों को स्टेट गवर्नमेंट्स ने देखा है और अभी तक यह राय नहीं हुई है कि हम उन महलों को लें। इसलिये नेशनल ट्रस्ट बनाने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय प्रधान मंत्री और माननीय गृह मंत्री ने इस सुझाव पर विचार किया है कि राजाओं-महाराजाओं से अपील की जाये कि वे उन महलों को निःशुल्क जनता की सेवा के लिये दें ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : जी हां, अपील तो नहीं, उन से वैसे कहा गया कि किसी तरह वे बगैर कीमत के दे दें, लेकिन अभी तक किसी ने हां नहीं की है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं कुछ अर्ज कर दूं ? बात यह है कि अक्सर वे ऐसे घर हैं कि अगर वे मुफ्त भी दें, तो भी हम माफ़ी चाहेंगे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि वे हमारे किसी काम के नहीं हैं और हम पर बोझा हो जाता है। अक्सर निकम्मे मकान हैं, जो गिरने वाले हैं और उनकी मरम्मत कराने में लाखों रुपये खर्च होंगे। इसलिये उन को लेना मुनासिब नहीं समझा जाता है, जब तक कि माकूल चीज न हो।

श्री काशीराम (?) : क्या यह सही नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऐसे काफ़ी महल कई जगह खरीदे हैं ?

श्री लाल बहादुर शास्त्री : वह तो सही है। जहां कोई मिलता है, उस को सोच-समझ कर खरीदा है और उस को काम में भी ला रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार ने कई महल खरीदे हैं। क्या उन के पास इस का ब्यौरा है कि उन्होंने इस पर कितनी रकम दी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** कुल रकम ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** खरीद की कूल रकम।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** हमें पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यह अजीब बात है। उन्होंने ये महल खरीदे हैं। यह प्रश्न २० दिन पहले भेजा गया था। अभी भी सरकार को जानकारी नहीं है। क्या उन्होंने यह महल बिना कुछ रकम दिये खरीदे हैं ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** माननीय सदस्य का ख्याल गलत है। प्रश्न बिल्कुल भिन्न है। यह महाराजाओं के महलों की खरीद के बारे में नहीं है, यह अन्य मामले के बारे में है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** हम इस को नहीं समझ सके।

†**श्री वाजपेयी :** प्रश्न के भाग (क) के बारे में क्या है ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रश्न का भाग (क) है कि 'क्या सरकार भूतपूर्व राजाओं के महलों को खरीदना चाहती है'। उन का कहना है कि कुछ महल खरीदे गये हैं और फिर भी उन्होंने हमें यह जानकारी नहीं दी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न महलों के सम्बन्ध में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : प्रश्न का भाग (क) है कि 'क्या सरकार भूतपूर्व राजाओं के महलों को खरीदना चाहती है'; भाग (ख) है कि 'क्या यह सच है कि इन महलों को खरीदने और उन के रख-रखाव के लिये एक राष्ट्रीय न्यास स्थापित किया जायेगा'। अतः यह राष्ट्रीय न्यास के बारे में है। प्रश्न उन महलों के बारे में हैं जिन्हें हम खरीदेंगे और जिन्हें हम राष्ट्रीय न्यास की स्थापना के सम्बन्ध में खरीदना चाहते हैं, अतः मैं उस का उत्तर दे रहा हूं।

†श्री स० मो० बनर्जी : भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है।

†अध्यक्ष महोदय : उन का कहना है कि इस प्रश्न का विषय राष्ट्रीय न्यास है।

†श्री स० मो० बनर्जी : महल खरीदने के बाद।

†अध्यक्ष महोदय : इस में क्या किया जा सकता है। मंत्री महोदय ने उसको इसी प्रकार समझा है। प्रश्न का भाग (क) भाग (ख) से सम्बन्धित है। जब तक इन को खरीदने का प्रस्ताव न हो, न्यास स्थापित करने का कोई तात्पर्य नहीं है। अतः उन्होंने सोचा कि न्यास की मुख्य चीज है और न्यास महलों के बारे में है। उन्होंने उस का उत्तर दे दिया है। इस में कोई बात छुपी नहीं है। यदि माननीय सदस्य महलों की खरीद पर अब तक खर्च की गई कुल रकम की जानकारी चाहते हैं, तो वे दूसरा प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मंत्री महोदय के पास वह जानकारी नहीं है।

जासूसी की गतिविधियों को रोकने के लिये सुरक्षा उपाय

+

†*७६४. { श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री वाजपेयी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीमा के पार जासूसी के मामलों और अनधिकृत प्रवेश को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा उपाय और कड़ाई से लागू करने तथा लोक सेवाओं में सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करने की आवश्यकता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त जांच के यदि कोई निष्कर्ष निकले हैं, तो वे क्या हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). गुप्त कागजातों एवं जानकारी की सुरक्षा एवं उनको ठीक से रखने के बारे में उपयुक्त व्यवस्था कर ली गई है।

†श्री वाजपेयी : क्या यह उचित है। वह उपयुक्त व्यवस्था क्या है ?

†गृह कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : इस सम्बन्ध में हम विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते। सभा में यह बताना ठीक नहीं होगा कि हमने यह विशिष्ट कार्यवाही की है।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : इस प्रश्न को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है। इस प्रश्न के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। पहली बात तो यह है कि लोक सेवाओं में हम क्या प्रक्रिया अपनाते हैं और दूसरी बात है कि चोरी छिपे आने वालों के विरुद्ध हम क्या सुरक्षात्मक कार्यवाही करते हैं। मैं माननीय गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान उस समिति की ओर आकर्षित करता हूं जिसकी स्थापना इंगलिस्तान के प्रधान मन्त्री ने जार्ज ब्लैक जासूस के मामले में लोक सेवाओं की सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं की की जांच

†मूल अंग्रेजी में

करने के लिये नियुक्त की है। इसलिये मेरा पहला प्रश्न तो सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं के बारे में है कि क्या सरकार ने इन प्रक्रियाओं की जांच की है ताकि वह उनके बारे में कड़ी कार्यवाही कर सके एवं उत्तरदायित्व निश्चित कर सके। अभी माननीय गृह-कार्य मन्त्री ने बताया है कि उत्तरदायित्व निश्चित करना और प्रमाण पाना सम्भव नहीं है। इसलिये यह आवश्यक है कि इन सुरक्षा-प्रक्रियाओं का पुनर्वलोकन किया जाये। दूसरा प्रश्न चोरी छिप कर आने वालों के और तत्सम्बन्धी सुरक्षात्मक प्रक्रियाओं के बारे में है। मैं आशा करता हूं कि वह इन दोनों ही प्रश्नों के बारे में विचार प्रकट करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या गृह-कार्य मन्त्री ने यह बात छोड़ दी है कि इन व्यक्तियों को पकड़ना सम्भव नहीं है अथवा जहां कहीं कुछ कमियां हैं उनको ठीक किया जा रहा है अथवा जिस प्रकार व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिये इंगलिस्तान में एक समिति की स्थापना की गई वैसी ही समिति की स्थापना यहां भी की जायेगी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह कार्यवाही यहां तथा हमारे विदेशी मिशनों में निरन्तर की जा रही है लेकिन फिर भी कभी कभी मनुष्य से भूल हो ही जाती है। यह प्रशासन व्यवस्था की बात नहीं है। किसी न किसी कारण विशेष के कारण मानव असफल हो जाते हैं। कभी कभी मनुष्य अपना मानसिक सन्तुलन खो बैठता है और मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है। हमारे विदेशी मिशन में एक व्यक्ति ने ऐसे ही कार्य किया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमारी वैदेशिक सेवा में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह मामला जासूसी का नहीं था। यह मामला स्पष्ट रूप से चोरी का था। यह बात समझ में नहीं आई कि एक व्यक्ति ने किस प्रकार मिशन के धन की चोरी की। चोरी करने के थोड़ी देर बाद ही उसने अपने कार्य को स्वीकार कर लिया छिपाने का तो कोई प्रश्न नहीं था। आखिर यह मामला मनुष्य की भूल का है। चाहे वह किसी दफ्तर में हो अथवा किसी वायुयान में। वायुयान में एक दुर्घटना हुई थी। ऐसे मामलों में प्रायः सभी व्यक्ति उसे दबाने का प्रयत्न करते हैं।

†**श्री वाजपेयी** : यह देखते हुए कि इन कर्मचारियों के घर से कुछ महत्वपूर्ण कागजात पकड़े गये हैं फिर जासूसी के मामले में कौन सम्मिलित हैं। क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि जो लोग महत्वपूर्ण कागजात का अथवा फाइलों का काम करते हैं उन्हें उन कागजों को घर ले जाने की अनुमति न दी जाये।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ये कागजात उन्हें घर तो ले जाने की अनुमति नहीं है। कोई चीज कार्यालय से बाहर ले जाना अपराध है।

†**श्री वाजपेयी** : इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि उचित देखभाल नहीं की जाती। निदेशों के बावजूद भी कर्मचारी महत्वपूर्ण कागजों को घर ले जाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : भले ही माननीय सदस्य कोई निष्कर्ष निकाले। असलियत बता दी गई है।

†**श्री रंगा** : पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार की जो घटनायें बढ़ रही हैं उनको देखते हुए क्या इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये सम्बन्धित मन्त्रालयों ने स्थिति का कोई विशेष अध्ययन किया है और इन पदाधिकारियों की अच्छी तरह देखभाल की जायेगी और उन पर पूरा पूरा नियन्त्रण रखा जायेगा ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य के परामर्श पर ध्यान दिया जायेगा।

†**श्री रंगा** : इन घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या विशेष अध्ययन किया है अथवा क्या कार्यवाही की है; यह कहना तो बहुत आसान है कि सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार की बुराई को रोकने के लिये विशेष अध्ययन करने की आवश्यकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय प्रधान मन्त्री ने बताया है कि जहां तक नियम एवं विनियमों की बात है उन में कोई त्रुटि नहीं है।

†**श्री रंगा** : यह काफी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने यह भी कहा है कि कभी कभी मनुष्य से भूल भी हो जाती है। फिर भी देख भाल निरतन्र की जा रही है। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न को और आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री रंगा** : यदि ये बातें कभी कभी हों तो ठीक है लेकिन ये बातें तो बराबर होती ही रहती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तो इस प्रकार प्रश्न कर रहे हैं मानो यह कोई संकल्प हो। प्रश्नकाल तो इसलिये होता है कि कुछ जानकारी ली जाये। कभी कभी मैं कुछ सुझाव देने की अनुमति दे दिया करता हूं लेकिन उतने से ही बात समाप्त हो जानी चाहिये। सुझाव के आधार पर उन्हें आश्वासन लेने के लिये बल नहीं देना चाहिये। ऐसा करने के लिये तो और समय ही ठीक रहेगा। प्रश्नकाल में हम केवल जानकारी ही मालूम कर सकते हैं।

पलाई बैंक के खातेदारों को भुगतान

+

†*७६६. { **श्री त० ब० विट्ठलराव** :
श्री दी० चं० शर्मा :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री मे० क० कुमारन् :

क्या **वित्त** मन्त्री २६ अप्रैल, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डायरेक्टरों के आचरण के सम्बन्ध में पलाई बैंक के मामले की जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) जुलाई १६६१ के अन्त तक कितने खातेदारों को और कितनी रकम प्रारम्भिक अधिमान्य भुगतान के तौर पर दी गयी; और

(घ) जिन खातेदारों को प्रारम्भिक अधिमान्य भुगतान किया गया है क्या उनके अलावा और किन्हीं खातेदारों को जुलाई, १६६१ के अन्त तक कोई रकम मिलने की सम्भावना है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) जी हां। १७ अगस्त, १६६१ को केरल उच्च न्यायालय में बैंकिंग समवाय अधिनियम की धारा ४५ जी के अन्तर्गत एक प्रार्थनापत्र दिया गया था।

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ३० जुलाई १६६१ तक समापनकर्ता ने ५०,२६८ रुपया जमा करने वालों के नाम ६२,०६,५०१ रुपये के चैक जारी कर दिये थे ।

(घ) जी नहीं । और आगे भुगतान जल्दी करने के लिये सभी सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** ८८,००० व्यक्ति रुपया जमा करने वाले थे जिन्हें प्राथमिक भुगतान किया जाने वाला था उनमें से केवल ५०,००० व्यक्तियों को ही चक क्यों दिये गये ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** आप जानते हैं कि समापन होते ही कर्मचारियों द्वारा 'धीमे काम करो' की नीति अपना ली गई थी । उन्होंने 'काम न करो' की पद्धति भी अपनाई थी इसी कारण इस काम में इतनी देर हो गई । हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को न्यायालय के अनुदेशानुसार सेवा से हटा दिया गया था और उसके बाद काम को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या यह ठीक है कि एक संचालक अथवा उसकी पत्नी लड़के ने २४ लाख रुपये बैंक से निकलवाये थे जबकि आस्तियां केवल १ लाख रुपये की हैं ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** सारे मामले की जांच हो रही है । इन सभी प्रश्नों से सम्बन्धित बातों को बताने वाला प्रतिवेदन केरल उच्च न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया गया है । मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** बैंकिंग समवाय अधिनियम के अनुसार समापनकर्ता को उस तिथि के छः महीने के भीतर जबकि उच्च न्यायालय ने उसके समापन का आदेश दिया था, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देना चाहिये । इन बातों को बताने में क्या कठिनाई है ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** समापनकर्ता ने केरल उच्च न्यायालय को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और न्यायालय का निर्णय करना अभी शेष है । इस प्रार्थनापत्र पर भी उच्च न्यायालय का निर्णय अभी नहीं हुआ है । इसलिये मैं अभी कुछ नहीं बता सकती ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** भले ही उच्च न्यायालय का निर्णय कुछ हो क्या सरकारी समापनकर्ता का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** यह मामला अभी उच्च न्यायालय के सामने है । यह उच्च न्यायालय का काम है कि इस बारे में कोई उचित कार्यवाही करे । मैं नहीं कह सकती कि वह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा अथवा नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह बात नहीं है कि जहां कहीं भी कोई प्रतिवेदन प्रकाशित होगा तो सभा पटल पर रखा ही जायेगा । सभा पटल पर वे प्रतिवेदन ही रखे जाते हैं जिनके लिये सरकार उत्तरदायी होती हैं । यदि कोई माननीय सदस्य उस प्रतिवेदन को चाहते हैं तो माननीय मन्त्री महोदय से उसके लिये निवेदन करूंगा और वे उसे संसद् पुस्तकालय में रख देंगे । वे ही प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाते हैं जो संसद् की कार्यवाही के अंश होते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या सरकारी समापनकर्ता का प्रतिवेदन कम से कम पुस्तकालय में ती रखा जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम प्रयत्न करेंगे । पुस्तकालय में रखने का सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : उच्च न्यायालय से अनुमति लेनी होगी । बिना अनुमति लिये हम ऐसा नहीं कर सकते ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : माननीय विधि उपमंत्री ठीक कह रही हैं । यह उच्च न्यायालय की कार्यवाही की बात है । सरकारी समापनकर्ता न्यायालय का आदमी है और उसने बैंकिंग समवाय के अधीन अपना कार्य किया है । उसे यहां रखने के लिये हम उच्च न्यायालय की औपचारिक अनुमति ले सकते हैं । इन बातों के बारे में यहां चर्चा करना ठीक नहीं होगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह बात नहीं है । माननीय सदस्य यह जानने को उत्सुक हैं कि इसमें हो क्या रहा है । मैं समझता हूं कि न्यायालय में रखे सब कागज़ सार्वजनिक सम्पत्ति हैं । सरकार उन कागजातों को ले सकती है । उसकी एक प्रति लेनी होगी ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम उच्च न्यायालय को यह सूचना दे सकते हैं कि ऐसी मांग आई है । और सूचना देने के बाद प्रतीक्षा कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सार्वजनिक सम्पत्ति है हम इसे प्राप्त कर सकते हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं तो नहीं समझता कि हम उसे सभा पटल पर नहीं रख सकते ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो मामला न्यायालय में है उसके बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिये । जहां तक इस मामले की बात है सभी जानने के लिये उत्सुक हैं । समाचारपत्र वाले लिखेंगे कि असलियत क्या है तथा लिखित वक्तव्य क्या है और न्यायालय में क्या कार्यवाही हो रही है ।

†**श्री अ० कु० सेन**: हम निश्चय ही ऐसा करेंगे लेकिन उच्च न्यायालय को सूचना देने के बाद ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रक्रिया भले ही कुछ हो । लेकिन सभा यह जानने को उत्सुक है कि इस मामले में क्या हो रहा है । मैं माननीय मंत्री महोदय को यह आश्वासन देता हूं कि जब तक यह मामला न्यायालय में है इस बारे में यहां चर्चा नहीं होगी ।

करनूल जिले में हीरों के निक्षेप

+

†*७९७. **श्री कुन्हन** :
श्री त० ब० विट्ठलराव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो ने करनूल जिले में बंगानाप्पल्ले में हीरों के निक्षेपों के संबंध में विस्तृत जांच पड़तल शुरू कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो आज तक क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) तथा (ख). भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने १९६०–६१ के दौरान में कुरनूल जिले में हीरों के निक्षेपों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच पड़ताल की थी ताकि तीसरी योजना के दौरान में क्या किया जाये इस सम्बन्ध में विस्तृत नक्शे

†मूल अंग्रेजी में

तैयार हो सकें और इसकी खोज उन्होंने बोरिंग आदि करके की थी। तीसरी योजना के दौरान में कुरनूल, महबूबनगर, नलगोंडा, गुन्टूर, कृष्णा और अनन्तपुर जिलों में हीरा निक्षेपों में हीरों की धुलाई, निक्षेपों के लिये नक्शे तैयार करने, ट्रेंचिंग करना, बोरिंग करना आदि का काम भारत का भूतत्वीय विभाग करना चाहता है।

†**श्री कुन्हन** : हीरों की कमी को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार सर्वेक्षण के काम को तेजी से बढ़ाने का प्रयत्न करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हमारा सभी कार्यक्रम तैयार है। हीरा निक्षेपों के सर्वेक्षण का काम गत वर्ष शुरू हुआ था और भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के लोग आजकल अपना प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। आगामी वर्ष के लिये भी भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग एवं भारतीय खान ब्यूरो ने अपना कार्यक्रम तैयार कर लिया है। आगामी वर्ष तथा तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और आशा है कि वह काम शीघ्रता से किया जायेगा।

तेल शोधक कारखानों के उपोत्पाद

†*७६६. { **श्री कोडियान** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नूनमती (गोहाटी) और बरौनी में सरकारी क्षेत्र के जो तेल शोधक कारखाने बनाये जा रहे हैं उनसे प्राप्त गैस पर आधारित, इन दो जगहों के आसपास पेट्रो-केमिकल उद्योगों के विकास की किसी योजना पर क्या सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). नूनमती और बरौनी के तेल शोधक कारखानों से प्राप्त गैस पर आधारित पेट्रो-केमिकल उद्योगों के विकास की किसी खास योजना पर सरकार अभी विचार नहीं कर रही है। भारत सरकार ने पेट्रो-केमिकल उद्योगों के विकास के स्वरूप की सिफारिश करने के लिए एक पेट्रो-केमिकल कमेटी बनायी है। यह समिति पेट्रो-केमिकल उद्योगों के विकास के लिए गैस के उपयोग पर भी विचार करेगी।

†**श्री कोडियान** : नूनमती और बरौनी के शोधक कारखानों से सालाना कितना गैस प्राप्त होने का अनुमान है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : नूनमती और बरौनी से प्राप्त होने वाले रद्दी गैस (वेस्ट गैस) का अभी ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हमें कुछ और थोड़े समय तक प्रतीक्षा करनी होगी जब तक कि परियोजना का स्वरूप निश्चित हो जाये और उत्पादन शुरू हो जाये।

†**श्री कोडियान** : क्या यह सच है कि आरंभ में कुछ गैस घरेलू ईंधन के रूप में काम में लाने तथा औद्योगिक उपभोग के लिए तरल पेट्रोलियम तैयार करने के काम में लाने के बारे में सरकार की कोई योजना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । तरल पेट्रोलियम गैस तैयार करने की योजना हमारे सामने है और हम उस योजना पर विचार कर रहे हैं लेकिन वह पूर्णतः पेट्रो-केमिकल मिश्रण नहीं है जो तेल शोधक कारखाने से सम्बद्ध हो । एकाकी रूप में कुछ योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि नूनमती तेल शोधक कारखाने से उपलब्ध होने वाले गैस के उपयोग के संबंध में असम सरकार ने भारत सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं और क्या यह भी सच है कि नूनमती के आस पास कुछ आनुषंगिक उद्योगों में गैस इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी में हाथ बंटाने के लिए भारत सरकार तैयार है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : ये दो बातें हैं और माननीय सदस्य शायद कुछ भ्रम में पड़ गये हैं । असम सरकार तेल के साथ निकलने वाले प्राकृतिक गैस के उपयोग पर आधारित कुछ योजनाओं का सुझाव दे रही है ?

†**श्री हेम बरुआ** : वह नहरकटिया है ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : नूनमती तेल शोधक कारखाने के संबंध में मुझे ऐसे किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं है जो असम सरकार ने भेजा हो। हमने स्वतः एक छोटी समिति बनायी है और वह कुछ सिफारिशें पेश कर रही है जिस पर हम विचार करेंगे । दोनों कारखानों से वेस्ट गैस के इस्तेमाल पर उचित समय पर विचार किया जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री अर्जुन सिंह भदौरिया—अनुपस्थित । श्री तंगामणि ।

†**श्री तंगामणि** : प्रश्न संख्या ८०० ।

श्री भक्त दर्शन : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम सूची में प्रथम है । आप शुद्धि पत्र देखिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप का नाम है ?

श्री भक्त दर्शन : जी हां, मेरा नाम सब से पहले है ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, श्री भक्त दर्शन ।

श्री भक्त दर्शन : प्रश्न संख्या ८०० ।

हिन्दू धर्मदाय संस्था आयोग की रिपोर्ट

*८००. +
श्री भक्त दर्शन :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री तंगामणि :
श्री प्रं० गं० देब :

क्या **विधि** मंत्री २६ नवम्बर, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५४६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू धर्मदाय संस्थाओं की जांच करके रिपोर्ट देने के लिये जो आयोग नियुक्त किया गया था उस ने इस बीच अपने कार्य में क्या प्रगति की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : नवम्बर, १९६० से आयोग ने निम्नलिखित राज्यों का दौरा किया है :—

१. गुजरात
२. आन्ध्र प्रदेश
३. मद्रास का कुछ भाग
४. महाराष्ट्र
५. राजस्थान का कुछ भाग
६. पश्चिम बंगाल
७. उड़ीसा

अभी फिलहाल वह उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहा है । अब तक लिये गये साक्ष्य में जो प्रश्न सामने आये हैं केवल उन्हीं पर चर्चा करने के लिए आयोग ने तीन बैठकें की हैं ।

श्री भक्त दर्शन : क्या कमिशन ने सरकार को बतलाया है कि देर से देर कब तक वह अपनी रिपोर्ट दे देगा, यानी क्या इस दूसरी लोक सभा के समाप्त होने से पहले वह अपनी रिपोर्ट दे देगा ?

श्री अ० कु० सेन : अभी तक कुछ नहीं बतलाया है ।

†**श्री तंगामणि** : पहले एक बार हमें बताया गया था आयोग संभवतः १९६१ की दूसरी छमाही तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगा । आरंभ में जब यह आयोग बनाया गया था तब हमें यह कहा गया था कि आयोग सिर्फ छै महीने का समय लेगा लेकिन और छै महीने के लिये अनुपूरक मांग भी हमारे सामने थी । हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते लेकिन यह जानना चाहते हैं कि क्या यह रिपोर्ट इसी संसद् में पेश की जायेगी या अगली संसद् तक उसे रोक रखना होगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : हम यह आशा करें कि वह इसी संसद् के दौरान पेश की जाये । उस ने अगली फरवरी तक समय बढ़ाने की मांग की है । ऐसे उच्च शक्ति प्राप्त आयोगों के संबंध में यह संभव नहीं है कि हम उन्हें इस काम में बराबर पूछताछ करते रहें । यह जिम्मेदारी का काम है और यह उचित नहीं कि हम उन्हें हर समय टोकते रहें ।

†**अध्यक्ष महोदय**: मैं समझता हूं कुछ समय पहले भी यही उत्तर दिया गया था । मंत्री महोदय ने बताया था कि वह आयोग कुछ और समय चाहता है और वह मंजूर किया गया । अग्रेतर विचार अगली संसद् में लिया जायेगा ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं सभा को बता दूं कि इसी कारण बिल संबंधी प्रवर समिति में चर्चा स्थगित करने की मैं ने सूचना दी थी क्योंकि हम यह आशा करते थे कि यह रिपोर्ट आ जायेगी । इस रिपोर्ट के बगैर सभा के सामने यह विधेयक लाने का कोई उपयोग नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री पाणिग्रही ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मैं केवल इस विधेयक की स्थिति के बारे में जानना चाहता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री ने इस बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : हम बहुत शीघ्र ही एक प्रस्ताव रखेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री तंगामणि : क्या आयोग ने विभिन्न, राज्यों का अपना दौरा पूरा कर लिया है या अब भी उसे कुछ राज्यों का दौरा करना है इस से पहले कि वह अपनी रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार कर ले?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अमरीकी इस्पात मिशन

†*७९१. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री मुरारका :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री २७ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो दो सदस्यों वाला अमरीकी इस्पात मिशन सर्वांगीण प्रशिक्षण योजना चालू करने में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की मदद करने के लिये भारत आया था क्या उस की रिपोर्ट इस बीच मिल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३]**

अफ्रीकी छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां

†*७९५. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों से भारत में अध्ययन के लिये आने वाले छात्रों के लिये वर्ष १९६१-६२ में कतनी छात्रवत्तियों की व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ११५ ।

(ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४]**

(ग) जी हां ।

सशस्त्र बल मुख्यालय का दिल्ली से हटाया जाना

†*८०१. श्री स० मो० बनर्जी : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र बल का मुख्यालय दिल्ली से बाहर ले जाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस जगह पर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में कोयला

†*८०२. **श्री अजित सिंह सरहदी**: क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण में सुबांसिरी डिवीजन में जो कोयला मिला है वह इस प्रकार का और इस किस्म का है कि वाणिज्यिक रूप में उसे निकाला जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस के विस्तृत जांच पड़ताल के मामले में क्या प्रगति हुई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) वर्तमान स्थिति में कोई निश्चित राय बताना समयोचित नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आस्ट्रिया से ऋण

†*८०३. **श्री पांगरकर** :
श्री विभूति मिश्र :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :

क्या **वित्त मंत्री** २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रिया से प्राप्त ऋण की शर्तों के बारे में बातचीत इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) जी नहीं । बातचीत अभी समाप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

तीसरी योजना अवधि में कैरोसीन और डीजल तेल की आवश्यकता

†*८०४. **श्री सुब्बय्या अम्बलम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कैरोसीन (मिट्टी का तेल) और डीजल तेल सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जा चुका है ;

(ख) यदि हा, तो उस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) तीसरी योजना अवधि में प्रत्येक श्रेणी की कितनी कितनी मात्रा के आयात किये जाने की संभावना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) जी हां। यह अस्थायी है और उस में परिवर्तन हो सकता है।

(ख) और (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(१) तीसरी योजना अवधि में संभाव्य आवश्यकतायें :—
किरोसीन—लगभग सालाना २५ लाख टन।
डिजल—लगभग सालाना ३० लाख टन।

(२) तीसरी योजना अवधि में संभाव्य आयात :—
किरोसीन—लगभग सालाना १० लाख टन।
डिजल—लगभग सालाना ८ लाख टन।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का परस्पर स्थानान्तरण

†*८०५. **श्री विद्याचरण शुक्ल**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५०३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के परस्पर स्थानांतरण तथा उच्चतम न्यायालय का एक सर्किट सेशन दक्षिण भारत में करने के सम्बन्ध में बार असोसियेशन, मद्रास, के संकल्पों में दिये गये सुझावों के बारे में सरकार को उस से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर विचार किया है ; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

करगली का कोयला धोने का कारखाना

†*८०६. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि करगली के कोयला धुलाई कारखाने का काम असंतोषजनक बताया जाता है ;

(ख) उस की क्षमता कितनी है और प्रतिमास उत्पादन कितना है ;

(ग) धुलाई कारखानों को अच्छी तरह चलाने के लिये कितनी अधिक क्षमता की आवश्यकता है ; और

(घ) धुलाई कारखाने की विस्तृत कार्य प्रणाली के बारे में प्रविधिक जांच समिति की रिपोर्ट क्या है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). प्रतिमास १,३५,००० टन धोये कोयले की साधारण क्षमता के मुकाबले में, करगली कोयला धुलाई कारखाने में औसत मासिक उत्पादन ७२,००० टन हैं । कमी मुख्यतः कोयला धुलाई कारखाने में कुछ दोषों के कारण हुई है जिन्हें निर्माताओं ने इस बीच ठीक कर दिया है और आशा है कि सितम्बर १९६१ में प्रयोग के तौर पर कोयला धुलाई कारखाना चलाया जायेगा ।

(ग) कोयला धुलाई कारखाने को कुशलता से चलाने के लिये संभवतः कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया जायेगा क्योंकि ठेकेदारों को प्रयोगों के द्वारा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम को संतुष्ट करना होता है कि कोयला धुलाई कारखाना पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त करने के योग्य है ।

(घ) रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कोयला धुलाई कारखाना निर्माताओं के साथ किये गये ठेके में उल्लिखित ब्यौरों के कहां तक अनुरूप है । रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि ब्यौरों की कमी दूर करने के लिये उचित उपाय किये जायें। इन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए ठेकेदारों ने इस बीच परिवर्तन किये है ।

राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा की सुविधायें

†*८०७. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने की योजना के अधीन कितने बच्चों को लाभ होगा ; और

(ख) इस कार्य के लिये कितनी रकम नियत की गयी है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जानकारी चालू वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद उपलब्ध होगी और वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा विषयक सुविधाएं देने के लिए १९६१–६२ के बजट में ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

कोयला खानों की ऐच्छिक एकीकरण समिति

†*८०८. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों की ऐच्छिक एकीकरण समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). कोयला खानों के ऐच्छिक एकीकरण के लिए अपने प्रयत्न जारी रखने के लिए कार्यकाल बढ़ाना आवश्यक समझा गय था ।

अंकलेश्वर तेल क्षेत्र

†*८०९. **श्री यादव नारायण जाधव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र में उत्पादन १९६१ के अन्त तक सम्भवतः शुरू हो जायेगा ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस तेल क्षेत्र के लिए कितनी बिजली आवश्यक होगी ; और

(ग) आवश्यक बिजली प्राप्त करने के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय) :** (क) जी हां।

(ख) करीब ४५० किलोवाट :

(ग) गुजरात बिजली सप्लाई बोर्ड ने बिजली सप्लाई करना मंजूर कर लिया है।

रूरकेला कारखाने के लिये पश्चिम जर्मन ऋण

†*८१०. **श्री मुरारका :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी ने रूरकेला कारखाने के लिए ऋण सुविधाएं बढ़ाना मंजूर कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और इस ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा):** (क) और (ख). जी हां। विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५]

अश्लील सिनेमा पोस्टरों पर प्रतिबन्ध

*८११. **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री हेम बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अश्लील सिनेमा पोस्टरों पर रोक लगाने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसमें इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): अश्लील सिनेमा पोस्टर लगाने की रोक थाम के लिए उपयुक्त विधि-नियम बनाने का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

राष्ट्र मण्डल के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

*८१२. **श्री खुशवक्त राय :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले दो वर्षों में राष्ट्रमंडल के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन के लिए कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ;

(ख) कितनी छात्र वृत्तियों के लिए आवेदन-पत्र आये और किन-किन देशों से ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) प्रत्येक देश के लिये कितनी छात्रवृत्तियां स्वीकार की गयीं ; और

(घ) क्या कुछ देशों ने उन्हें लेने से इन्कार कर दिया था और उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६]**

(घ) जी, नहीं ।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर

†*८१३. **श्री कालिका सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था की सहायता करने के लिए अमरीकी मैसाच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्था द्वारा विश्वविद्यालय-संघ[1] संगठित किये जाने की क्या योजना है ;

(ख) उस संस्था के लिए अमरीकी सरकार तथा अन्य अमरीकी स्रोतों ने कितना सम्मिलित डालर और रुपया अंशदान मंजूर किया है ; और

(ग) कानपुर में उपर्युक्त संस्था की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) अमरीका के नौ प्रमुख विश्वविद्यालयों और संस्थाओं का, जिनमें मैसाच्यूसेट्स प्रौद्योगिकी संस्था भी शामिल है, एक संघ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, कानपुर की स्थापना में सहायता करने के लिए बनाया गया है ।

(ख) अभी फिलहाल, ३३·८ लाख डालर या १·६१ करोड़ रुपये की रकम मंजूर की गयी है ।

(ग) इस संस्था ने १९६० में एक स्थायी स्थान पर काम करना शुरू किया था और स्थायी जगह पर निर्माण कार्य शुरू करने के लिए कार्यवाही की गयी है ।

उत्तरी बिहार में तेल की खोज

†८१४. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बिहार में तेल की खोज और अनुसन्धान-कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) किन-किन स्थानों में तेल की खोज की जा रही है और अब तक की खोज का क्या परिणाम रहा है ?

खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). तीन भूकम्पीय उच्छेदों के साथ साथ कार्य किया गया : पहला हाजीपुर अमलेख गंज से मुजफ्फरपुर और मोतीहारी के रास्ते से नेपाल के अन्दर तक ; दूसरा मुजफ्फरपुर से सीतामारी तक और तीसरा मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर तक । मुजफ्फरपुर में एक दिलचस्प अधस्तल आकृति पाई गई है; जिसके पूरे चित्रण के लिए समधिक विस्तृत कार्य की काफी मात्रा में आवश्यकता होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Consortium of Universities

सड़कें बनाने के लिये रेगिस्तानी बालू को जमाना

†*८१५. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सड़कें बनाने के लिए रेगिस्तानी बालू को जमाने के तरीकों के प्रयोगों के सम्बन्ध में इस समय क्या स्थिति है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : काम अभी जारी है।

तेल का मूल्य

†*८१६. { **श्री वारियर** : **श्री कोडियान** :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उचित लाभ सहित लागत के सूत्र की बजाय कुछ छूट (डिस्काउन्ट) घटाकर आयात मूल्य के सूत्र के आधार पर तेल का मूल्य निर्धारित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि यदि कुछ छूट (डिस्काउन्ट) घटा कर आयात मूल्य वाला सूत्र स्वीकार किया जाता है तो देशी उत्पादों के मूल्य भी दूसरे मामलों में उन वस्तुओं की कीमतों की अपेक्षा ऊंचे होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री कें० दे० मालवी)** : (क) से (ग). पेट्रोलियम की वस्तुओं का मूल्य किसी उचित सूत्र के आधार पर निर्धारित करने का प्रश्न तेल मूल्य जांच समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा किये जाने वाले निश्चयों के अनुसार हल किया जायगा।

अंधों के लिये केन्द्रीय संस्था

†*८१७. **श्री सुशीला नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अंधों की केन्द्रीय संस्था में कितने अंधे पुरुषों और स्त्रियों को प्रशिक्षण दिया गया और उन में से कितनों को पुनः बसाया जा चुका है ;

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अंधों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास की सुविधाओं के विस्तार की क्या योजनायें हैं ; और

(ग) क्या अंधापन रोकने के लिये तथा अर्ध-अंधों के पुनर्वास के लिये कार्यक्रम शुरू करने की कोई योजना है ।

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) वयस्क अंध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून ने दूसरी योजना अवधि में ३०४ अंधे पुरुषों और २३ अंधी स्त्रियों को प्रशिक्षित किया । अब तक सरकार को प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मालूम होता है कि उन में से १५५ व्यक्तियों को बसाया जा चुका है। इस आंकड़े में उन लोगों की संख्या नहीं है जो अपने आप खुद ही बस गये हैं और जिन्होंने अभी तक सरकार को सूचना नहीं दी है ।

(ख) आवश्यक जानकारी वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) अंधापन दूर करने की योजनायें तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई हैं थोड़ी दृष्टि वाले लोगों के पुनर्वास की कोई खास योजना उस योजना में शामिल नहीं की गई है ।

रूरकेला में इस्पात कारखाना

†*८१८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रूरकेला इस्पात कारखाने में कार्य करने के लिये अधिकाधिक पश्चिमी जर्मनी के टेक्निशियन लाने का निश्चय किया है ;

(ख) पश्चिमी जर्मनी से कितने टेक्निशियन लाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि प्राधिकारी भारतीय टेक्निशियनों से इस कारखाने के चलाने में असमर्थ हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). ३ साल की अवधि तक रूरकेला इस्पात कारखाने के विभिन्न एकक चलाने और उन के रखरखाव के लिये २२५ की संख्या तक जर्मन टेक्निशियन भरती करने का हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का प्रस्ताव सरकार ने मान लिया है ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने काफी संख्या में भारतीय टेक्निशियन भी भरती किये हैं और उन्हें प्रशिक्षित किया है । फिर भी रूरकेला जैसे पेचीदे इस्पात कारखाने को सफलतापूर्वक चलाने और उस के रखरखाव के लिये आवश्यक अनुभव का उन में अभाव है । आशा है कि जब तक जर्मन यहां से जायेंगे, रूरकेला के भारतीय कर्मचारी इस कारखाने को चलाने के लिये पूर्ण योग्य हो जायेंगे ।

पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा नेवेली लिग्नाइट का परीक्षण

†*८१९. { **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों को परीक्षण के लिए १००० टन नेवेली लिग्नाइट कब दिया गया था;

(ख) क्या उनसे परीक्षण के कोई अन्तरिम या अन्तिम परिणाम मिले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो परीक्षणों को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) अभी नहीं । पूर्व जर्मनी के विशेषज्ञों ने परीक्षण के लिए आवश्यक मात्रा अब इस बीच २००० टन कर दी है । आशा है कि यह मात्रा इस वर्ष के अन्त तक जब कि खान में उत्पादन शुरू हो जायेगा, सप्लाई की जायेगी ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बैंक एण्ड स्टोर्स लि०, पूर्णिया का बन्द होना

†*८२०. **श्री फ० गो० सेन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि बैंक एण्ड स्टोर्स लिमिटेड पूर्णिया (बिहार) बन्द हो गया है;

(ख) खातेदारों को कितनी रकम की हानि हुई और एक हजार रुपये से नीचे और ऊपर के खाते रखने वाले खातेदारों की संख्या कितनी है; और

(ग) छोटे खातेदारों के हितों की सुरक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी हां।

(ख) आवश्यक ब्यौरा तुरन्त उपलब्ध नहीं है और बैंक के कागज-पत्रों से वह इकट्ठा करना होगा। चूंकि बैंक की कुल जमा जून, १९६१ में करीब ७३,००० रुपया थी, इसलिए खातेदारों को व्यक्तिगत रूप में या सामूहिक रूप में हानि बहुत अधिक नहीं हो सकती।

(ग) बैंक के शेष परिसम्पद् के परिरक्षण के लिए तथा कपटपूर्ण या अनधिकृत भुगतानों को रोकने के लिए बैंकिंग कंपनीज ऐक्ट की धारा ४५ के अधीन उस बैंक के सम्बन्ध में एक शोध-विलम्ब-काल का आदेश इस बीच जारी किया गया है। बैंक के मामलों की जांच पड़ताल करने के लिए रिजर्व बैंक का एक पदाधिकारी भी नियुक्त किया गया है और उसकी रिपोर्ट को ध्यान में रख कर ही आगे कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

नेवेली में तापीय बिजली-घर

†*८२१. **श्री तंगामणि :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेवेली में तापीय बिजली-घर बनाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है;

(ख) यह संयंत्र कब चालू होगा; और

(ग) यदि उसमें देर हो तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) पहले और दूसरे एककों के लिए उपकरण की सभी भारी वस्तुएं जैसे बॉयलर्स, कन्डेन्सर्स, स्टेटर्स और ट्रान्सफार्मर्स नेवेली में पहुंच गयी हैं। पहला एकक बनाने तथा उससे सम्बन्धित असैनिक निर्माण कार्य जारी है। तीसरे एकक के हिस्से आना शुरू हो गया है।

(ख) और (ग). लक्ष्य के अनुसार पहला एकक १९६१ के अन्त तक और संपूर्ण बिजली-घर १९६३ के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है।

रूस के छात्रों को छात्रवृत्तियां

†*८२२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **शिक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार इस बात पर आग्रह करती है कि रूस के विश्वविद्यालय सरकार के जरिये आनेवाले भारतीय छात्रों के लिए ही सारी छात्रवृत्तियां, अधि-छात्रवृत्तियां और प्रवेश केन्द्रित रखें; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) चूंकि कई अमरीकी तथा ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय बिना सरकार की इजाजत के या बिना उसके जरिये ही प्रवेश और छात्रवृत्तियां प्राप्त कर लेते हैं तो मास्को फ्रेन्डशिप यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के लिए रूस जाने वाले छात्रों के मामले में ही इस पर क्यों आग्रह किया जाता है ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**:(क) और (ख). प्रस्ताव भेजने वाले देश की ओर ध्यान न देते हुए, जब कभी विदेशी सरकारें या संगठन राजनयिक सूत्रों के जरिये छात्रवृत्तियां देते हैं तब भारत सरकार इस बात पर ज़ोर देती है कि इस देश में सरकार ही चुनाव किया करे।

मास्को फ्रेन्डशिप यूनिवर्सिटी के मामले में, आरम्भ में भारत में स्थित रूसी दूतावास ने ही विश्वविद्यालय में प्रवेश तथा छात्रवृत्तियों के लिए छात्रों से आवेदनपत्र मांगे थे। सरकारी नीति के अनुरूप तथा सम्बन्धित रूसी अधिकारियों की सहमति से सरकार ने ही सामान्य रूप से विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनपत्र मंगाये और चुनाव किये।

अप्रत्यक्ष कर-भार

†*८२३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री २८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८–५९ में अप्रत्यक्ष कर-भार की जांच का क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त उपमन्त्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : वर्ष १९५८–५९ के लिए अप्रत्यक्ष करों के भार के अध्ययन सम्बन्धी रपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार की जा रही है। मुख्य निष्कर्षों का अग्रिम सारांश सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० ३१४४/६१]**

खेल कूद जांच समिति की रिपोर्ट

†*८२४. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री कोडियान :
श्री हेम राज : }

क्या **शिक्षा** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय खेल समारोह विशेषकर पिछले ओलम्पिक खेल कूदों में भारतीय दलों द्वारा भाग लिये जाने की जांच करने और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट पेश करने के लिए जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या उस ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) उन सिफारिशों की कार्यान्विति के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी म

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

†*८२५. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १० मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७४६ के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात कारखानों में रखी गई दोषयुक्त लट्ठेदार नींव (पाइल फाउन्डेशन) की जांच पड़ताल करने के लिए नियुक्त की गई समिति की उपपत्तियों पर अन्तिम निश्चय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निश्चय किया गया है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). दुर्गापुर इस्पात कारखाने में दोषपूर्ण लट्ठेदार नींव के बारे में जांच पड़ताल समिति की सभी सिफारिशें हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की प्रबन्ध समिति ने मंज़ूर कर ली हैं और अब तक की गयी कार्यवाही की ओर ध्यान दिया है ।

परामर्शदाताओं ने हिन्दुस्तान स्टील को सलाह दी है कि लट्ठे सम्बन्धी सारा काम जो दुर्गापुर में किया गया है, संतोषजनक सिद्ध हो रहा है। कई मामलों में लट्ठेदार नींव पर पूरा पूरा बोझ पड़ा है जैसे स्टोव सहित धमन भट्टी संख्या १, स्वैग ब्रिजेस आदि और नींव के सम्बन्धी कोई कठिनाई अभी तक महसूस नहीं हुई है। जैसा कि जांच पड़ताल समिति ने सिफारिश की है समय समय पर चेक लेवल्स पर पैमाइश देख ली जाती है। नींव के परिणाम सम्बन्धी आंकड़ों की छान बीन से यह माना जा सकता है कि नींव संतोषजनक ढंग से काम कर रही है। इस बीच, ठेके में उल्लिखित गारंटी अवधि दस साल तक बढ़ाने के लिए लोहा और इस्पात कम्पनी के साथ किया जाने वाला करार अन्तिम रूप से तैयार किया जा रहा है।

भिलाई इस्पात कारखाना

†*८२६. **श्री नाथ पाई :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकुशल कारीगर बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा उपकरणों के पर्याप्त मात्रा में न दिये जाने और उनमें सुरक्षा की भावना पैदा न किये जाने के परिणामस्वरूप दुर्घटना-ग्रस्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो भिलाई में इन दुर्घटनाओं को रोकने और कारीगरों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मन्त्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

भिलाई में दुर्घटनाओं के कारणों की छानबीन करने पर यह मालूम हुआ कि सुरक्षा संरक्षणों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण नहीं बल्कि कर्मचारियों द्वारा सावधानी की कमी के कारण दुर्घटनाएं हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेफ्टी इंजीनियरिंग विभाग, इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर और क्रेन इंजीनियर परियोजना के सभी निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते रहते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा साधन दिये गय हैं। सुरक्षा संगठन एक स्वतंत्र इकाई के रूप में काम करता है, दोषपूर्ण कार्य और असुरक्षित प्रथाओं को बताता है और परियोजना के सुरक्षा प्रमापों में सुधारों का सुझाव देता है। विज्ञापनों के प्रदर्शन, सुरक्षा चलचित्र दिखाने, सुरक्षा संबंधी संक्षिप्त वार्ताएं प्रसारित करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि कर्मचारियों में सुरक्षा की जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

सिलचर में दंगे

*८२७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री खुशवक्त राय :
श्री आसर :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० म० देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई में सिलचर (असम) की घटना के बाद दंगों को दबाने के लिये सेना का प्रयोग किया गया था ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने दंगों की रिपोर्ट अपने स्तर पर प्राप्त कर ली है ; और

(ग) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मन्त्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : (क) जी हां।

(ख) असम की राज्य सरकार ने १९ मई, १९६१ को सिलचर और १९ जून को इलाकंडी में होने वाले गोलीकांड की रिपोर्ट हमें भेजी है।

(ग) इन घटनाओं का विस्तृत विवरण राज्य सरकार द्वारा उक्त तिथियों पर जारी की गई विज्ञप्तियों में दे दिया गया है।

विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

†*८२८. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों में शिक्षा के माध्यम पर पुनः विचार कर लिया है या करने का विचार है ;

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड इस मामले पर कब विचार करेगा ?

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ग). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां

†*८२९. **श्री कोडियान** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां देने की योजना के विकेन्द्रीकरण के परिणामों का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). केवल दो साल पहले ही योजना का विकेन्द्रीकरण किया गया था । इसलिए इतने जल्दी उसके परिणामों का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता । विकेन्द्रीकरण का प्रभाव जैसा कि राज्य सरकारों ने बताया है, यह है कि अब छात्रवृत्तियों का भुगतान पहले की अपेक्षा अधिक जल्दी किया जाता है ।

ठाकुर शताब्दी समारोह

†*८३०. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री कुन्हन :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायः सभी विदेशों से ठाकुर शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल भेजने के लिए आमंत्रण प्राप्त हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति विदेश भेजे गये ; और

(ग) वे किन किन देशों को भेजे गये ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान् और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) जी हां ; कई देशों से आमंत्रण प्राप्त हुये थे ।

(ख) और (ग). कोई नहीं । लेकिन रवीन्द्रनाथ ठाकुर शताब्दी समिति के सचिव जो लन्दन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओरिएन्टल एण्ड अफ्रीकन स्टड्डीज़ से निमंत्रण पर लन्दन गये थे, इटली, संयुक्त अरब गणराज्य, बलगेरिया, यूनान, फ्रान्स और रूस भी गये थे ।

लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को भुगतान

†*८३१. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्ष्मी बैंक में सभी खातेदारों को भुगतान कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने खातेदारों को भुगतान किया गया है ; और

(ग) अब तक कितना भुगतान किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा): (क) से (ग). जी, नहीं। लक्ष्मी बैंक के राजकीय समापनकर्त्ता ने २ अगस्त, १९६१ से बचत बैंक खातेदारों को २५० रुपये का वरीयमान भुगतान या जमा शेष जो भी कम हो, देना शुरू कर दिया है। उसने १० अगस्त, १९६१ तक कुल २,८१,९४१ रुपये ९३ न०पै० की रकम के चेक या मनीआर्डर १९५४ बचत बैंक खातेदारों के नाम भेज दिये हैं।

जिला जल, थल और वायु सेना बोर्ड

*८३२. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री सरजू पांडेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७४९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जल, थल और वायु सेना के बोर्डों को स्थायी बनाने के बारे में किस प्रकार का निर्णय किया गया है?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : सैनिकों, नाविकों, हवाबाजों के बोर्डों की संस्था को स्थायी बनाने के सुझाव का सक्रियता से अनुसरण किया जा रहा है।

बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के लिये क्षेत्रीय कालिज

†*८३३. **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री पांगरकर :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए चार क्षेत्रीय कालिज खोलने की योजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) ये कालिज कहां कहां खुलेंगे और उन पर अनुमानतः कितना व्यय होगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख). ३.९० करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की एक योजना तैयार की गयी है। उन जमीनों का, जहां कालेज बनाये जायेंगे, सर्वेक्षण किया जा रहा है।

विदेशी तेल कम्पनियों में भारतीयों की छंटनी

†*८३४. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में स्थित तीन विदेशी तेल कम्पनियों में हाल में बड़ी संख्या में भारतीयों की छंटनी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इससे कितने व्यक्तियों पर प्रभाव पड़ा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उन्पन्न नहीं होते ।

कलकत्ता क्षेत्र में सेना द्वारा मकानों का गिराया जाना

†*८३५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के नये अलीपुर क्षेत्र में शाहपुर और दुर्गापुर की विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में विभिन्न मकानों को गिराने के लिए १३ मई, १९६१ को सेना के "बुल-डोजर" मंगाये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही करने के क्या कारण थे ;

(ग) क्या गिराये गये मकानों में रहने वालों को पहिले कोई सूचना या चेतावनी दी गई थी ;

(घ) क्या सेना प्राधिकारियों ने इस कार्य के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की अनुमति ले ली थी ; और

(ङ) क्या गिराये गये मकानों से निकाले गये व्यक्तियों को कोई प्रतिकर या वैकल्पिक आवास दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) से (ङ). लोक स्वास्थ्य के कारणों से यह जरूरी समझा गया कि शाहपुर शिविर (जिसके एक हिस्से को वे दुर्गापुर शिविर कहते हैं) में सेना की पुरानी झोंपड़ियों पर अवैध रूप से कब्जा रखने वाले कुछ विस्थापित परिवारों को वहां से हटाया जाये क्योंकि वे निकटवर्ती क्षेत्र को शौचालय और कूड़ाखाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। उन्हें हटाने के सवाल पर संबंधित व्यक्तियों और उनके नामजद व्यक्तियों के साथ बातचीत की गयी थी और उन्होंने शिविर से ४० गज की दूरी पर स्वतः चुनी हुई जगह पर जाना मंजूर कर लिया है। स्थानांतरण पूर्ण मैत्री के वातावरण में तथा पश्चिम बंगाल के एक पदाधिकारी की उपस्थिति में किया गया था। स्थानांतरण के लिए सभी संभव सुविधाएं दी गयी थीं जिनमें सैनिकों द्वारा फुटकर खर्च के लिए ऐच्छिक अंशदान भी शामिल था। परिवारों के चले जाने के बाद गन्दगी साफ करने और जमीन को समतल बनाने के लिए बुल-डोजर भी इस्तेमाल किया गया था।

कांगो में भारतीय सेना पर व्यय

†*८३६. **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत को कांगो में सेना भेजने पर कुल कितना वार्षिक व्यय उठाना पड़ेगा ; और

(ख) भारत में इस अभाव की पूर्ति के लिए क्या प्रबन्ध किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) कांगो में भेजे गये सशस्त्र बल सैनिकों के सामान्य वेतन और भत्तों का खर्च भारत को उठाना पड़ता है। वह लगभग ९५ लाख रुपये प्रतिवर्ष होता है।

(ख) कांगो भेजे गये सैनिकों और अधिकतर एककों की जगह पर उतनी ही संख्या में भारत में रख लिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चीनियों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण

†*८३७. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री १७, फरवरी, १९६१ के चीनी विमानों द्वारा आकाश सीमा के अतिक्रमण सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन की सरकार को जो विरोध-पत्र भेजे गये थे क्या उनका कोई उत्तर मिला है, और यदि हां, तो क्या उत्तर मिला है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन):** चीनी सरकार ने अतिक्रमणों को अस्वीकार किया है ।

भारतीय भाषाओं की शब्दावली

†*८३८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री क० भे० मालवीय :

क्या **शिक्षा** मन्त्री २२ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय भाषाओं में शब्दावली बनाने के लिये वैज्ञानिक तथा प्रविधिक शब्दावली सम्बन्धी स्थायी आयोग ने क्या प्रगति की है; और

(ख) यह कार्य कब समाप्त होने की आशा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

अभी हाल ही में आयोग के कर्मचारियों की घोषणा की गयी है और आशा है कि शीघ्र ही सदस्य अपना काम शुरू कर देंगे ।

आयोग को जो काम सौंपा गया है वह इस प्रकार है :—

(१) वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावलि के क्षेत्र में अब तक जो काम किया गया है, उसकी समीक्षा करना;

(२) वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावलि बनाने और उसके समन्वय सम्बन्धी सिद्धान्तों को निर्धारित करना;

(३) वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावलि के क्षेत्र में राज्यों की विभिन्न संस्थाओं द्वारा किये गये कार्य का समन्वय; और

(४) विशिष्ट स्तर की वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक पुस्तकें तैयार करना और उनका अनुवाद करना ।

यह निरन्तर चलने वाला काम है और एक निश्चित अवधि के अन्दर उसके पूरा होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । फिर भी शब्दावलि सम्बन्धी अधिकतर काम तीन से चार वर्ष की अवधि के अन्दर सम्भवतः पूरा हो जायगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

वैज्ञानिकों को योग्यता पदोन्नति

†*८३९. { **श्री अरविन्द घोषाल :**
डा० राम सुभग सिंह :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वैज्ञानिकों को "योग्यता पदोन्नति" देने का सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) जी, हां।

(ख) योग्यता पदोन्नति (मेरिट प्रोमोशन्स) की योजना के व्यौरे बताने वाला नोट सभा पटल पर रखा जाता है। **[परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ९]**

समुद्र के रास्ते लाये गये कोयले का मूल्य

†*८४०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र के रास्ते लाये गये कोयले का मूल्य उस पर अधिभार लगा कर रेल द्वारा लाये गये कोयले के मूल्य के बराबर कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अधिभार की दर क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) १ मई, १९६१ से राज सहायता की योजना शुरू की गयी है। इस योजना के अधीन कोयले का उपभोग करने वालों को जिन्हें समुद्री रास्ते से लाया गया कोयला मिलता है, उसी लागत पर कोयला मिलेगा जिस लागत पर वह रेल मार्ग से लाया गया होगा।

(ख) राज सहायता के भुगतान पर व्यय कोयला/सॉफ्ट कोक पर ८० नये पैसे प्रतिटन और हार्ड कोक पर १ रुपया २० नये पैसे प्रतिटन की दर से अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगा कर पूरा किया जायगा।

विश्वविद्यालयों में प्रवेश की आयु सीमा

*८४१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय में प्रवेश की न्यूनतम आयु १६ वर्ष रखना मंजूर नहीं किया ; और

(ख) उनके ऐतराज पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) अभी तक निम्नलिखित सात विश्वविद्यालयों ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु १६ वर्ष रखने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने की अनिच्छा प्रकट की है :—

(१) आगरा

(२) जबलपुर

(३) उस्मानिया

(४) पंजाब

(५) पूना

(६) एस० एन० डी० टी० वीमेन्स विश्वविद्यालय, बम्बई

(७) संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी।

(ख) सभी विश्वविद्यालयों से उत्तर प्राप्त होने पर आयोग मामले पर फिर से विचार करेगा।

उड़ीसा खान निगम

†*८४२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा खान निगम के वर्तमान स्वामित्व में परिवर्तन हो गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उड़ीसा खनन निगम में केन्द्रीय सरकार के अंश पूरी तरह उड़ीसा सरकार ने खरीद लिये हैं;

(ग) ऐसा निर्णय किन कारणों से किया गया है; और

(घ) इस खनन निगम द्वारा उड़ीसा सरकार ने खनिजों के विकास के लिये क्या क्या योजनायें बनाई हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने यह बताया है कि वह चाहती है कि उड़ीसा खनन निगम पर पूरा स्वामित्व राज्य सरकार का हो और राज्य द्वारा संचालित हो। केन्द्रीय सरकार ने यह मंजूर कर लिया है कि राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार के हितों को ले लेने की अनुमति दी जाये। यह निश्चय कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(घ) निगम फिलहाल लौह अयस्क की तीन खानें अर्थात् मयूरभंज जिले में महाराजपुर और खंडडेरा और क्योंझर जिले में सकराडीही, चला रहा है। निगम ने लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट के लिये अतिरिक्त क्षेत्रों में खनन पट्टे/खोज लाइसेंस प्राप्त किये हैं। तीसरी योजना अवधि के दौरान निगम द्वारा विकास कार्यक्रम तैयार किया गया है जिसमें तीसरी योजना के अन्त तक ८६ लाख रुपये की पूंजी के निवेश, ८ लाख टन लौह अयस्क, २५,००० टन क्रोमाइट और २०,००० टन मैंगनीज के उत्पादन की योजना है। और अधिक खनन पट्टे प्राप्त करने तथा उत्पादन के लक्ष्य बढ़ाने की सम्भावना भी है। राज्य सरकार ने १९६४–६५ तक २० लाख टन लौह अयस्क निर्यात करने के लिये सुकिन्दा क्षेत्र में निगम के जरिये लौह अयस्क की खानों का विकास करने की एक योजना भी बनायी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संध्या-कालीन कालिज

†*८४३. **श्री तंगामणि** : क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ से १०० संध्या-कालीन कालिज खोलने का प्रस्ताव कार्यान्वित हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो किन किन विश्वविद्यालयों में और कौन कौन कालिज इसके लिये चुने गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला

†*८४४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री २८ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्यशाला की स्थापना में और क्या प्रगति हुई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : प्रारम्भिक कार्य अभी जारी है ।

पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य

†*८४५. **श्री सुब्बया अम्बलम** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३४३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य की जांच करने के लिये नियुक्त की गई तेल जांच समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) समिति की सिफारिशों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) से (ग), तेल मूल्य जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और सरकार के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

†*८४६. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री कुन्हन : }

क्या **वित्त** मंत्री ५ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १३५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राज्य बैंक के एक संचालक के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन सम्बन्धी जांच पड़ताल इस बीच समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)**: (क) और (ख). जांच पड़ताल समाप्त होने के कारण अधिनिर्णय कार्यवाही कारण-बताओ नोटिस जारी करके आरम्भ कर दी गई है ।

तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधियां

†*८४७. { **श्री नेक राम नेगी :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री हेम राज :
श्री सरजू पाण्डेय : }

क्या **शिक्षा** मंत्री १० मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७५३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम० ए० तथा एम० एस० सी० में तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को अपनी श्रेणी सुधारने के लिये परीक्षाओं में पुनः बैठने की अनुमति देने के लिये विश्वविद्यालय के विनियमों में संशोधन करने के प्रस्ताव के बारे में विश्व-विद्यालयों की प्रतिक्रियायें पता लगा ली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् । अब तक, २२ विश्वविद्यालयों ने अपनी प्रतिक्रियायें भेजी हैं ।

(ख) सारे विश्वविद्यालयों के उत्तर आने पर आयोग मामले पर विचार करेगा ।

अध्यापकों के लिये त्रि-लाभ योजना

†*८४८. { **श्री कोडियान :**
श्री पांगरकर : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्र में अध्यापकों को मद्रास की भांति भविष्य निधि, पेंशन और बीमा की सुविधायें देने के लिये त्रि-लाभ योजना लागू करने का सरकार का कोई विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस में कितनी प्रगति हुई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) से (ग). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) हां । माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक योजना विचाराधीन है ।

(ख) अस्थायी रूप में बनाये गये प्रस्तावों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(१) सहायताप्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को पेंशन लाभ ;

(२) अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करने का अध्यापकों का अधिकार ;

(३) प्रत्येक अध्यापक द्वारा अपने वेतन के अनुसार जीवन बीमा कराना ।

(ग) योजना की अन्तिम संभावनायें विचाराधीन हैं ।

इस्पात कारखानों में समान मजूरी

†*८४९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सब इस्पात कारखानों में समान मजूरी लागू करने का अन्तिम निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) से (ग). इस्पात कारखानों में मजूरी के नमूने के बारे में निश्चय लोहा और इस्पात उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के मजूरी के ढांचे की जांच पड़ताल करने के बाद ही किया जा सकता है । इस प्रयोजन के लिये एक मजूरी बोर्ड लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये बनाया जा रहा है जिस के गठन पर सरकार आजकल सक्रिय विचार कर रही है ।

दिल्ली में क्रीड़ा गांव

†*८५०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २१७२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एक क्रीड़ा गांव बनाने की योजना में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) योजना कितनी अवधि में पूरी हो जायेगी ; और

(ग) इस का ब्यौरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). क्रीड़ा गाव के लिये निश्चित की गई भूमि अभी हमें नहीं मिली है । भूमि मिलने पर ही ब्यौरा तैयार किया जा सकेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कलकत्ता का विकास

†*८५१. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विश्व बैंक से कलकत्ता के विकास की कुछ समस्याओं का अध्यापन करने के लिये कुछ इंजीनियर भेजने की प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय कला केन्द्र की रूस यात्रा

†*८५२. **श्री प्र० चं० बरूग्रा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भारतीय कला केन्द्र को रूस यात्रा करने के लिये वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या केन्द्र ने इस के बाद कोई दल उस देश को भेजा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ग). हां, श्रीमान् ।

(ख) ३४,४३६ रु० ।

ऐतिहासिक स्मारक

†*८५३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो फ्रांसीसी विशेषज्ञ इस देश में ऐतिहासिक स्मारकों की इस दृष्टि से जांच करने के लिये बुलाये गये हैं कि वे प्राचीन राजमहलों तथा अन्य ऐतिहासिक इमारतों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये उन में पर्यटकों के प्रवेश करते समय राजाओं और व्यक्तियों की आवाजों और उन के समय के संगीत को "टेपरिकार्डों" पर बजा कर उन्हें "सजीव रूप देने" की फ्रांसीसी पद्धति लागू करें ;

(ख) यदि हां, तो उन की सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

लाभ-राशि का ब्रिटेन भेजा जाना

†*८५४. **श्री तंगामणि :** क्या **वित्त** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को १९५७ तथा १९५८ में भेजी गई लाभ-राशि, अर्थात् २३.० करोड़ रु० तथा २३.६ करोड़ रु० की अपेक्षा १९५९ और १९६० में अधिक लाभ-राशि भेजी गई ;

(ख) यदि हां, तो इन दो वर्षों में कितनी कितनी धन राशि भेजी गई ; और

(ग) भेजी जाने वाली ऐसी धन राशियों को प्रतिबंधित तथा सीमित करने के लिये क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) :** (क) और (ख). १९५९ और १९६० के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) लाभ-राशि का विदेश भेजने की अबाध अनुमति दी जाती है और ऐसे प्रेषणों पर कोई प्रतिबन्ध लगाना का सरकार का विचार नहीं है।

सैनिक स्कूल

†*८५५. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ९ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २९३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में कितने विद्यार्थियों को चार सैनिक स्कूलों में जगह दी गई है ;

(ख) क्या प्रवेश के लिये पर्याप्त आवेदन-पत्र न आने के कारण आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तारीख बढ़ाई गई थी ; और

(ग) प्रवेश पाने के लिये वर्तमान अन्तिम तारीख क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) १९६१ में चार सैनिक स्कूलों में जिन विद्यार्थियों को दाखिल किया गया है उनकी संख्या निम्न है :

सतारा सैनिक स्कूल	१५०
जामनगर सैनिक स्कूल	१००
कुंज पुरा सैनिक स्कूल	२००
कपूरथला सैनिक स्कूल	२००

(ख) हां, श्रीमान, सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिये प्रार्थना पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख पहिले ३० अप्रैल, १९६१ निर्धारित की गई थी । केवल चित्तोड़गढ़ के मामले में, जो बाद में खुलना था, प्रार्थनापत्र, स्वीकार करने की तारीख २० जुलाई, १९६१ तक बढ़ाई गई थी ।

(ग) स्कूलों में कार्य आरम्भ हो गया है ।

संसद् भवन के पास मोती लाल नेहरू की मूर्ति

†१९३८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६७८ के उत्तर के सम्बन्ध

†मूल अंग्रेजी में

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मोती लाल नेहरू जन्म शताब्दी समिति के प्रस्ताव के अनुसार नई दिल्ली में संसद् भवन के पास मोती लाल नेहरू की मूर्ति बनाने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में समिति को दिये जाने वाले सहयोग और सहायता का ब्योरा क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सरकार ने संसद् भवन द्वारा संख्या ३ की सीधी ओर के खाली लान में स्वर्गीय पंडित मोती लाल नेहरू की १२'/२" ऊंची मूर्ति लगाने के लिये समिति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ।

(ग) समिति द्वारा चुने गये स्थान को उपलब्ध करने के अतिरिक्त उन्हें अपेक्षित टेकनिकल तथा कुशल सलाह भी दी गई है। प्रस्तावित मूर्ति का आधा मुजस्समा सरकार को देने की आवश्यकता इस मामले में खास तौर से हटा दी गई है । इससे समिति को व्यय में काफी बचत होगी ।

केन्द्रीय स्टोर्स विभाग (इंडिया) के कर्मचारियों का स्तर

†१६३६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच केन्टीन स्टोर्स विभाग (इंडिया) के कर्मचारियों का स्तर निश्चित कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्णा मेनन)** : (क) और (ख). केन्टीन स्टोर्स विभाग (इंडिया) के कर्मचारियों का स्तर निश्चित करना अब भी विचाराधीन है परन्तु वे लोग केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी बने हुये हैं ।

सोलन में जलाशय

†१६४०. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में सोलन में पूर्व-बलित कंक्रीट की दीवारों वाला २० लाख गैलन के जलाशय का निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जलाशय के स्थान पर आधे से अधिक खुदाई का काम हो चुका है ।

अपाहिज व्यक्तियों के संघों की सहायता

†१६४१. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री चुनी लाल :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विकास ने प्रोग्रामों पर अपाहिज व्यक्तियों के संघों को सहायता अनुदान देने के नियमों में संशोधन करने का निश्चय कर लिया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). संशोधित नियम विचाराधीन है ।

सस्ती धातु के सिक्कों का उत्पादन

†१९४२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **वित्त** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम मूल्य के सिक्कों की उत्पादन लागत कम करने के लिये सिक्कों में पहिली के स्थान पर अन्य सस्ती धातु का प्रयोग करने के प्रस्तावों का अध्ययन तथा जांच पड़ताल की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

सैनिक स्कूल

†१९४३. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सुगन्धि :
श्री अगाड़ी :
श्री वोडियार :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री प० ला० बरूपाल :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १ मई, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १८२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक सैनिक स्कूल में प्रतिरक्षा सेवा कर्मचारियों के बच्चों को केन्द्रीय सरकारी छात्रवृत्तियां देने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सैनिक स्कूलों में प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों के लिये प्रतिरक्षा मंत्रालय की छात्रवृत्ति योजना की एक प्रति संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सैनिक स्कूल खोलने का भूमि, इमारतों और सामान पर होने वाला प्रारम्भिक व्यय वे राज्य सरकारें करती हैं जहां वे खुलते हैं। भारत सरकार प्रत्येक सैनिक स्कूल पर प्रति वर्ष निम्नलिखित व्यय करने से सहमत हो गई है :—

(१) प्रिंसिपल, मुख्याध्यापक और रजिस्ट्रार के रूप में काम करने के लिये एक लैफ्टीनेंन्ट कर्नल, एक मेजर और एक कप्तान (या नौसेना या वायुसेना के समान स्तर के अधिकारी) का वेतन और और भत्ते। लगभग ४०,००० रुपये।

(२) प्रतिरक्षा सेवाओं के कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां देने पर होने वाला व्यय।

(३) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय छात्र सेना दल की टुकड़ियों के व्यय में भी अपना सामान्य अंश देगी।

महाराष्ट्र में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें

†**१९४४. श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित आदिम जातियों के लिये चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य सेवाओं की कार्यान्विति के लिये जो राशि दी उसमें से १९६०–६१ में महाराष्ट्र में कितनी राशि व्यय हुई ; और

(ख) अनुसूचित जातियों को क्या-क्या चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य सेवा में प्रदान की गईं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) और (ख) : महाराष्ट्र सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बहुयोजनीय खण्ड

†**१९४५. श्री पांगरकर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बहुप्रयोजनीय खण्ड बनाने के लिये १९६०–१९६१ में केन्द्रीय सरकार ने कितना अंश दिया ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती अल्वा) : १६,००, ९०० रुपये।

महाराष्ट्र में स्कूलों में बच्चों के लिये मध्यान्ह भोजन

†**१९४६. श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र ने स्कूलों में बच्चों को मध्याह्न का भोजन देने की अपनी योजना के सम्बन्ध में कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सहायता मांगी है और उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

महाराष्ट्र में बुनियादी शिक्षा

†**१९४७. श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना काल में बुनियादी शिक्षा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को कुल कितनी राशि दी गई; और

(ख) इस कार्य के लिए उस अवधि में कितना धन प्रयोग किया गया ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ११]**

महाराष्ट्र में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†**१९४८. श्री पांगरकर :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महाराष्ट्र में योजना के आरम्भ होने से अब तक कितने बहुप्रयोजनीय स्कूल खुले हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** ११८ ।

महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहे और इस्पात का कोटा

†**१९४९. श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अब तक महाराष्ट्र राज्य में छोटे पैमाने के उद्योगों को कितना लोहा और इस्पात नियत किया गया है; और

(ख) इस अवधि में छोटे पैमाने के उद्योगों को वास्तव में कितनी मात्रा दी गई ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख).

(१) इस्पात

	नियतन	**संभरण**
१९६१–६२ .	*	**
(पूर्वार्ध वर्ष)	३,३७५ मीट्रिक टन	२७७ मीट्रिक टन (अप्रैल-जून १९६१ में)

इसके अतिरिक्त उद्योगों को आयात करने के लाइसेन्स दिये गये हैं और राज्य व्यापार निगम द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए विशेष रूप से किये गये आयात में से भी इस्पात दिया गया है जिसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*केवल सीमित श्रेणियां (१४ गेज से ऊपर की चादरें और तार)

**सभी श्रेणियां। इन में चालू और बकाया आदेशों पर भेजा गया इस्पात, राज्य में नियंत्रित स्टाक रखने वालों को भेजा गया इस्पात और आयात तथा वस्तु विनिमय के स्टाक भी सम्मिलित हैं।

२ कच्चा लोहा

कच्चा लोहा नियत करने की प्रणाली १-७-१९५९ से समाप्त कर दी गई थी। उपभोक्ताओं की मांगें सीधी आती हैं और उचित जांच पड़ताल के बाद उत्पादकों को दे दी जाती हैं।

†मूल अंग्रेजी में

उपभोक्ताओं को स्टाकधारियों से सीधे कोई प्राधिकार प्राप्त किये बिना कच्चा लोहा प्राप्त करने की अनुमति है। मांग देने और दर्ज कराने की कोई कड़ी समय तालिका नहीं है। जब भी इस्पात नियंत्रक को मांगें प्राप्त होती हैं, वे दर्ज करा दी जाती हैं। १९६१–६२ (अप्रैल से जून, १९६१ तक) में महाराष्ट्र राज्य को कुल २०,९४३ मीट्रिक टन कच्चा लोहा भेजा गया।

कोयला उत्पादन

†१९५०. **पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६१ से जून, १९६१ तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने कितने कोयले का उत्पादन किया ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** मार्च, १९६१ से जून, १९६१ तक राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने २५,९८,९३० मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया।

अभ्रक की खाने

†१९५१. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में अभ्रक की कितनी खानें हैं; और

(ख) इन में से प्रत्येक खान से प्रति वर्ष कितना अभ्रक प्राप्त होता है ?

†**खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १२]**

सूर्य-शक्ति का उपयोग

†१९५२. **श्री न० म० देव :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में सूर्य-शक्ति का उपयोग करने के लिए कोई अनुसन्धान हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह अनुसन्धान किस केन्द्र में हो रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) और (ख). हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नई दिल्ली में कुछ अनुसन्धान हो रहा है।

लाहौल और स्पीति में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना

†१९५३. **श्री हेम राज :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पंजाब के लाहौल और स्पीति जिलों में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजनाओं पर कितना व्यय हुआ;

(ख) प्रत्येक योजना का नाम और विषय क्या है और प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) तीसरी पंच वर्षीय योजना में कितना व्यय करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) ५१·९१२ लाख रु० ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १३]** :

(ग) ७·०० लाख रु० ।

इस्पात का उत्पादन

**१९५४. {श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) पिछले वर्ष की अपेक्षा इस अवधि मे प्रति व्यक्ति उपभोग में कितनी वद्धि हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) उत्पादन १,३४२,४०० टन था ।

(ख) जनवरी-जून १९६० की अपेक्षा १९६१ के पूर्वार्ध में ०.६० के जी एस अधिक उपभोग हुआ ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

**†१९५५. {श्री दलजीत सिंह :
सरदार इकबाल सिंह :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार ने १९६१-६२ में पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिए कितना धन दिया ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : १९६१-६२ में पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए निम्न व्यवस्था की गई है :

(रु० लाखों में)

पिछड़ी जाति की श्रेणी	१९६१-६२ के लिए व्यवस्था	
	राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्र
अनुसूचित आदिम जातियां .	२०.११	२.००
अनुसूचित जातियां	३२.३५	४.९८

राज्य क्षेत्र की योजनाओं का ५० प्रतिशत व्यय और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का १०० प्रतिशत व्यय केन्द्रीय सरकार उठायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भारतीय सेना कर्मचारी

†१९५६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में अब तक भारतीय सेना के कितने कर्मचारी प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गये हैं; और

(ख) वे किन किन देशों को भेजे गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) ३० ।

(ख) ब्रिटेन, अमरीका, रूस, कनाडा, आस्ट्रेलिया और फ्रांस ।

पंजाब अल्प बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि

†१९५७. **श्री दलजीत सिंह :** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि साधारणतया पंजाब में और विशेषतया होशियारपुर जिले में १ जनवरी, १९६१ से ३० जून, १९६१ तक अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि प्राप्त हुई ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** अपेक्षित जानकारी नीचे दी जाती है :—

	१–१–१९६१ से ३०–६–१९६१ तक जमा शुद्ध लगभग राशि (रु० हजारों में)
होशियारपुर जिला .	२९·४७
पंजाब राज्य .	४,००·७५

संसद् में लाहौल व स्पीति के लिये स्थान

†१९५८. **श्री हेम राज :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार से पंजाब आदिम जाति परिषद् की कोई ऐसी प्रार्थना मिली है कि लाहौल और स्पीति के सीमान्त जिले को संसद् में एक अलग स्थान दिया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रोहतांग दर्रे के ऊपर रज्जु मार्ग

†१९५९. **श्री हेम राज :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमान्त सड़क विकास बोर्ड ने रोहतांग दर्रे के ऊपर रज्जु-मार्ग बनाने के लिये सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब बनाया जायेगा और इस पर लगभग कितना व्यय होगा ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) प्रारम्भिक सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

(ख) अभी सर्वेक्षण पूरा होने की तारीख या उस प्रकार की परियोजना की लागत नहीं बताई जा सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बकलोह छावनी में खाली मकान

†**१९६०. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि बकलोह छावनी में खाली पड़े मकानों का उपयोग करने के लिये एक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है; और

(ग) उन सब मकानों पर कब कब्जा हो जाने की सम्भावना है ?

†**प्रति रक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (ग). बकलोह छावनी में प्रतिरक्षा स्थान का उपयोग प्रतिरक्षा सेवाओं द्वारा किया जा रहा है, और कुछ क्वाटर समय समय पर आवास के अधिकारी लोगों की संख्या के आधार पर तथा इस कारण खाली रहते हैं कि उनको मरम्मत की जरूरत होती है । कोई असैनिक निवास स्थान खाली नहीं है । अतः खाली असैनिक मकानों का उपयोग करने के लिये कोई योजना बनाने का सवाल पैदा नहीं होता ।

पंजाब में बकाया कर

†**१९६१. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अगस्त १९६१ को पंजाब में उपहार कर, धन कर और व्यय कर की कितनी राशि लोगों से बकाया है;

(ख) किस तिथि से ये कर बकाया है; और

(ग) सरकार ने इस राशि को वसूल करने के लिये क्या कार्रवाई की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**(क) पंजाब में १ अगस्त १९६१ से निम्न राशियां बकाया थीं :—

उपहार कर	१५९,००० रुपये
धन कर	१३९,००० रुपये
व्यय कर . .	कुछ नहीं ।

(ख) ये राशियां १९५८-५९ से बकाया हैं ।

(ग) सम्बद्ध संविधाओं में जिन कार्रवाइयों का उपबन्ध है वे बकाया राशियों की बसूली के लिये किये जा रहे हैं ?

कांगों में भारतीय अस्पताल

†**१९६२. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कांगों में भारत सरकार द्वारा खोले गये हस्पताल की आधुनिकतम स्थिति क्या है ;

(ख) कब तक इस के चलने रखने का विचार है ; और

(ग) इस पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) कांगो को भेजे गये ४०० पलंगों वाले सैनिक अस्पताल के लिये कर्मचारी और उपकरण कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ की सेवाओं के लिये चिकित्सा देता है। अस्पताल इस समय उस देश में तीन स्थानों अर्थात् लियोपोल्डविल्ले, लुलुआबर्ग तथा कनब्किलहटविल्ले में काम कर रहा है।

(ख) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कांगो में वर्तमान व्यवस्था कब तक जारी रखनी होगी।

(ग) आधुनिकतम सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। तथापि फरवरी, १९६१ तक कांगो भेजे गये सैनिक अस्पताल के सम्बन्ध में ८२०,५२९ रुपये खर्च हुए हैं।

मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें

१९६३. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा कुल कितनी और कौन-कौन सी पत्रिकायें कितने समय के अन्तर से निकाली जाती हैं;

(ख) उनमें से अंग्रेजी और हिन्दी में अलग-अलग कितनी प्रकाशित होती हैं;

(ग) क्या उन सब को हिन्दी में भी प्रकाशित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) दो हर तिमाही में प्रकाशित।

(१) "कल्चरल फोरम"
(२) "संस्कृति"।

(ख) एक अंग्रेजी और एक हिन्दी में।

(ग) "संस्कृति" "कल्चरल फोरम" का हिन्दी प्रतिरूप है।

(घ) और (ङ). सवाल पदा नहीं होता।

बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनायें

†**१९६४. श्री चुनीलाल :** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल भारतीय कल्याण परिषद् प्रत्येक राज्य में एकीकृत बाल कल्याण सेवाओं में प्रदर्शन परियोजना स्थापित करना चाहती है; और

(ख) परियोजना का क्या ब्यौरा है और यह कब कार्यान्वित की जाएगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) भारत सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकारों के द्वारा एकीकृत बाल कल्याण सेवाओं में २० प्रदर्शन परियोजनाएं स्थापित करना चाहती हैं; और भारतीय बाल कल्याण परिषद् सलाहकार निकाय के तौर पर इस योजना से सम्बन्ध होगा।

(ख) विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १४]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राजस्थान में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां

†१९६५. **श्री ओंकार लाल :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने १९६०–६१ और १९६१–६२ वर्षों के लिये राजनीति पीड़ित लोगों के बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी रियायतें देने की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये राजस्थान सरकार को राशि दी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि ;

(ग) कुल आवंटन की राशि कितनी है;

(घ) राजस्थान में जिलावार कितने बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी ऐसी रियायतें मिल रही हैं; और

(ङ) किस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** (क) राजस्था सरकार ने अपनी भारत सरकार के अनुमोदनार्थ कार्य अपनी मसौदा योजना नहीं भेजी है ।

(ख) से (ङ). उपरोक्त स्थिति की दृष्टि से यह सवाल पैदा नहीं होता ।

राजस्थान में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत वसूली

†१९६६. **श्री ओंकार लाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ में राजस्थान में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि वसूल हुई है; और

(ख) उक्त अवधि में अभिकर्त्ताओं को कमीशन के तौर पर कितनी राशि दी गई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अनुमानतः १·४६ करोड़ रुपये ।

(ख) अनुमानतः ६० हजार रुपये ।

ऐंटीबायोटिक्स संबंधी अनुसंधान

†१९६७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐंटी एकमात्र बायोटिक्स सम्बन्धी अनुसंधान करने के लिये एक प्रयोगशाला स्थापित करने की योजना को अन्तिम रूप देने के बारे में कोई और प्रगति की गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयोगशाला स्थापित की जायगी ; और

(ग) उस पर कुल कितनी राशि खर्च की जायगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) ऐसा कोई प्रस्ताव तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग). सवाल पैदा नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

†१९६८. { **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री बलराज मधोक :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री नवल प्रभाकर :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत घोषित करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कुल कितनी बस्तियां अधिकृत घोषित की जा चुकी हैं और बाकी के बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार अधिकृत बस्तियों में कुछ विशेष सुविधायें देना चाहती है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख). ३५ बस्तियों का भूमि आदि विभाजन दिल्ली निगम द्वारा स्वीकृत हो चुका है तथा ४१ बस्तियों की नियमितकरण की योजनायें तैयार कर ली गई हैं। अन्य ३२ बस्तियों का सर्वेक्षण हो चुका है, तथा योजनायें तैयार की जा रही हैं। केवल दस बस्तियों का सर्वेक्षण अभी तक नहीं होने पाया, क्योंकि इन के सम्बन्ध में भूमि विभाजन योजनायें नहीं बनी हैं। इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि इस कार्य की पूर्ति में कितना समय लगेगा ।

(ग) ऐसी बस्तियों में सुविधायें देने का काम नगर निगम का है, जो वहां प्रावस्थित कार्यक्रम के अनुसार प्लाट-होल्डर्स के खर्च पर आन्तरिक सड़कें, राजमार्ग को मिलाने वाली सड़कें, पानी, सैलाब के पानी की नालियां, सीवरेज, बिजली आदि का प्रबन्ध करेगा ।

सौराष्ट्र में पवन से बिजली तैयार करने का जेनेरेटर

†**१९६९. पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पवन-मिलों से बिजली तैयार करने के लिये सौराष्ट्र (गुजरात) में कोई अग्रिम योजनायें आरम्भ की गई हैं ;

(ख) यदि हां तो इस प्रयोग का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या इस प्रयोग के लिये कोई और स्थान चुना गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) :** (क) पोरबन्दर (सौराष्ट्र) में खावत कृषि कार्य में एक छः किलोवाट का पवन से बिजली तैयार करने का जनरेटर लगाया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस जैनरेटर से तैयार की गई बिजली का पानी निकालने के लिये प्रयोग किया जाता है ।

(ग) जी, हां । बंगलौर के पास ।

छपाई उद्योग पर कर की समान दर

†१९७०. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रामण : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपाई उद्योग पर समान दर से कर लगाने के लिये सरकार को कोई सुझाव दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में छपाई उद्योग पर लगाये गये कर के रूप के बारे में कोई अध्ययन किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) सवाल पैदा नहीं होता ।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन

†**१९७१. श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च १९६१ में नई दिल्ली में हुए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के त्रि-दिवसीय सम्मेलन में की गई सिफारिशों का क्या ब्यौरा है ;

(ख) क्या सरकार ने उन पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

†**गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार):** (क) सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुनर्बेलन मिलें

†१६७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा ईंधन** मंत्री २८ मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३८ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे राज्यों में जहां पुनर्बेलन मिल नहीं या कम हैं, नये पुनर्बेलन मिलें (रीरोलिंग मिल्स) स्थापित करने के बारे में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां तो क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). जैसे कि नये पुनर्बेल्लन मिलों के लिये सीमित गुंजाइश है, भारत सरकार ने कुछ राज्यों में, जिन के बारे में वह समझती है कि वहां ऐसे मिल नहीं हैं या कम हैं, प्रतिवर्ष १५,००० टन तक क्षमता के एक नये पुनर्बेलन मिल की अनुमति देने का फैसला किया है। इस के अनुसार निम्न राज्यों में से प्रत्येक में एक पुनर्वेल्लन मिल लगाने के लिये लाइसेंस देना अनुमोदित कर दिया गया है :—

राज्य	वार्षिक क्षमता
आसाम	११,४०० टन
बिहार	१५,००० टन
गुजरात	१५,००० टन
केरल	१५,००० टन
मद्रास	१५,००० टन

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के प्रार्थनापत्र, राज्य सरकार के परामर्श के साथ इन राज्यों में एक एक स्थान चुनने की दृष्टि से विचाराधीन हैं।

दिल्ली में खुले सिनेमा

†१६७३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री २८ मार्च १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली और नई दिल्ली में चार खुले सिनेमा लगाने के बारे में और क्या प्रगति हुई है।

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : रिज पर खुले सिनेमाओं के निर्माण का काम प्रगति पर है। अन्य सिनेमाओं के बारे में मामला विचाराधीन है।

दिल्ली विश्वविद्यालय कम्पस

†१६७४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
श्री नेक राम नेगी :

क्या **शिक्षा** मंत्री १० मार्च, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालय के विभिन्न पदाधिकारियों, और कालेजों के प्रिंसिपलों के क्षेत्राधिकार की सीमा और नियमों पर, जैसाकि दिल्ली विश्वविद्यालय कम्पस में शांति और व्यवस्था के प्रश्न के बारे में प्रौक्टर ने सुझाव दिया था, विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) विश्वविद्यालयों के विभिन्न अफसरों एवं कालेजों के प्रिंसिपलों के क्षेत्राधिकार की सीमा विश्वविद्यालय के अध्यादेश १५-क में मोटी रूपरेखा दी गई है । तथापि नियम, जिन का उद्देश्य इस अध्यादेश का अनुपूरक होना है, विश्वविद्यालय अधिकारियों के विचाराधीन है ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

कुवैत में भारतीय मुद्रा

†**१९७५. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १० अप्रैल १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १४२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुवैत में जो भारतीय मुद्रा प्रचलित थी क्या उन का विनिमय पूर्ण हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय मुद्रा निकालने के परिणामस्वरूप कितना धन अन्तर्ग्रस्त है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी, हां । तथापि कुवैत सरकार की किसी भी असाधारण मामले में, और ३० सितम्बर १९६१ तक करार के उपबन्धों के अनुसार, किसी भी नोट को जो उन को दिया जाये, स्वीकार करने का हक है । यह मालूम नहीं है कि आया करार के इस उपबन्ध के अन्तर्गत कोई नोट बदला गया है या बदला जायगा ।

(ख) अब तक ३४.२० करोड़ रुपये की लागत के नोटों का विनियम किया गया है । इन नोटों के मुकाबले में आस्तियों के भुगतान का दायित्व भारत सरकार द्वारा लिया गया है और १ जुलाई १९६१ से आरम्भ होने वाली ग्यारह वार्षिक किश्तों में दिया जाएगा । पहली किश्त के कारण होने वाला २.६३ करोड़ रुपये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है ।

भारतीय तेल शोधक कारखानों में विदेशी विशेषज्ञ

†**१९७६. श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक भारतीय तेल शोधक कारखाने में विदेशी विशेषज्ञों और शिल्पिकों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उन के स्थान पर कब तक भारतीय लोगों को लगाये जाने की संभावना है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारतीय तेल शोधन कारखाना सीमित इस समय नूनमती कारखाने में ५३ शिल्पिक हैं और बरौनी में अभी तक कोई नहीं है ।

(ख) तेल शोधक कारखाने जब पूर्ण उत्पादन कर लेंगे उसके पश्चात् लगभग छः महीनों के अन्दर ये शिल्पिक चले जाएंगे ऐसी आशा है ।

कांगों में भारतीय सैनिकों की कार की दुर्घटना

†**१९७७.** { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७३९ के उत्तर के

†मूल अंग्रेजी में

संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लियोपोल्डवील में भारतीय सैनिकों की कार की दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये बनाये गये जांच न्यायालय ने अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ख) यदि हां तो उसका क्या परिणाम निकला है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी हां।

(ख) लैंस नायक दयाचंद, जीप का ड्राइवर लापरवाही से कार चलाने में अपराधी पाया गया है और उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की जा रही है।

यूनेस्को के अधीन प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र

†१६७८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री कोडियान :
श्री अजित सिंह सरहदी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनेस्को के तत्वावधान में दिल्ली में शिक्षा आयोग की, प्रशासकों एवं पर्यवेक्षकों का प्रस्तावित प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) योजना का क्या स्वरूप है और कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा इस पर कितना व्यय होगा?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) उपयुक्त स्थान चुनने, पुस्तकालय साहित्य की सूचियों का तैयार किया जाना, उपकरण आदि संबंधी आवश्यक संगठन कार्य चल रहा है।

केन्द्र के लिये एक मसौदा संविदा भी यूनेस्को से प्राप्त हो चुका है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) केन्द्र यूनेस्क के सहयोग से भारत सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। इसके मुख्य कार्य ये हैं:—

(१) यूनेस्को के सहायक सदस्यों तथा इसमें भाग लेने वाले एशियाई सदस्य देशों के विभिन्न शिक्षा विभागों के अफसरों के लिये छोटे सेवान्तर्गत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना।

(२) शिक्षा संबंधी योजना, प्रशासन और पर्यवेक्षण के तरीकों का अनुसन्धान आरंभ करना एवं उसका विकास करना और उसके परिणाम यूनेस्को के सदस्य राज्यों और सहायक सदस्यों को देना:

(३) उन राज्यों को उनकी प्रार्थना पर, शिक्षा योजना सेवाओं का संगठन करने और राष्ट्रीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करने में सहायता करना;

---

†मूल अंग्रेजी में

सेवान्तर्गत पाठ्यक्रम में विभिन्न एशियाई देशों से १६ यूनेस्को अधिसदस्य होंगे और भारत अपने व्यय पर उतनी ही संख्या तक अपने प्रशिक्षणार्थी भेज सकता है।

केन्द्र पर कुल वार्षिक व्यय का अनुमान लगभग ३.५ लाख रुपये है, जिसका एक अंश की प्रतिपूर्ति यूनेस्को द्वारा की जाएगी या वह उपकरण आदि के रूप में उसका व्यय वहन करेगा।

भारतीय प्रशासन सेवा

†**१९७९. श्री नाथ पाई :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात की दष्टि से, कि आई० ए० एस० आदि की वार्षिक भर्ती की तीसरी पंचवर्षीय योजना में बढ़ाये जाने की संभावना है, सरकार अभ्यर्थियों की आयु सीमा में रियायत देने का विचार करती है ताकि सरकार तीसरी योजना की मांग को पूरा कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) यद्यपि तीसरी पंचवर्षीय योजना में भारतीय प्रशासनिक सेवा की वार्षिक भर्त्ती के बढ़ाये जाने की संभावना है, अभ्यर्थियों की ऊपर की नियत आयु-सीमा में रियायत देने का विचार नहीं है।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

राष्ट्रपति के राजभाषा सम्बन्धी आदेश को लागू करना

**१९८०. { श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री क० भे० मालवीय :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजभाषा समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति के कौन-कौन से निदेश लागू कर दिये गये हैं;

(ख) शेष निदेश कब तक लागू किये जायेंगे;

(ग) क्या कुछ ऐसे निदेश हैं जिन्हें लागू करने में कुछ समय लगेगा; और

(घ) यदि हां, तो वे कब तक लागू किये जायेंगे?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]**

केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, मैसूर

†**१९८१. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य**-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्था, ने नारियल को सुखाने से पूर्व उसका तेल निकालने का कोई नया तरीका निकाला है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) क्या इस तरीके को वाणिज्यिक स्तर पर अपनाने के योग्य समझा गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) जी हां, संस्था उस तरीके का अध्ययन कर रही है ?

(ख) एक अग्रिम संयंत्र पर प्रारम्भिक प्रयोग किये गये हैं ।

(ग) इस तरीके के बारे में कोई निश्चित राय व्यक्त करने से पूर्व कुछ और जांच करना आवश्यक है ।

सशस्त्र बल मुख्यालय के कर्मचारी

†**१९८२. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वरिष्टता और पदोन्नति के लिये ई टी ई सेवा को भी जोड़ने के आदेश जारी किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या सशस्त्र बल मुख्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की वरिष्टता इसके अनुसार निश्चित की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां। १३-८-१९५९ को यह आदेश जारी किये गये कि वरिष्टता और पदोन्नति के लिये उन कर्मचारियों की आधी ई टी ई सेवावधि जोड़ ली जाये जिन्होंने १-८-१९५१ को अथवा इससे पूर्व सशस्त्र बल मुख्यालय में नौकरी की।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कानपुर में रैजीडेंशियल यूनिवर्सिटी

†**१९८३. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस सुझाव को स्वीकार कर लिया है कि कानपुर में रैजीडेंशियल यूनिवर्सिटी स्थापित की जाये; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये कितनी आर्थिक सहायता दी जा रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त होने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राज्य सरकार को यह मंत्रणा दी थी कि कानपुर में सम्बद्ध-व-अध्यापन विश्वविद्यालय खोला जाये।

(ख) नये विश्वविद्यालय खोलने के लिये न तो केन्द्रीय सरकार कोई आर्थिक सहायता देती है और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आम हड़ताल में सम्मिलित हुए कर्मचारियों के मामलों का पुनरावलोकन

†१९८४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आदेश दिये गये हैं कि वही पदाधिकारी जिन्होंने जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने के आदेश जारी किये थे वही उन मामलों का पुनरावलोकन न करें ;

(ख) क्या वह पदाधिकारी इन मामलों का पुनरावलोकन करेंगे जिनका हड़तालियों से कोई सम्बन्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या आदेश दिये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). केन्द्रीय असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियम और अपील) नियमों के नियम ३२ और ३३ में निश्चित रूप से बताया गया है कि अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिये जारी किये गये आदेशों का पुनरावलोकन करने के लिये कौन से पदाधिकारी सक्षम हैं अतः प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आम हड़ताल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का शामिल होना

†१९८५. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, १९६० की हड़ताल में शामिल होने वाले कुछ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में अपीलें करने की मंजूरी दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो डाक तथा तार विभाग, प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों और रेलवे में ऐसे कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) उन कर्मचारियों की कुल संख्या क्या है जो अभी बेकार हैं; और

(घ) उन्हें पुनः नियुक्त करने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). यह जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जावेगी ।

(घ) हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् जुलाई १९६० में ये हिदायतें दे दी गई थीं नौकरी से निकाले गये अथवा हटाये गये कर्मचारियों के सभी मामलों का पुनरावलोकन किया जाना चाहिये और उस के अनुसार सक्षम प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

कानपुर की हारनैस और सैडलरी फैक्टरी में जूते बनाने का संयंत्र

†१९८६. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर की सरकारी हारनैस और सैंडलरी फैक्टरी में जूते बनाने के संयंत्र के लिये आवश्यक सभी मशीनें प्राप्त हो गई हैं; और

(ख) यदि हां तो कब तक उत्पादन आरम्भ होने की संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) लगभग तीन मास में।

कानपुर में आय, धन और दान करों की बकाया राशियां

†१९८७. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में करदाताओं से आय, धन और दान करों की बकाया राशियां वसूल कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां तो १५–७–६१ तक कुल कितनी राशि वसूल की जा चुकी थी ; और

(ग) अभी कितनी राशि बकाया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) कानपुर में करदाताओं से अभी समस्त बकाया देय वसूल नहीं किये गये हैं।

(ख) १५ जुलाई, १९६१ तक बकाया राशि में २.७० करोड़ रुपये की कमी कर दी गई थी।

(ग) अभी २.१० करोड़ रुपये बकाया हैं।

उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक का संभरण

†१९८८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बीच उत्तर प्रदेश में कोयले और साफ्ट कोक के संभरण की स्थिति सुधर गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थिति में और सुधार होने तक पर्याप्त मात्रा में संभरण जारी रहेगा ;

(ग) १ मार्च, १९६१ से १५ जुलाई, १९६१ तक की अवधि में उत्तर प्रदेश में कितने वैगन प्राप्त हुए ; और

(घ) इस अवधि में राज्य सरकार ने वास्तव में कितनी मांग की थी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जी हां। जून, १९६१ में लगभग ९२०० वैगन दिये गये जब कि फरवरी, १९६१ में ७७७० वैगन दिये गये थे। सरकार यह प्रयत्न कर रही है कि जहां तक सम्भव हो संभरण में सुधार होता रहे।

(ग) और (घ). ६५२५० वैगनों के कुल अभ्यंश में से उत्तर प्रदेश की १–३–१९६१ से १५–७–१९६१ तक ४०५२२ वैगन उत्तर प्रदेश को भेजे गये जिसका यह अर्थ है कि ६२ प्रतिशत मांग पूरी कर दी गई।

प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के संघों को मान्यता

†१९८९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के कितने संघों की मान्यता इस आधार पर वापस ले ली गई कि उन के कार्यकर्ताओं ने जुलाई, १९६० की हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) क्या सरकार ऐसे संघों को पुनः मान्यता दे रही है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) जुलाई, १९६० में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की हड़ताल में, जो अवैध ठहराई गई थी, शामिल होने के कारण प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के ३२ कार्मिक संघों को दी गई मान्यता वापस ले ली गई थी।

(ख) और (ग). अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

५०५ आर्मी बेस वर्कशाप

†**१९९०. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५०० आर्मी बेस वर्कशाप में वर्क्स कमेटी द्वारा चलाई जा रही वर्कर्स कैंटीन के मुकाबले में बिना कोई टेंडर मांगे एक ठेकेदार की कैंटीन खोल दी गई ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में वर्क्स कमेटी से परामर्श किया गया था ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). दिल्ली के कारखाना मुख्य निरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् वर्कशापों के सैनिक कर्मचारियों के लिये ठेकेदार के प्रबन्ध में एक कैंटीन खोल दी गई। मुख्य निरीक्षक ने मंत्रणा दी कि सैनिक कर्मचारियों के लिये अलग कैंटीन खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। असैनिक कर्मचारियों की कैंटीन, जिसका प्रबन्ध कैंटीन प्रबन्धक समिति करती है, से मुकाबला करने का कोई विचार नहीं था। इस के लिये कोई टैंडर नहीं मांगे गये बल्कि एक आर्मी कंट्रैक्टर को जो पहले से सेना क्षेत्र में कैंटीन चला रहा था, इन वर्कशापों में कैंटीन खोलने के लिये उसका ठेका बढ़ा दिया गया। वर्क्स कमेटी से परामर्श करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि सैनिक कर्मचारियों के लिये कैंटीन खोलने का वर्कशाप के असैनिक कर्मचारियों से कोई सम्बन्ध नहीं था।

सेना इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) के कर्मचारी

†**१९९१. श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना इंजीनियरिंग सेवा (एम० ई० एस०) के कर्मचारियों को अपनी पत्नी या बच्चे सेना अथवा रेलवे के अस्पतालों में भर्ती कराने पर ३ रुपये प्रतिदिन ठहरने की फीस के तौर पर देने होते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसे बढ़ाये जाने का क्या कारण है ;

(ग) क्या यह वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुकूल है; और

(घ) यदि नहीं तो पहले जैसी फीस फिर लागू करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) सेना इंजीनियरिंग सेवा कर्मचारियों को, यदि वे अपनी औरतें या बच्चे सैनिक अस्पताल में भर्ती करायें तो ३ रुपये से लेकर १६ रुपये प्रतिदिन तक फीस के तौर पर देना पड़ता है। इस के अतिरिक्त जिन की आमदनी ८०० रुपये से अधिक होती है उन्हें १० रुपये और अन्य व्यक्तियों को ५ रुपये फीस चिकित्सा पदाधिकारी को देनी पड़ती है। जिन बच्चों की उम्र १२ वर्ष से कम है उन के लिये दोनों फीसें आधी कर दी जाती हैं। इस सेवा के अनोद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारी जो सी० एस० (एम० ए०) नियम, १९४४ के अधीन आते हैं उन को अपनी स्त्रियों और बच्चों के लिये अनुमित अंश तक रुपया वापस कर दिया जाता है।

†मूल अंग्रेजी में

नियमों के अधीन सेना इंजीनियरिंग सेवा कर्मचारियों की स्त्रियों और बच्चों को रेलवे अस्पतालों में इलाज के लिये भर्ती नहीं किया जाता।

(ख) इन दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) इस विषय में वेतन आयोग द्वारा कोई खास सिफारिश नहीं की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दार्जिलिंग में ऊंचाई पर चिड़ियाघर

†१९९२. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री नेक राम नेगी :
श्री स० चं० सामन्त : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दार्जिलिंग में ऊंचाई पर चिड़ियाघर बनाने का काम शुरू हो गया है ;

(ख) यह किस की निगरानी में शुरू हुआ है ;

(ग) यह काम कब पूरा होगा ;

(घ) इस चिड़ियाघर में कौन-कौन से जानवर रखे जायेंगे ; और

(ङ) इसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी, हां।

(ख) पश्चिम बंगाल सरकार की निगरानी में।

(ग) १९६५–६६ तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(घ) इस समय चिड़ियाघर में निम्नलिखित जानवर रखे गये हैं :—

१. हिमालय का काला रीछ।
२. हिमालय का काकड़।
३. हिमालय की पाम सिवेट बिल्ली।
४. तेंदुए, और
५. तेंदुई बिल्ली।

इनके अलावा रूस के प्रधान मंत्री ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को जो दो युसुरी शेर भेंट किये थे और जो इस समय कलकत्ते के चिड़ियाघर में हैं वे भी इस चिड़ियाघर में रखे जायेंगे।

हिमालय में रहने वाले पशु पक्षी की किस्में वहां होंगी जिन में ये भी शामिल हैं :—

१. भूरा रीछ।
२. ध्रुवीय रीछ।
३. वर्फ में रहने वाला तेंदुआ।
४. छोटा कार्नीवोरा।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. फीजेन्ट्री
६. थार
७. तिब्बती हिरन
८. एक्वेटिक चिड़ियां (विभिन्न प्रकार की)

चिड़ियाघर में हिमालय में ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले जंगली जानवरों पर अनुसंधान के लिये एक अनुसंधान विभाग भी होगा ।

(ङ) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग १४'०० लाख रुपये ।

प्रादेशिक इंजीनियरिंग विद्यालयों में भर्ती

†१९९३. { **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नेक राम नेगी : }

क्या **वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रादेशिक इंजीनियरिंग विद्यालयों में भर्ती के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई है ;

(ख) इन में भर्ती की न्यूनतम योग्यता क्या है ; और

(ग) चालू वर्ष में भर्ती किये विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है ?

†वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) दुर्गापुर और जमशेदपुर विद्यालयों को छोड़ कर समस्त प्रादेशिक विद्यालयों में योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवेश मिलता है ।

(ख) इलाहाबाद, नागपुर और जमशेदपुर के विद्यालयों में शिक्षा-योग्यता विज्ञान (भौतिकी, रसायन शास्त्र और गणित) में इंटरमीजिएट अथवा उसके बराबर की होनी चाहिये । अन्य स्थानों पर हायर सेकण्डरी का प्रमाण पत्र काफी है ।

(ग) विद्यालयों में इस समय भी भर्ती चल रही है अतः निश्चित आंकड़े प्राप्त नहीं हैं । फिर भी आशा है कि लगभग १७०० विद्यार्थी भर्ती किये जायेंगे ।

पर्वतारोहण

†१९९४. श्री कोडियान : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेल की अखिल भारतीय परिषद् के पास देश के विभिन्न भागों में नौजवानों को पर्वतारोहण के लिये प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) (क) हां, श्रीमान ।

(ख) योजना की मुख्य बातें ये हैं (१) हिमालय पर्वतारोहण संस्था, दार्जिलिंग का इस प्रकार विकास करना कि पर्वतारोहण को देश में एक खेल बनाने के लिये वह एक महत्वपूर्ण एजेन्सी का काम करे (२) एक अखिल भारतीय स्कीइंग क्लब की स्थापना करना और (३) विश्वविद्यालयों में पर्वतारोहण क्लब स्थापित करना और उन्हें आर्थिक सहायता देना ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास में व्यायाम शिक्षा संगठनों को सहायता

†१६६५. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में किन व्यायाम शिक्षा संगठनों को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता १६५६–६० और १६६०–६१ में संघ सरकार से प्राप्त हुई ; और

(ख) इसी अवधि में किन संगठनों ने ऐसी सहायता के लिये आवेदन किया और उन्हें यह सहायता न दी गई ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) १६५६–६०

(१) मारुति शारीरिक शिक्षा विद्यालय, पेरियानाम केन-पलयम, जिला कोयम्बटूर	५,०००	रुपये
(२) अलगप्पा शारीरिक शिक्षा विद्यालय, कराईकुडी (मद्रास)	१६,५००	रुपये
१६६०–६१		
(१) वाई० एम० सी० ए० शारीरिक शिक्षा विद्यालय, मद्रास	१२,५००	रुपये
(ख) योगासन डेगपयीरची सलाई, परमाकुडी, रामनद जिला (मद्रास)	१२,५००	रुपये

कोलार और हट्टी की सोने की खानें

†१६६६. **श्री सुब्बया अम्बलम् :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य को कोलार और हट्टी की खानों से सोना खरीदने के लिये कोई आर्थिक सहायता दी जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ; और

(ग) १६५६–६० और १६६०–६१ में इन खानों से कितना सोना निकाला गया और उसमें कितना केन्द्र ने प्रति वर्ष खरीदा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). १६५८–५६ से १६६०–६१ के तीन वर्षों में मैसूर सरकार को ७·५२ करोड़ रुपया सहायता के रूप में दिया गया।

(ग) जुलाई, १६५८ से अब तक कोलार और हट्टी की खानों से निकाला गया सारा सोना केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। पिछले दो वर्ष १६५६–६० और १६६०–६१ में सरकार ने वहां से क्रमशः ५·२८ और ४·६५ मिलियन ग्राम सोना प्राप्त किया।

बिक्री कर

†१६६७. **श्री दामानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ और मदों पर बिक्री कर के बजाय उत्पादन शुल्क लगाने का अंतिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्योरा है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). राज्यों के मुख्य/वित्त मंत्रियों की सीमित, जिसने आम खपत की कुछ और वस्तुओं पर बिक्री कर के बजाय उत्पादन का अतिरिक्त

---

†मूल अंग्रेजी में

कर लगाने के प्रश्न पर विचार किया, ने अक्टूबर, १९६० में यह सिफारिश की थी कि **असली** रेशम के कपड़े पर बिक्री कर के बजाय उत्पादन का अतिरिक्त कर लगाया जाये। सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और वित्त एक्ट, १९६१ के अधीन मिलों और बिजली के करघों में बने ऐसे वस्त्र पर ऐसा कर लगाया गया।

मेंगनीज़ समिति की रिपोर्ट

†१९९८. { **श्री दासानी :**
श्री मोरारका : }

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज सलाहकार बोर्ड की मेंगनीज़ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो मेंगनीज़ का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार से क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय लिये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) जीं, हां।

(ख) और (ग). मांगी गई जानकारी का विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]**

तस्कर व्यापार

†१९९९. **श्री दासानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में चोरी छिपे माल लाने के मामले ले जाने के मामलों से अधिक होते हैं; और

(ख) इसमें मुख्य वस्तुएं क्या होती हैं ?

वित्त मंत्री श्री **मोरारजी देसाई**) जी, हां।

(ख) भारत में चोरी छिपे आने वाली मुख्य वस्तुएं सोना, हीरे, आभूषण, रुपया, घड़ियां तथा अन्य श्रृंगार और उपभोग की वस्तुएं हैं।

बाहर जाने वाली मुख्य वस्तुएं रुपया, हीरे, और अफीम हैं।

अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र

†२०००. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द : }

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र, जो फरवरी, १९६१ में चालू हुआ था, का प्रमुख विदेशी राजधानियों में कार्यालय खोलने का विचार है, और यदि हां, तो किन-किन स्थानों में ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विनियोजन केन्द्र के मुख्य कार्य क्या हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अभी भारतीय विनियोजन केन्द्र की एक शाखा, न्यूयार्क में खोलने का निश्चय किया गया है । बाद में ब्रिटेन, यूरोप और जापान में भी शाखा कार्यालय खोले जायेंगे ।

(ख) भारतीय विनियोजन केन्द्र के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं :—

(१) विश्व के पूंजी निर्यात केन्द्रों में भारत में विनियोजन संबंधी शर्तों, विधियों, नीतियों और प्रक्रियाओं और भारत में विनियोजन के अवसरों की विस्तृत जानकारी प्रदान करना ।

(२) भारतीय व्यापारियों, मध्यम और छोटों को सम्मिलित करके, को विदेशी गैर-सरकारी पंजी और प्रविधि के आकर्षित करने के लिये आवश्यक मामलों में परामर्श और सहायता देना ।

(३) विदेशी व्यापारियों को भारत में विनियोजन से संबंधित मामलों में परामर्श और सहायता देना ।

(४) विशेष उद्योगों के संबंध में विदेशी विनियोजन संभावनाओं का सर्वेक्षण और अध्ययन ।

(५) भारत में विनियोजन के अवसरों और सामान्य स्थिति के संबंध में विदेशों में प्रचार ।

उड़ीसा में श्रम और समाज कल्याण शिविर

†**२००१. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में १९६०-६१ के दौरान केन्द्रीय सरकार के अनुदान से विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा कितने श्रम एवं समाज कल्याण शिविर संचालित किये गये ;

(ख) इस अवधि की उपलब्धियां क्या हैं ; और

(ग) उड़ीसा में १९६१-६२ में ऐसे कितने शिविर चलाने का प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)**: (क) ५९ शिविर ।

(ख) शिविर में रहने वाले व्यक्तियों ने ग्राम समुदायों से परिचित होने के अतिरिक्त अनेक छोटी छोटी निर्माण कार्य परियोजनायें जैसे, पहुंचाने और मिलाने वाली सड़कों की मरम्मत और निर्माण, नालियों और पेड़ लगाने के गढों, पानी खोखने के गढों और खाद के गढों की खुदाई, स्कूलों के खेल के मैदानों को समतल बनाना, एक प्राइमरी स्कूल का इमारत की नींव की खुदाई, स्कूल की इमारत की दीवारों और ग्राम समुदाय केन्द्रों का निर्माण, तालाबों को गहरा करना और गांव की सफाई की व्यवस्था में सुधार,पूरी कीं । महिलाओं ने पड़ौस संबंधी सेवा की अर्थात्, घरों की सफाई, बच्चों की देखभाल, बीमारों की देखभाल और गांवों को सड़कों, नालियों आदि की सफाई ।

(ग) १ अप्रैल, –३१ जुलाई, १९६१ की अवधि में २० शिविर मंजूर किये गये थे । शेष वर्ष के लिये प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रत्नागिरि जिले में चोरी छिपे लाई गई लौंगों का पकड़ा जाना

†२००२. **श्री आसर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी अथवा मार्च, १९६० में महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले में ग्राम सैतवादा में कस्टम अधिकारियों ने चोरी से लाई गई लोगों के ३७ बड़े बंडल पकड़े थे;

(ख) यदि हां, तो पकड़े गये माल का मूल्य कितना है ;

(ग) क्या इस मामले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस मामले में कस्टम अधिकारी को मुअत्तल किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या इस मामले की कार्यवाही समाप्त हो गई है और, यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) २७ अप्रैल, १९६० को महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले में जैगाद पत्तन के पास स्थित सैतवादा गांव में लौंगों के ६८ बोरे, जिनके गोवा से चोरी छिपे लाये जाने का सन्देह था, पकड़े गये थे।

(ख) पकड़ी गई लौंगों का मूल्य लगभग ७०,००० रुपये है।

(ग) और (घ). कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वह माल उस समय खुले में पड़ा हुआ था और उसका कोई दावेदार नहीं मिला।

(ङ) और (च)· एक कस्टम तथा केन्द्रीय एक्साइज इंसपेक्टर को मुअत्तल किया गया है क्योंकि प्रथम दृष्टि में इस तस्करी में उसका सहयोग मालूम होता है।

(छ) जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि यह मामला बड़ा पेचीदा है और उसमें अनेक अन्तर्ग्रस्ततायें हैं।

सुन्दरनगर दिल्ली में हत्या

†२००३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ जून, १९६१ को सुन्दर नगर में कुछ चोरों ने एक छै वर्ष की लड़की को गला घोटकर मार डाला और उसकी गर्भिणी मां को मारा तथा २०,००० रुपये की नकदी और गहने लेकर भाग गये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री दातार)**: (क) जी हां। परन्तु चुराई गई सम्पत्ति का मूल्य १२,००० रुपये है, २०,००० रुपये नहीं।

(ख) तीन व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

डोलोमाइट

†२००४. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट पाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किस जिले में और कितनी मात्रा में ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) जलपाईगुरी जिले में । उस क्षेत्र में किये गये भूतल-मानचित्रण के आधार पर ६६,०००० लाख टन (अथवा ७,०१० मीट्रिक टन) मात्रा का आकलन किया गया है ।

दार्जिलिंग जिले में भी डोलोमाइट के पाये जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

बरौनी तेल शोधन कारखाने में चिकनाई के तेलों का उत्पादन

†२००५. { **श्री अरविन्द घोषाल :**
श्री मुरारका :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी के तेल शोधन कारखाने में पेट्रोलियम उत्पादों के अतिरिक्त चिकनाई के तेलों (लुब्रिकेन्ट्स) का उत्पादन भी किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादन के तरीकों में कोई परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)**: (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). उत्पादन में इस परिवर्तन के कारण जूट बैचिंग आयल का उत्पादन नहीं हो सकेगा ।

क्वार्टजाइट निक्षेप

†२००६. { **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में फैसे-सिलीकोन के क्वार्टजाइट निक्षेप पाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनको उपयोग में लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) हां, श्रीमान् । फैरोसिलीकोन के लिये उपयुक्त क्वार्टजाइट बैड सुन्दरगढ़ जिले में बामरा, दामदापाड़ा, किचींडा, हल्दीपानी, मालसारा **और तारगा के निकट पाये गये हैं ।**

---

†मूल अंग्रेजी में

क्योंझर जिले में फुलजोरा हूली और बौला राज्य वनक्षेत्र में और मयूरभंज जिले में पानीजिया में पाये जाने वाले सफेद क्वार्टजाइट फैरो सिलीकोन के निर्माण के लिये उपयुक्त हो सकते हैं।

(ख) ज्ञात हुआ है कि एक गैर-सरकारी पक्ष को फैरोसिलीकोन के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश प्रशासन के अधिकारी

†२००७. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश प्रशासन के समस्त विभागों में प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय श्रेणियों के कितने कितने अधिकारी हैं; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) :

प्रथम श्रेणी	११४
द्वितीय श्रेणी	३२७
तृतीय श्रेणी	१०,७५९
(ख) प्रथम श्रेणी	४
द्वितीय श्रेणी	८
तृतीय श्रेणी	९३१

मनीपुर प्रशासन के अधिकारी

†२००८. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर प्रशासन के समस्त विभागों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क)

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
३८	२३६	३,२०४

(ख)	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
अनुसूचित जातियां	०	१	१४
अनुसूचित आदिम जातियां	४	३२	४६३

†मूल अंग्रेजी में।

त्रिपुरा प्रशासन के अधिकारी

†२००९. **श्री भा० कृ० गायकवाड़ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा प्रशासन के समस्त सरकारी विभागों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणियों के कितने-कितने कर्मचारी हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क)

प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
४०	२७६	४५०१

	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी
(ख) अनुसूचित जातियां	१	३	२६२
अनुसूचित आदिम जातियां	६	१०	३६५

पानागढ़ में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधायें

†२०१०. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानागढ़ (पश्चिम बंगाल) में प्रतिरक्षा संस्थापनों के असैनिक कर्मचारियों के लिए सस्ते परिवहन की व्यवस्था की गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी बसों की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि यह लाभ केवल २५ कर्मचारियों को उपलब्ध है ;

(घ) क्या अन्य को सवारी भत्ता दिया जाता है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (ग). पानागढ़ में असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों को सस्ता परिवहन उपलब्ध करने के लिए तीन तीन टन की दस मोटरगाड़ियां, जिनमें से प्रत्येक में २५ व्यक्तियों के बैठने की जगह है, आवण्टित की गई हैं। चूंकि अधिकांश कर्मचारी इस रियायत का लाभ नहीं उठाना चाहते हैं इसलिए केवल एक मोटरगाड़ी काम में लाई जा रही है।

(घ) नहीं, श्रीमान् ।

(ङ) निवास-स्थान और कार्य के बीच की यात्रा के लिए सवारी भत्ता एक युद्धकालीन रियायत थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद खत्म कर दी गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली की 'कृष्ण पार्क' बस्ती

†२०११. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के पश्चिमी ज़ोन में नजफगढ़ रोड पर गौतम नगर, महावीर नगर और कृष्णापुरी के निकट स्थित महावीर हाउसिंग सोसाइटी की 'कृष्ण पार्क' बस्ती एक मंज़ूर शुदा बस्ती है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसे १ मई, १९६१ को दिए गए अतारांकित प्रश्न संख्या ४२०३ के उत्तर में निर्दिष्ट अनधिकृत बस्तियों के विवरण में सम्मिलित न करने और आवश्यक सूचना न देने का क्या कारण है ;

(ग) क्या 'कृष्ण पार्क' की तरह और भी ऐसी रहने की बस्तियां हैं जिनके नाम न तो अनुमोदित बतिस्यों की सूची में हैं और न उपरोक्त अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में निर्दिष्ट अनधिकृत बतिस्यों के विवरण में हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन बस्तियों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक में कितने मकान बनाए गए हैं और कितने प्लाट खाली हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, नहीं।

(ख) अनधिकृत बस्तियों का विवरण दिल्ली नगर निगम द्वारा इन बतिस्यों को प्रतिमान नक्शों में फिट करने, यदि संभव हो, और उनके लिए उपयुक्त विनियमन योजनायें तैयार करने की दृष्टि से तैयार किया गया था । जिन क्षेत्रों को प्रथम दृष्टि में इस प्रकार विनियमित नहीं किया जा सकता है वे विवरण में सम्मिलित नहीं हैं। 'कृष्ण पार्क' एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अभी तक विनियमन के योग्य अनधिकृत बस्ती नहीं समझा गया है । परन्तु निगम इस बात पर विचार कर रही है कि क्या उसके उस भाग का विनियमन किया जा सकता है जिसमें निर्माणकार्य हो चुका है ।

(ग) और (घ). कृष्ण पार्क की तरह अन्य क्षेत्र भी हैं अर्थात् पालम एनक्लेव, बस्ती खान सिंह और नंगल राया। इन क्षेत्रों में निर्मित मकानों और खाली प्लाटों के सम्बन्ध में नक्शों के अभाव के कारण कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना

†२०१२. **श्री बलराज मधोक** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से असैनिक कर्मचारी, विशेषकर दूसरी और तीसरी श्रेणियों के, जो सशस्त्र बल मुख्यालय और केन्द्रीय युद्ध सामग्री डिपोओं में १० से १५ वर्ष तक सेवा कर चुके हैं ; अभी तक स्थायी नहीं बनाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अविलम्ब स्थायी बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) यह आदेश जारी किया गया है कि सैनिक संस्थापनों और अन्य कार्यालयों, जो स्थायी प्रकृति के हैं, और युद्ध सामग्री डिपोओं तथा औद्योगिक संस्थापनों में विभिन्न वेतन-क्रमों के ८० प्रतिशत अस्थायी पदों को, जिनकी आवश्यकता स्थायी प्रकृति के कर्य के लिए है और जो १-४-१९५६ को निरन्तर ३ वर्षों से चल आ रहे हैं, स्थायी पदों में परिवर्तित

†मूल अंग्रेजी में

कर दिया जाना चाहिए । उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा प्रत्येक सेवा वेतनक्रमों में स्थायी पदों के निर्माण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है और जैसे ही यह कार्य हो जायेगा उचित सेवा, वेतनक्रम अथवा पद के उपयुक्त नियमों के अनुसार स्थायीकरण किए जायेंगे। कुछ वेतनक्रमों में स्थायीकरण किए जा चुके हैं।

त्रिपुरा का शिक्षा निदेशालय

†२०१३. **श्री दशरथ देब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के शिक्षा निदेशालय के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). मुख्य आयुक्त से मामले में विभागीय जांच करने के लिए कहा गया है । जांच का परिणाम प्रतीक्षित है ।

मद्रास में कावेरी बेसिन में तेल

†२०१४. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में कावेरी बेसिन में तेल की खुदाई इस वर्ष के अन्त तक प्रारम्भ हो जायेगी ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा खोज कार्य अकेले किया जा रहा है अथवा किसी विदेश के सहयोग से ; और

(ग) खोज के लिए कौन सा क्षेत्र चुना जा रहा है और कितने स्थान पर छिद्रण किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) नहीं, श्रीमान् । कावेरी बेसिन में छिद्रण कार्य के लिए क्षेत्र का सीमांकन अभी नहीं किया गया है ।

(ख) तेल की खोज का कार्य तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा संचालित किया जा रहा है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

विद्युत् चालित करघों पर बने कपड़ों पर उत्पादन-शुल्क

†२०१५. { **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने सरकार से विद्युत् चालित करघों पर बने वस्त्रों पर उत्पादन-शुल्क खत्म करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार ने मामले की जांच की है परन्तु वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करना उचित नहीं समझती है विशेषकर जबकि विद्युत् चालित करघों पर उत्पादित रूई, कृत्रिम-रेशम, नकली रूई और ऊन से बन सभी वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क लगा हुआ है।

त्रिपुरा में तूफान से पीड़ित व्यक्ति

†२०१६. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आदिवासियों की संख्या कितनी है जिन्हें, त्रिपुरा में मई, १९६१ के तूफान में नष्ट हुए झोपड़ों की क्षतिपूर्ति के रूप में सहायता मिलती है ;

(ख) त्रिपुरा के तूफान पीड़ितों को अभी तक कितना ऋण दिया गया है; और

(ग) ऐसे ऋण का ब्याज क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ८३९ आदिवासी परिवार।

(ख) भारत सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों को ऋण देने के लिये २ लाख रुपये की राशि मंजूर की है। प्रशासन को ऋणों के लिये प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये हैं तथा उनकी छानबीन की जा रही है। योग्य प्रार्थियों को ऋण शीघ्र ही वितरित कर दिये जाने की आशा है।

(ग) ३$^3/_4$ प्रतिशत प्रतिवर्ष।

शोलापुर की ओल्ड मिल से आयकर की बकाया राशि

†२०१७. श्री आसर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शोलापुर (महाराष्ट्र) की ओल्ड मिल पर आयकर के एक करोड़ बीस लाख रुपये बकाया हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह राशि १९४० से बकाया है ;

(ग) यदि हां, तो मिल से यह राशि इतने दिन से बकाया बनाये रखने का क्या कारण है; और

(घ) सरकार द्वारा उस राशि की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). आवश्यक जानकारी का प्रकटीकरण भारतीय आयकर अधिनियम की धारा ५४ के उपबन्धों द्वारा निषिद्ध है।

त्रिपुरा के स्कूलों में मनीपुरी विद्यार्थी

†२०१८. श्री दशरथ देब : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) त्रिपुरा के हायर सैकंडरी और हाई स्कूलों में इस समय कितने मनीपुरी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ;

(ख) उनमें कितने विद्यार्थियों को खाने पीने का खर्चा[1] मिल रहा है; और

(ग) उन्हें खाने पीने के खर्चे के रूप में अधिक सुविधायें देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Boarding stipends.

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ४४२ ।

(ख) किसी को भी नहीं ।

(ग) कोई नहीं । खाने पीने का खर्च केवल अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को मंजूर किया जाता है ।

त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन में पुनर्वास केन्द्र

†२०१९. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन के विस्थापित व्यक्ति पुनर्वास केन्द्रों के अन्तर्गत भूमि का त्रिपुरा प्रशासन के सर्वे तथा बन्दोबस्त विभाग द्वारा सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भूमि के आवंटन, भूमि के अधिग्रहण और भूमि के माप और अभिलेखन के मामलों में कोई अनियमिता पाई गई थी ;

(ग) यदि हां, तो ये अनियमिततायें किस प्रकार की हैं ; और

(घ) इन अनियमितताओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां, कुछ भिन्नतायें पाई गई थीं ।

(ग) ये भिन्नतायें निम्न प्रकार की हैं :

(१) कुछ विस्थापित व्यक्तियों द्वारा कम अथवा अधिक कब्जा ;

(२) वास्तविक कब्जा आवंटन की योजना के अनुसार न होना ; और

(३) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दखल जो उस बस्ती के निवासी नहीं हैं और जिन्हें वास्तव में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई थी ।

(घ) वे अनियमिततायें अन्य बातों के साथ साथ इस कारण हैं कि आवंटन के समय कोई विश्वसनीय भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं था क्योंकि पहले भूमि का मालगुजारी ठहराने वाला सर्वेक्षण नहीं हुआ था । इस समय त्रिपुरा का प्रावस्थाभाजित पंचवर्षीय मालगुजारी ठहराने वाला सर्वेक्षण कार्यक्रम चल रहा है । इन सर्वेक्षणों और बन्दोबस्त कार्यों में लोगों के भूमि पर सही अधिकारों का रिकार्ड तैयार किया जायेगा । इसके अतिरिक्त उन लोगों को भी भूमि देने के सिद्धांत बनाये गये हैं जो उस पर अनधिकृत कब्जा किये हुये हैं । ये सिद्धांत त्रिपुरा की मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं और भूमि का अनधिकृत कब्जा तदनुसार नियमित कर दिया जायेगा ।

त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन में खास भूमि

†२०२०. **श्री दशरथ देब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन में खास सरकारी भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है ;

(ख) कमालपुर डिवीजन में कितनी खास सरकारी भूमि भूमिहीन किसानों के अनधिकृत कब्जे में है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरकार इस खास भूमि में उन्हीं भूमिहीन किसानों को, जो उन पर कब्जा किये हैं, बिना नजराना व्यय अथवा फीस वसूल किये, बसाने का विचार कर रही है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) ९२,७६९.०६ एकड़ ।

(ख) २,३१३.४६ एकड़ ।

(ग) भूमि का उस पर काबिज़ व्यक्तियों के साथ बन्दोबस्त गृह-मंत्री की त्रिपुरा संबंधी मंत्रणा समिति द्वारा अनुमोदित सिद्धांतों और शर्तों के अनुसार कुछ मामलों में बिना कोई व्यय वसूल किये और अन्य मामलों में प्रीमियम जो कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि और शहरी भूमि के लिये भिन्न भिन्न है वसूल करने के बाद किया जायेगा ।

औद्योगिक वित्त निगम

२०२१. श्री खुशवक्त राय : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक औद्योगिक वित्त निगम को विदेशी मुद्रा के रूप में कितनी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) कितने और कौन कौन से उद्योगों (गैर-सरकारी) को अलग-अलग कितनी-कितनी सहायता अब तक दी गयी है ; और

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धन राशि विदेशी मुद्रा में मिलेगी और उसका किस प्रकार उपयोग किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया) को विदेशी मुद्रा के रूप में अब तक कुल एक करोड़ अमरीकी डालर की सहायता उपलब्ध हुई है ।

(ख) निगम ने जिस सहायता के लिये मंजूरी दी है उसके बारे में एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

(ग) उपयुक्त औद्योगिक प्रायोजनाओं विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिये निगम, विदेशी मुद्रा के रूप में और भी कर्ज़ या उधार पाने के जरिये ढूंढ रहा है ।

मनीपुर में बहुप्रयोजनीय स्कूल

†**२०२२. श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर के लिये दूसरी पंचवर्षीय योजना में केवल एक बहुप्रयोजनीय स्कूल का उपबन्ध किया गया है ;

(ख) क्या वह स्कूल इम्फाल से २७ मील दूर मोएरांग में स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) माएरांग के हाई स्कूल को बहुप्रयोजनीय स्कूल में परिवर्तित किये जाने के लिये मुख्यतः इस कारण चुना गया था कि उसमें ११¹/₂ एकड़ भूमि थी जिसका उपयोग कृषि की शिक्षा और स्कूल का भविष्य में विस्तार करने के लिये किया जा सकता है।

मनीपुर में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट

†२०२३. **श्री लें० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधिकारों का प्रतिपादन करने के लिये जिला तथा सत्र न्यायाधीश की सिफारिश की आवश्यकता होती है ; और

(ख) क्या मनीपुर में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेटों के अधिकारों का प्रतिपादन करने के सभी मामलों में मनीपुर के जिला तथा सत्र न्यायाधीश की सिफारिशें प्राप्त की गयी थीं ?

†**गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर के तेंगनौपाल सब-डिवीजन म आदिम जातीय कल्याण

†२०२४. **श्री लें० अचौ सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६०–६१ में मनीपुर के तेंगनौपाल सब डिवीजन में आदिम जातीय कल्याण पर ८००० रुपये खर्च किये गये थे; और

(ख) क्या यह सच है कि खर्च की गयी धनराशि से कोई काम नहीं किया गया ?

†**गृह-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) और (ख). जी, नहीं। वर्ष १९६०–६१ में मनीपुर के तेंगनौपाल सब डिवीजन में ३.२४ लाख रुपये खर्च किये गये। एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें क्रियान्वित की गयी योजनाओं और आदिम जातीय कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त काम और वित्तीय लक्ष्य के बारे में बताया गया है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**।

तेल समन्वेषण के लिये विदेशी सहयोग

†२०२५. **श्री कालिका सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० देव :
श्री अजित सिंह सरहदी :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तेल समन्वेषण में विदेशी सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने

†मूल अंग्रेजी में

के लिये खान और तेल मंत्री को विदेशी देशों के अपने ग्रीष्मकालीन दौरे में कितनी सफलता प्राप्त हुई;

(ख) तेल समन्वेषण के किन क्षेत्रों के बारे में सहयोग प्राप्त किया जा रहा है; और

(ग) तेल समन्वेषण और विदेशी सहयोग की वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) फ़्रांस में हुई वार्ता के परिणाम स्वरूप––एक फ़्रांसीसी सरकारी उपक्रम––फ़्रेंच पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की प्राधिकारियों के साथ तीन वर्ष तक राजस्थान राज्य क जैसलमेर क्षेत्र में पेट्रोलियम की खोज करने की बात तै की गयी। इस बारे में प्रस्तावित ऋण व्यवस्था के व्योरे के बारे में भारत सरकार और फ़्रांस सरकार के बीच बातचीत चल रही है। इटली में तेल की खोज के लिये सहयोग सम्बन्धी ई० एन० आई० की प्रस्थापना पर आगे विचार किया गया और इसके परिणामस्वरूप ई० एन० आई० ने एक वैकल्पिक प्रस्ताव, अर्थात आस्थगित भुगतान के आधार पर विशेष प्रकार की सेवाओं आदि के रूप में २ करोड़ डालर का ऋण का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव (तेल उद्योग परियोजनाओं के लिये १ करोड़ डालर के प्रथम प्रस्ताव के अतिरिक्त) विचाराधीन है।

(ख) फ़्रेंच पेट्रोलियम इंस्टीटयूट के साथ व्यवस्था जैसलमेर क्षेत्र के एक भाग के लिये है; ई० एन० आई० के साथ प्रस्तावित सहयोग के लिये कार्य के स्थानों के बारे में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और ई० एन० आई० द्वारा चुनाव किया जायेगा।

(ग) फ़्रेंच पेट्रोलियम इन्स्टीट्यूट के साथ करार और ई० एन० आई० के साथ प्रस्तावित ऋण व्यवस्था के अतिरिक्त, २७ जुलाई, १९६१ को बर्मा तेल कम्पनी के साथ आयल इण्डिया लिमिटेड के वर्तमान करार को संशोधित करके एक अनुपूरक करार पर हस्ताक्षर किये गये।

स्टैण्डर्ड वैकुअम और कान्टीनेन्टल आयल कम्पनियों के साथ वार्ता इस समय रुकी हुई है और इनके साथ वार्ता पुनः चालू हो सकती है।

प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकों का मुद्रण

†**२०२६. श्री कालिका सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शिक्षा संस्थाओं के लिये सस्ती और प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकें निकालने के लिये पश्चिम जर्मन सरकार की सहायता से एक मुद्रणालय स्थापित करने की योजना का क्या व्योरा है ;

(ख) उपरोक्त मुद्रणालय की अनुमानित लागत और क्षमता क्या है ;

(ग) क्या मुद्रणालय स्थापित हो जाने के बाद प्राथमिक कक्षाओं के बालकों को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें देने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या व्यौरा है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ). पश्चिम जर्मनी की सरकार ने लगभग १० लाख जर्मन मार्कस की कीमत का एक मुद्रणालय उपहार में दिया है। और बातचीत जारी है। इसकी स्थापना होने पर, यह प्रस्थापना है कि इस मुद्रणालय को, मुख्यतः संघ-राज्य-क्षेत्रों के लिये, पाठ्य-पुस्तकों और बाल-पुस्तकों के मुद्रण के लिये इस्तेमाल किया जाये। इस मुद्रणालय से हम अच्छी पुस्तकें कम लागत पर तैयार कर सकेंगे। पाठ्य-पुस्तकों के निःशुल्क वितरण का प्रश्न इस योजना का भाग नहीं है।

पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय

२०२७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **शिक्षा** मंत्री १ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२२० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जिन ४६,३८६ पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय नहीं बनाये गये थे, उनमें से कितनों के हिन्दी पर्याय बना लिये गये हैं; और

(ख) शेष शब्दों के हिन्दी पर्याय कब तक बना लिये जायेंगे ?

शिक्षा मन्त्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). पिछले प्रश्न के उत्तर देने के बाद से वैज्ञानिक, तकनीकी और अन्य शब्दावलियों को अन्तिम रूप देने की कार्य-प्रणाली बदल गयी है। वैज्ञानिक और तकनीकी तथा अन्य विषयों पर शब्दावलियों को अन्तिम रूप देने का काम अब क्रमशः वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली स्थायी-आयोग तथा पुनरीक्षण और समन्वय समिति के सुपुर्द कर दिया गया है।

समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और आयोग के शीघ्र ही कार्य आरंभ करने की आशा है। आशा है कि शब्दावली से संबंधित अधिकांश कार्य ३ से ४ वर्ष के अन्दर समाप्त हो जाएगा।

भारतीय दूतावासों में हिन्दी

२०२८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन भारतीय दूतावासों में हिन्दी सिखाने का इस समय प्रबन्ध है,

(ख) क्या कुछ और दूतावासों में हिन्दी सिखाने का प्रबन्ध करने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) कोलम्बो, डामास्कस, जेद्दा, काबुल, केंडी, कंधार, रंगून, तेहरान और वाशिंगटन में।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जी, हां। बुटापेस्ट और जकार्ता में।

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गोष्ठी की कार्यवाही

२०२९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिये जो गोष्ठियां आयोजित की जाती हैं उनकी कार्यवाही हिन्दी में भी प्रकाशित की जाती है; और

(ख) यदि नहीं, उसे हिन्दी में प्रकाशित करने का प्रबन्ध कब तक होने की संभावना है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) इन गोष्ठियों (सेमिनारों) में से दिल्ली में आयोजित समस्त राज्यों से चुने हुए अधिकारियों के लिए केवल एक गोष्ठी की रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित की गई।

(ख) चूंकि यह रिपोर्ट राज्य शिक्षा विभागों के निरीक्षक अधिकारियों के लिए थी, इसलिए इसके हिन्दी अनुवाद के प्रकाशन की व्यवस्था नहीं की गई है।

हिन्दी जानने वाले कर्मचारी

२०३०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय तथा उससे संलग्न कार्यालयों में इस समय कितने अनुभाग हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनमें हिन्दी जानने वालों की बहु संख्या है; और

(ख) ऐसे कितने अनुभाग हैं जिन्हें हिन्दी में टिप्पण और पत्रों के प्रारूप लिखने की अनुमति दे दी गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) मंत्रालय में ७९ अनुभाग हैं और ३१ अनुभागों में अधिकांश लोग हिन्दी जानते हैं। संलग्न कार्यालयों में कुल ५८ अनुभाग हैं। उनमें सभी अनुभागों में कुछ हिन्दी जानने वाले लोग हैं, लेकिन ठीक ठीक सूचना अभी उपलब्ध नहीं है कि कितने अनुभागों में हिन्दी जानने वालों की बहु संख्या है।

(ख) सभी अनुभागों को हिन्दी पत्रों के उत्तरों का हिन्दी में प्रारूप तैयार करने की छूट है। १३ अनुभागों में अंग्रेजी के अलावा हिन्दी में भी टिप्पणी लिखी जाती है।

बीमा कम्पनियों के लाभांश

२०३१. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम द्वारा विभिन्न ग्राम बीमा कम्पनियों के लाभांश पर कोई नियंत्रण रखा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो वह नियंत्रण किस प्रकार का होता है ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

दिल्ली में आत्महत्यायें

२०३२. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छै महीनों में दिल्ली में कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या की;

(ख) उनमें ऐसे कितने व्यक्ति थे जिन्होंने पारिवारिक अशान्ति एवं रोजगार प्राप्त करने में असफलता के कारण आत्महत्या की; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में आत्महत्या के ऐसे मामले रोकने के लिये कोई खास कदम उठायेगी?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) जुलाई, १९६१ तक के पिछले छः मास में ५१ ने ।

(ख) पारिवारिक अशांति के कारण २६ ।
रोजगार पाने में असफलता के कारण १ ।

(ग) कोई विशेष कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

विभिन्न संगठनों को सरकारी अनुदान

२०३३. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा १९६०–६१ में स्वायत्त और अर्धसरकारी संगठनों को अनुदान की कुल कितनी रकम दी गयी;

(ख) क्या सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि उसके द्वारा ऐसे संगठनों को दी गयी राशि का अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार उपयोग किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने अनुदान के फिजूल खर्च को रोकने पर नियंत्रण रखने के लिये किस प्रकार का प्रबन्ध किया हुआ है?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से आवश्यक सूचना इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) जी, हां।

(ग) इस सम्बन्ध में, सहायक अनुदानों की स्वीकृति देने वाले अधिकारियों को ये हिदायतें दी गयीं है :—

(१) अनुदान, खर्च की उन विशेष योजनाओं के आधार पर ही दिये जायें जिनके सम्बध में काफी व्योरा दिया गया हो और जिनके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी हो। इस बात की जांच करने के लिए कि कहीं कोई फेर-बदल तो नहीं हुआ या रुपया अनधिकृत कार्यों पर तो खर्च नहीं हुआ, नियतकालिक (पीरियोडिकल) रिपोर्टें प्राप्त की जानी चाहिएं जिनमें योजना म दी हुई हर एक मद पर किया गया खर्च दिखलाया गया हो।

(२) किसी भी सार्वजनिक संगठन या संस्था को अनुदान की रकम देने से पहले स्वीकृति देने वाले अधिकारी को, जहां तक सम्भव हो, सम्बद्ध संगठन या संस्था के हिसाब-किताब का लेखा–परीक्षक द्वारा स्वीकृत विवरण प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए ताकि इस बात की मजबूती हो जाये कि पहला अनुदान उसी काम पर खर्च किया गया है जिसके लिए वह दिया गया था।

(३) प्रतिवर्ष एक लाख रुपये से अधिक के आवर्तक और पांच लाख रुपये से अधिक के अनावर्तक सहायक अनुदान आम तौर पर इस खास शर्त पर मंजूर किये जाने चाहिएं कि भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक, अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था के हिसाब-किताब की जांच आजमाइशी तौर पर जब चाहे तब कर सकता है।

(४) प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुदान पाने वाली संस्थाओं से प्रत्येक अनुदान के बारे में उनके कार्यों या सफलता की वार्षिक रिपोर्टें प्राप्त करनी चाहिएं और उन अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करनी चाहिए।

विश्वविद्यालय अनुसंधान छात्रवृत्ति योजना

२०३४. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में विश्वविद्यालय अनुसन्धान छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी छात्रवृत्तियां दी गयी हैं; और

(ख) ये छात्रवृत्तियां देने के लिये क्या योग्यता निश्चित की गयी है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) (१) मानव-विद्याओं में अनुसंधान-छात्रवृत्तियों की शिक्षा मंत्रालय की योजना :

६३ उम्मीदवारों को चुना गया था, किन्तु केवल ४५ ने अब तक छात्रवृत्तियों का उपयोग किया है ;

(२) मानव-विद्याओं में अनुसंधान–छात्रवृत्तियों की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की योजना :

५० उम्मीदवार चुने गये थे और सभी ने छात्रवृत्तियों का उपयोग किया है।

(ख) पात्रता की शर्तें :

(१) जिस विषय में अनुसंधान कार्य करना हो, उसमें एम० ए० की प्रथम श्रेणी या उच्च द्वितीय श्रेणी की उपाधि।

(२) प्रस्तावित अनुसंधान की विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृति ।

डा० सुजुकी की भारत यात्रा

२०३५. श्री म० ला० द्विवेदी : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक प्रसिद्ध जापानी बौद्ध डा० सुजुकी भारत सरकार के निमंत्रण पर यहां आये थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कितना खर्च किया गया ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). भारत और दूसरे देशों के बीच आपसी सद्भावना और दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करने के लिये

भारत सरकार ने सांस्कृतिक कार्यकलापों का जो प्रोग्राम बनाया है, उस के अधीन डा० सुजुकी भारत आये थे ।

(ग) अब तक रुपये १६,६१६.२३ नये पैसे ।

प्रिंटिंग टैक्नोलोजी के डिप्लोमाधारी व्यक्ति

२०३६. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कई व्यक्ति जिनके पास प्रिंटिंग टैक्नोलोजी का डिप्लोमा है फिर भी वे कई सालों से बेकार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनके ज्ञान का उपयोग करने के लिये समुचित कार्यवाही करेगी ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) नहीं, जी। प्रिंटिंग स्कूलों की खबर के अनुसार, जिन लोगों को डिप्लोमा मिल गया है उनमें से करीब ९० प्रतिशत काम पर लग गये हैं। बाकी में से कुछ लोग आगे के प्रशिक्षण के लिये विदेश गये हैं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

स्कूल के बच्चों को मध्यान्ह भोजन

†२०३७. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूल के बच्चों को पूरा मध्यान्ह भोजन देने पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितनी धनराशि व्यय की गयी ;

(ख) इस कार्य के लिये तृतीय योजना में कितनी धन राशि पृथक रखी गयी है ;

(ग) क्या राज्यवार इस आवंटन के कोई पृथक आंकड़े रखे गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य के लिये आवंटन का व्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २०**]

शिक्षा तथा व्यावसायिक मार्ग दर्शन पाठ्यक्रम

२०३८. **श्री म० ला० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ से अब तक शिक्षा तथा व्यवसायिक मार्ग दर्शन के पाठ्यक्रम के लिये कितने सत्रों का आयोजन किया गया और कितने व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : यह पाठ्यक्रम नौ महीने का है। १९६१–६२ का पाठ्यक्रम जारी है और २४ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल के लिये इस्पात

†२०३९. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल की राज्य सरकार ने इस्पात के वार्षिक अभ्यंश में वृद्धि करने की प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो उस ने कितना इस्पात मांगा है; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, हां।

(ख) वर्ष १९५९–६० से मांग और आवंटन का ब्योरा निम्न प्रकार है :

	(टनों में)	
	मांग	आवंटन
१९५९–६०	६९,७८८	४८,४३६
१९६०–६१	१,०९,९८९	६८,७२४
१९६१–६२ . . . (अप्रैल–सितम्बर ६१)	१४,२४५*	४,४१८*

*केवल निर्बन्धित श्रेणी।

(ग) राज्य की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं। मुक्त श्रेणियों की मांग पूर्ण रूपेण पूरी की जाती है। प्रतिबंधित श्रेणियों की उपलब्ध मात्रा का [चादरें (१४ गेज़ से पतली) और तार] सभी राज्यों को बराबर वितरण किया जाता है।

भूतपूर्व राजाओं की निजी थैलियां

२०४०. { **श्री विभूति मिश्र :**
श्री चुनी लाल :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व देशी रियासतों के शासकों को १९६०–६१ में निजी थैलियों के रूप में कितनी धन राशि दी गई ;

(ख) १९४८–४९ में कितनी रक़म दी गई थी ;

(ग) क्या निजी थैली प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को लाभ पदधारी समझा जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ५,४९,०५,००० रुपये।

(ख) केन्द्रीय कोष से कोई रक़म नहीं दी गई।

(ग) नहीं।

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्योंकि नरेशत्व कोई पद नहीं है और न ही वह सरकार के अधीन हैं।

विदेशी विश्वविद्यालय की डाक्टर की डिग्री

†२०४१. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों में अध्यापक नियुक्त करते समय विदेशी विश्वविद्यालय से सामाजिक विज्ञान अथवा साहित्य में डाक्टरेट की डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिन के पास उसी विषय में भारतीय विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री है, अधिक वेतन वृद्धि मिलती है, और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). सरकार को कोई जानकारी नहीं है। विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी निकाय हैं और वे अपने कर्मचारियों को अपने नियमों और विनियमों के अनुरूप वेतन देने के लिये पूर्ण रूप से सक्षम हैं।

कछार के दंगे

†२०४२. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** :
डा० राम सुभग सिंह :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कछार के दंगों के बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की कुछ रिपोर्टें कलकत्ता के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन खबरों के समय से पहले पता लग जाने के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जहां तक भारत सरकार को पता है कछार के हाल के दंगों के बारे में केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की कोई रिपोर्ट कलकत्ता के समाचार-पत्रों प्रकाशित नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अपीलीय सहायक आयुक्तों के समक्ष लम्बित अपीलें

†२०४३. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९६१ को अपीलीय सहायक आयुक्तों (आय-कर) के समक्ष कितनी अपीलें लम्बित थीं ;

(ख) ऐसी कितनी अपीलें दो वर्ष से अधिक समय से लम्बित हैं; और

(ग) एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष से कम समय से कितनी अपीलें लम्बित हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान

†२०४४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष में भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच कोई सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) और (ख). जी, हां। व्योरा निम्न प्रकार है :

१. सितम्बर–नवम्बर, १९६० में संगीतज्ञों और नर्तकों का एक १४ सदस्यीय भारतीय सांस्कृतिक शिष्ट मण्डल संयुक्त अरब गणराज्य गया।

२. वर्ष १९६०–६१ में अलैग्ज़न्ड्रिया, काहिरा और दमास्कस में एक भारतीय कला प्रदर्शनी की गई।

३. संयुक्त अरब गणराज्य में भारतीय चित्रकारों द्वारा तैयार किये गये तीन चित्र पेश किये गये।

४. एक मशहूर संयुक्त अरब गणराज्य की गायक, श्रीमती ओम कुलसम को तबलों की एक जोड़ी दी गई।

५. स्थानीय टैगोर शताब्दी समिति को टैगोर के नाटक 'चित्रा' का अभिनय करने के लिये भारतीय पोशाक और नकली जेवरात दिये गये।

६. चार भारतीय छात्र संयुक्त अरब गणराज्य में अरबी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं।

७. बम्बई में एक संयुक्त अरब गणराज्य सांस्कृतिक केन्द्र खोला गया है।

८. दोनों देशों में रेडियो कार्यक्रमों, टेप-रिकार्डिगों, समाचार-चित्रों का आदान-प्रदान हुआ है।

९. संयुक्त अरब गणराज्य के राष्ट्रपति के दौरे के सम्बन्ध में "बोन्ड्स आफ फ्रेन्डशिप" नामक एक रंगीन फिल्म संयुक्त अरब गणराज्य को उस देश में प्रदर्शन के लिये भेंट की गई है।

१०. संयुक्त अरब गणराज्य टेलीविज़न सेवा को छ: प्रलेखीय चित्रों की दो दो-प्रतियां भेंट की गई हैं।

आसवान बांध के स्थान पर पुरातत्वीय खुदाई

†२०४७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १८ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३४५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मिस्र में भारतीय पुरातत्व-विशेषज्ञों के एक दल की यात्रा के परिणामस्वरूप आसवान बांध के स्थान पर की गई खुदाई का क्या व्योरा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : दल द्वारा उस स्थान पर पहुंचने के बाद ही ब्योरा तैयार किया जा सकता है ।

विदेशी अधिनियम[1]

†**२०४६. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में अब तक त्रिपुरा में विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत कितने नोटिस दिये गये ;

(ख) उस अधिनियम के अन्तर्गत कितने मामलों पर कार्यवाही की गई; और

(ख) कितने मामलों में दण्ड दिया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) अभी तक ४८२ नोटिस दिये गये हैं ।

(ख) अभी तक कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रुड़की विश्वविद्यालय में अफ्रीकी-एशियाई जल संसाधन विकास केन्द्र में विदेशी प्रशिक्षार्थी

†**२०४७. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ में रुड़की विश्वविद्यालय में अफ़्रीकी-एशियाई जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केन्द्र में जिन देशों ने प्रशिक्षार्थी भेजे, उनके क्या नाम हैं और प्रशिक्षार्थियों की संख्या क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : जानकारी निम्न प्रकार है :

भारत	१३
बर्मा	१
फिलीफीन	२
कुल	१६

भारत के सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र दल

†**२०४८. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६१–६२ में अब तक सर्वेक्षण-कार्य में लगे क्षेत्र दलों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) प्रत्येक दल का क्षेत्रीय सदर मुकाम कौन सा है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Foreigner's Act.

(ग) प्रत्येक दल के कार्य के क्षेत्र कौन से हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) ३४

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा से सहायता

†२०४९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा से ढाई करोड़ पौंड की पूंजी सहायता किन किन मदों पर खर्च की गई है ।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : माननीय सदस्य का ध्यान १४ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९५६ की ओर आकृष्ट किया जाता है। ३१ मई, और २ जून, १९६१ के बीच वाशिंगटन में हुई बैठक में कनाडा ने वर्ष १९६१–६२ में २८० लाख डालर (सी) की सहायता के बारे में बताया। यह उपयुक्त वैधानिक कार्यवाही और अन्य आवश्यक अधिकारों पर था । भारत सरकार को अभी इस बारे में कनाडा सरकार से कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं मिला है ।

पंजाब में रक्षित स्मारकों को बाढ़ से क्षति

†२०५०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में वर्ष १९६०–६१ में आई गम्भीर बाढ़ के दौरान केन्द्रीय पुरातत्व विभाग के संरक्षणाधीन किसी प्राचीन स्मारक को क्षति पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो क्षति का स्वरूप क्या है और कितनी क्षति पहुंची है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में शिक्षित बेरोजगारी को सहायता

†२०५१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में शिक्षित बेरोजगारों को सहायता देने की योजना के अधीन, योजना के आरम्भ किये जाने के समय से, मंजूर किये गये अध्यापकों में से अब तक नियुक्त किये गये नये प्रायमरी अध्यापकों की कुल संख्या क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां

†२०५२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में वर्ष १९६०–६१ में केन्द्रीय पुरस्कृत योजनाओं के अन्तर्गत जिन

†मूल अंग्रेजी में

स्थानों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां बनायी गई हैं, उनके क्या नाम हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर किये गये अनुदान में से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) वर्ष १९६१-६२ के लिये कितनी धन राशि आवंटित की गई है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) :** (क) अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई बस्तियां नहीं बनाई गईं। उन गांवों के नाम, जहां अनुसूचित जातियों के लिये वर्ष १९६०-६१ में (नवम्बर, १९६० तक) कृषि बस्तियां बनाई गयीं, निम्न प्रकार हैं :

मानसिंह वाला (जिला फिरोजपुर), कोटखाला (जिला फिरोजपुर), बासमन (जिला पटियाला), दूधन (जिला पटियाला), त्रीन (जिला पटियाला), माधुरी (जिला करनाल), गौंडर (जिला करनाल), भटसाना (जिला गुड़गांव), हयात नगर (जिला गुरुदासपुर) और लोहटन (जिला अम्बाला)।

(ख) वर्ष १९६०-६१ में ८.७६ लाख रुपये व्यय किये गये।

(ग) कुछ नहीं।

महाराष्ट्र के लिये जस्ता चढी लोहे की चादरें

†२०५३. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों ने एक वर्ष पूर्व बम्बई के लोहा तथा इस्पात नियंत्रक को कुछ जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों के संभरण के लिये पेशगी के रूप में एक बड़ी रकम दी थी परन्तु उनको अभी तक जस्ता चढ़ी लोहे की चादरों का संभरण नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ जिलों को पिछड़े दो वर्षों से अभ्यंश नहीं दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य इन्डेन्टरों द्वारा उत्पादकों (संभरणकर्ताओं) को क्रयादेशों के विरुद्ध दी गई पेशगी से है। इस समय जस्ता चढ़ी चादरों का संभरण कम है और उत्पादकों के पास काफ़ी पुराने क्रयादेश पड़े हैं। अतः संभरण में बिलम्ब हो रहा है।

(ग) और (घ). राज्य के भीतर इस्पात का वितरण राज्य इस्पात लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और यह उनकी जिम्मेवारी है। मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

तस्कर व्यापारी

†२०५४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन महीनों से भारत-पाकिस्तान सीमा पर कितने तस्कर व्यापारी गिरफ्तार किये गये और भारत में तस्कर व्यापारियों के रूप में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की क्या संख्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

त्रिपुरा में बाढ़

†**२०५५. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उदयपुर, त्रिपुरा के बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को सहायता देने के लिये क्या पग उठाये गये हैं ;

(ख) कितने परिवारों को सहायता दी गई है ;

(ग) प्रत्येक पीड़ित परिवार को अधिकतम और न्यूनतम कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) उदयपुर में हाल की बाढ़ से कितने परिवार प्रभावित हुए हैं अब तक कुल कितनी क्षति का अनुमान लगाया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जावेगी ।

मध्य प्रदेश में अफीम की खेती को क्षति

†**२०५६. श्री आसर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में अफीम की चालू खेती को भारी क्षति पहुंची है और उत्पादकों को भारी हानि उठानी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्पादकों ने कोई सहायता मांगी है ;

(ग) यदि हां, तो वह सहायता क्या है; और

(घ) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) यह सच है कि वर्ष १९६०-६१ के सीज़न में मध्य प्रदेश, में कुछ पोस्त उत्पादन क्षेत्रों में अंधड़ आने और पाला पड़ने के कारण पोस्त की खेती को कुछ क्षति पहुंची थी ।

(ख) और (ग). इन क्षेत्रों के उत्पादकों ने लाइसेंसिंग सिद्धान्तों में ढील देने के तौर पर सहायता मांगी है ताकि उन व्यक्तियों को, जिनका उत्पादन कम हुआ है, वर्ष १९६१-६२ के सीज़न के लिये लाइसेंस देने के अयोग्य न समझा जाये ।

(घ) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्

†**२०५७. श्री चिंतामणि पांणिग्रही** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व क्षेत्रीय परिषद की आगामी बैठक के समय और समय के बारे में अब तक फैसला हो गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो परिषद की बैठक कहां और कब होगी ;

(ग) क्या बैठक के लिये विषयावलि नियत करली गई है ; और

(घ) क्या बिहार और उड़ीसा के बीच के सीमा विवाद को विषयावलि में शामिल करने के लिये उड़ीसा सरकार की ओर से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). परिषद् की आगामी बैठक कलकत्ता में की जाने का प्रस्ताव है। अभी तक बैठक की तिथि नियत नहीं की गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) परिषद की पिछली बैठक में विचार किये जाने के हेतु इस बारे में उड़ीसा सरकार ने एक मद का सुझाव दिया है।

लाहौल और स्पीति का भूतत्वीय सर्वेक्षण

†२०५८. **श्री हेमराज** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह प्रार्थना की है कि लाहौल और स्पीति के सीमांत जिले का भूतत्वीय सर्वेक्षण करवाया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां।

(ख) भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग चालू वर्ष में उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना चाहता है जो सम्भावनापूर्ण समझे जाते हैं। राज्य सरकार द्वारा सूचित अन्य खनिज संसाधनों के मामलों के संबंध में उनसे पत्र व्यवहार हो रहा है।

त्रिपुरा में बाढ़ें

†२०५९. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि त्रिपुरा में तेलियामूरा बाजार के साथ जामनगर गांव जून १९६१ में आई हाल की बाढ़ों के कारण पूर्णतया नष्ट हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस विनाश के कारण कितनी संपत्ति की हानि हुई है और कितने परिवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या उक्त गांव के प्रभावित लोगों को कोई सहायता दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो सहायता का रूप क्या है और प्रत्येक परिवार को कितनी राशि दी गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में भूमि का हस्तांतरण

†२०६०. **श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ से लेकर त्रिपुरा की तेलयामूरा तहसील के अन्तर्गत आदिम जाति लोगों से आदिम जाति के अतिरिक्त लोगों को भूमि हस्तांतरण के कितने मामले हुये हैं ;

(ख) इन हस्तांतरणों में कितने एकड़ भूमि अन्तर्ग्रस्त हैं ;

(ग) कितने मामलों में संबद्ध क्षेत्र के आदिम जाति लोगों ने बिक्री दस्तावेज होने से पूर्व ऐसा हस्तांतरण का विरोध किया;

(घ) सरकार ने भूमि पर आदिम जाति लोगों के हितों की रक्षा के लिये क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) क्या त्रिपुरा भूमि राजस्व तथा भूमि सुधार अधिनियम, १९६० के लागू होने के पश्चात् अब भी आदिम जाति के लोगों के आदिम जाति अतिरिक्त लोगों को भूमि का हस्तांतरण हो रहा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसूर के सरकारी कर्मचारियों द्वारा महाराष्ट्र में स्थानान्तरण की अपीलें

†२०६१. **श्री आसर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर की राज्य सरकार के पास वहां के सरकारी कर्मचारियों की अनेक अर्जियां एवं, अपीलें लम्बित पड़ी हैं जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में स्थानांतरण चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी अर्जियों और अपीलों की संख्या कितनी है ;

(ग) इन अर्जियों और अपीलों को लम्बित रखने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इनका कब फैसला किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). भूतपूर्व बम्बई राज्य के ५६३ गजटिड और १०२३ गैर-गजटिड कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर १-११-५६ के मैसूर को आवंटित किया गया था । आवंटन के बदले जाने के बारे में अनेक अर्जियां आईं । इन अभ्यावेदनों पर विचार करने पर २३ गजटिड और २४१ गैर-गजटिड कर्मचारियों को बम्बई राज्य को आवंटित किये जाने के लिये आदेश जारी किये गये । केन्द्रीय सरकार ने १७-३-६० को अन्तिम आवंटन सूचियां जारी कर दी हैं और ये सूचियां १-४-१९६० को राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशित की गई थीं । केन्द्रीय सरकार को सूचित किया गया है कि कुछ लोगों द्वारा की गई रिट पिटीशनों पर जिनकी प्रार्थनायें अस्वीकार कर दी गई थीं, उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने संबद्ध कर्मचारियों को उनके आवंटन के बारे में अभ्यावेदन देने के लिये एक नया अवसर दिया है । इसके प्रत्युत्तर में महाराष्ट्र राज्य को पुनः आवंटन के लिये ११ अर्जियां अब तक प्राप्त हुई हैं और ये अभ्यावेदन अभी हाल ही में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ की उपधारा (५) के अन्तर्गत स्थापित की गई सलाहकार समिति के परामर्श से निपटाने के लिये केन्द्रीय सरकार को अभी हाल ही में भेजे गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित सरकारी संकल्प

२०६२. श्री क० भे० मालवीय: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, १९६१ से जुलाई, १९६१ तक भारत सरकार के राजपत्र में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कितने संकल्प प्रकाशित किये गये ;

(ख) इन संकल्पों की हिन्दी और अंग्रेजी में अलग-अलग संख्या कितनी है ; और

(ग) यदि कोई भी संकल्प हिन्दी में प्रकाशित नहीं किया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). कुल ६८ संकल्प अंग्रेजी में प्रकाशित किये गये जिनमें से २ का हिन्दी रूपान्तर भी साथ-साथ छापा गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न मन्त्रालयों के प्रकाशन

२०६३. श्री क० भे० मालवीय : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा उनके संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा कौन-कौन सी पत्रिकायें या बुलेटिन प्रकाशित किय जाते हैं ;

(ख) उनमें से कौन से हिन्दी में प्रकाशित होते हैं ; और

(ग) जो पत्रिकायें आदि हिन्दी में प्रकाशित नहीं होतीं उनको हिन्दी में प्रकाशित करने के लिय विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, माउंट आबू

२०६४. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माउंट आबू स्थित केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र में खुले अनुसंधान केन्द्र के कार्य में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त प्रशिक्षण केन्द्र को माउंट आबू से किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसंधान के लिये तीन विषय चुन लिये गये हैं और उन पर काम हो रहा है। आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक केन्द्र से पहला अनुसंधान पत्र निकल जायेगा।

(ख) और (ग). माउंट आबू स्थित केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र का वर्तमान स्थान पूरी तरह ठीक नहीं समझा गया। अतः उसे वहां से स्थानांतरित करने के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीनियर बेसिक स्कूल, चेबड़ी बाजार, त्रिपुरा

†२०६५. **श्री दशरथ देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा के चेबड़ी बाजार के ईर्द गिर्द के क्षेत्रों के लोगों ने चेबड़ी बाजार के वर्तमान सीनियर बेसिक स्कूल को चेबड़ी बाजार के उत्तरी भाग में बदलने के बारे में कोई अभ्यावेदन दिया है, जो वर्तमान स्थान से एक मील से अधिक दूर है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां । प्रादेशिक परिषद् के पास जो त्रिपुरा में प्रारम्भिक और माध्यमिक स्कूलों का नियंत्रण करती है, एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ।

(ख) क्योंकि स्कूल अभ्यावेदन प्राप्त होने से बहुत पहले बदल दिया गया था, प्रादेशिक परिषद् ने अभ्यावेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की है ।

उड़ीसा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

†२०६६. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण के लिये १९६१-६२ में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी है ; और

(ख) ये राशियां किन कल्याण योजनाओं के लिये आवंटित की गई हैं ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : १९६१–६२ में निम्न आवंटन किये गये हैं :—

केन्द्रीयि क्षेत्र	लाख रुपये
१. अनुसूचित जातियां	२६.८८
२. अनुसूचित आदिम जातियां	३.६३
३. अनधिसूचित आदिम जातियां	१.६८
जोड़	३२.१९
राज्य क्षेत्र	
१. अनुसूचित आदिम जातियां	५०.१०
२. अनुसूचित जातियां	२५.००
३. अन्य पिछड़ी श्रेणियां	२.००
जोड़	७७.१०

(राज्य क्षेत्र संबंधी आंकड़े अस्थायी हैं)

(ख) सूचना अनुबन्ध में दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २१]** :

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में उद्योगपतियों के लिये भूमि

२०६७. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उद्योगों के लिये स्थानीय उद्योगपतियों को प्लाट दिये जाएँ ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक संभव होगा ;

(ग) कितने प्लाट दिये जाने की संभावना है ;

(घ) ये प्लाट किस तरीके से दिये जायेंगे ;

(ङ) सरकार द्वारा इन में क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ; और

(च) प्रति वर्ग गज भूमि का क्या मूल्य होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (घ) से (च). विकसित प्लाटों को औद्योगिक उद्योग के लिये पटटे पर आरक्षित मूल्य पर

(१) उन उद्योगपतियों को दे दिया जायेगा जिन्हें अपने मौजूदा कारखानों को दिल्ली में संकुलित क्षेत्रों से वैकल्पिक स्थानों पर हटाना होगा, तथा

(२) उन व्यक्तियों को जिनकी जमीन दिल्ली के आयोजित विकास के लिये अर्जन कार्यवाही के फलस्वरूप अर्जित कर दी जायेगी,

आरक्षित मूल्य वह होगा जिसमें विकास और अर्जन का व्यय एवं कुछ अतिरिक्त व्यय भार जिससे कम लागत के मकानों को राजसहय्य उपरि-व्यय, तथा भविष्य में इसी प्रकार की परियोजनाओं के लिये वित्त-प्रबन्ध सम्मिलित हैं ।

दूसरे उद्योगपतियों को विकसित प्लाट सार्वजनिक नीलाम द्वारा दिये जायेंगे और सबसे ऊंची बोली के आधार पर प्रीमियम निर्धारित किया जायेगा ।

(ख) और (ग). विवरण तैयार किये जा रहे हैं ।

दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग

२०६८. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन से उर्दू कागजों की प्रति मांगने पर देवनागरी लिपि में उसे देने के प्रबन्ध में क्या कठिनाइयां हैं और अब तक उनको दूर करने का प्रबन्ध न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस प्रकार का प्रबन्ध कब तक हो जाने की आशा है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री †(श्री दातार) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन के पुलिस विभाग में इसका प्रबन्ध किया जा चुका है । हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये विभिन्न प्रारम्भिक उपायों को हाथ में लिया गया है । इन में कुछ और प्रगति होने पर आवश्यकतानुसार अन्य विभागों में भी इसी तरह प्रबन्ध किया जाएगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की बस्तियों की केन्द्रीय समिति द्वारा ज्ञापन

+२०६९. **श्री वाजपेयी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली की सरकारी कर्मचारियों की बस्ती की केन्द्रीय समिति की **और** से एक प्रतिनिधिमंडल ने गृह-कार्य मंत्री से हाल ही में मुलाकात की थी और उनको एक ज्ञापन पेश किय था ;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में क्या मुख्य मांगें थीं ; और

(ग) उन मांगों के बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली को प्रथम श्रेणी का नगर घोषित किया जाना चाहिये और बाजार, स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, पार्क, पुलिस चौकियां, डाक घर इत्यादि की आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था दिल्ली की केन्द्रीय सरकार की बस्तियों में की जानी चाहिये जहां ये सुविधायें नहीं हैं या कम हैं ।

(ग) दिल्ली को प्रथम श्रेणी का नगर घोषित किया जा चुका है और अन्य सभी बातों पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की कार्यान्विति

†२०७०. { **श्री कालिका सिंह** :
श्री वी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के लागू होने से ले कर इस के अन्तर्गत वर्ष वार और राज्यवार कितने अभियोग चलाये गये हैं ;

(ख) विभिन्न राज्यों में अस्पृश्यता विरोधी विधि का कितना प्रचार हुआ है ;

(ग) संघ गृह-कार्य मंत्रालय किस तरीके से राज्यों के समन्वय से अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित कर रहा है; और

(घ) अब तक जितने मामलों की जांच की गई है और जो न्यायालयों के सामने लाये गये हैं उन में अधिकांश अपराधों का क्या स्वरूप है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये पुर्जे

†२०७१. { **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री क० भ० मालवीय :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९, १९६० और १९६१ में अब तक रूरकेला इस्पात संयंत्र में वर्ष वार उपयोग के लिये पश्चिम जर्मनी से पुर्जों का आयात करने के लिये कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये पश्चिम जर्मनी से पुर्जों के आयात में वृद्धि के कारण क्या हैं ;

(ग) रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये अन्य सस्ते साधनों को सब आर्डर देने में क्या कठिनाई है ;

(घ) क्या सरकार हटिया भारी मशीनरी संयंत्र में रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये जरूरी पुर्जों का निर्माण करने का प्रस्ताव करती है ; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) १९५९ कुछ नहीं ।

१९६० . .	२.८७ लाख रुपये
१९६१ . . .	१.७७ लाख रुपये (१४ अगस्त तक)

इन आंकड़ों में प्रारंभिक पुर्जों के आर्डरों के भुगतान शामिल नहीं हैं जो मुख्य संयंत्र और उपकरण के साथ दिये गये थे । अब तक पश्चिम जर्मनी से पुर्जों की खरीद पर कुल ४.२४ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं ।

(ख) पश्चिम जर्मनी से पुर्जों के आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ग) से (ङ). संयंत्र के प्रारंभिक संचालन के लिये अपेक्षित पुर्जों के लिये मुख्य संयंत्र संभरणकर्ता को आर्डर देना पड़ा था, ताकि माल समय पर उपलब्ध हो जाए और कार्य सुचारू रूप से चल सके । जितने और पुर्जों की जरूरत है उन्हें देशी साधनों से प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। अब जिन कुछ पूर्जों का आयात किया जा रहा है, उन्हें भारी इंजीनियरिंग निगम द्वारा बनाने का विचार है ।

विदेशों को ऋण

†२०७२. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने पड़ोसी देशों समेत किसी बाहर वाले देश को ऋण दिया है ;

(ख) इन देशों से प्रति वर्ष देशवार भारत को कितना ब्याज लेने का हक है ;

(ग) क्या भारत ने अब तक पूरा ब्याज या उस का कुछ हिस्सा वसूल किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पेट्रोल की खपत

†२०७३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने गैलन पैट्रोल की वार्षिक खपत होती है ;

(ख) क्या भारत अपनी पूरी मांग को पूरा करने में समर्थ है ; और

(ग) यदि नहीं तो कितने गैलन का आयात करना पड़ता है और किन देशों से ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : विशिष्ट पैट्रोलियम उत्पादों की खपत संबंधी सूचना देना लोकहित में नहीं है ।

(ख) जी हां ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

†२०७४. **श्री बे० च० मलिक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को परिपत्र भेजे हैं कि वे अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से, १९६१–६२ वर्ष के लिये मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियों के लिये राजस्व अधिकारियों से काम संबंधी प्रमाणपत्र देने के लिये कहें ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६१–६२ से अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये 'साधन कसौटी' लागू किये जाने के परिणामस्वरूप, मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्तियों के नये अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों को राजस्व अधिकारियों से आय प्रमाण पत्र देना पड़ता है ।

रायपुर में विश्वविद्यालय

†२०७५. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में रायपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिय एक मसौदा विधयक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भजा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने विधेयक पर विचार कर लिया है ;

(ग) क्या वह यथोचित अनुमोदन के उपरांत राज्य सरकार को लौटा दिया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या आयोग के विधेयक के उपबन्धों में कुछ सुधार करने का सुझाव दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां । शिक्षा मंत्रालय के पास एक ऐसा मसौदा विधेयक आया जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया गया ।

(ख) आयोग ने विधेयक का परीक्षण करने के लिये एक सीमित नियुक्त कर दी है ।

(ग) से (ङ). इस समय सवाल पैदा नहीं होता।

दिल्ली में आकाश में चमकदार सफेद वस्तु

†२०७६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-काय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, के अन्तिम सप्ताह में दिल्ली में आकाश में उड़ती हुई एक चमकदार सफेद वस्तु देखी गई थी; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या वस्तु थी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी हां।

(ख) इस वस्तु को पहचान के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। हो सकता है कि यह उन अमरीकी उपग्रहों में से एक हो जो आजकल कक्ष्या (आर्बिट) में चक्कर काट रहे हैं।

डिग्री कालजों आदि के प्राध्यापकों के वेतनक्रम

†२०७७. **श्री तंगामणि** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री १ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २६३७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिग्री कालेजों और डिप्लोमा संस्थाओं के प्राध्यापकों के लिये अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा सिफारिश किये गये संशोधित वेतनक्रम सभी राज्यों में लागू किये जा चुके हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो १९६१-६२ के लिये किन राज्यों को संशोधित वेतन क्रमों को लागू करना है; और

(ग) क्या मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन ने इसे लागू करने के लिये कोई तिथि नियत की है ?

†**णवैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) अभी नहीं।

(ख) मैसूर, मद्रास, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जम्मू और काश्मीर।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बीकानेर में तेल

२०७८. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के बीकानेर जिले के भूगल गांव में तेल की खोज की गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

खान तथा तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा समीप वाले प्रदेशों में किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों से प्राप्त हुई जानकारी के आधार पर यह आयोजन किया गया है कि भूगर्भीय सूचना को प्राप्त करने के लिये भूगल नामक स्थान पर एक कम गहरा कुंआ व्यधित किया जाए। कुंए के व्यधन के लिये तैयारियां की जा रही हैं और निकट भविष्य में कुंआ व्यधित किया जायेगा ।

इनामी बांड योजना से लाभ

२०७९. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में चलाई गई इनामी बांड स्कीम से सरकार को अब तक कितना लाभ हुआ है; और

(ख) इस स्कीम की अब तक क्या सफलतायें रहीं हैं?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). जुलाई, १९६१ के अंत तक, इनामी बांडों की बिक्री से १६.७ करोड़ रुपये की रकम वसूली हुई है। चूंकि बांडों की मूल रकम पहली अप्रैल, १९६५ को या उस के बाद पूरी की पूरी अदा की जानी है और ब्याज की रकम इनामों की शक्ल में बांट दी जाती हैं, इसलिए सरकार को किसी तरह का फायदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता ।

क्लर्क ग्रेड परीक्षा

†**२०८०. श्री राम गरीब :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली क्लर्क ग्रेड परीक्षा के आधार पर कितने पद भरे जाएंगे ; और

(ख) कितने स्थायी और कितने अस्थायी पद हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) ७७०। इस संख्या में परिवर्तन की गुंजाइश है।

(ख) सब पद अस्थायी हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये साइकिलें

†२०८१. **श्री राम गरीब** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के कुछ सरकारी कर्मचारियों को अपने सरकारी काम को करने के लिये अपने निजि उपयोग के लिये साइकलें दी जाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन वर्गों के कर्मचारियों को साइकल दी जाती हैं और उन के संभरण के लिये क्या नियम हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी नहीं, कुछ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अपने सरकारी काम को करने के लिये साइकल दी जाती हैं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वृत्तिकायें

†२०८२. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिभावान विद्यार्थियों को, जो सरकारी स्कूलों की प्रायः सभी आन्तरिक/वार्षिक परीक्षाओं में प्रथम या द्वितीय रहते हैं और जिनका निर्धन परिवारों से संबंध होता है, अर्थात् जो चौथी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के पुत्र या पुत्रियां होते हैं उन को पुस्तकें, कापियां, वर्दियां और मध्याह्न भोजन निश्शुल्क दिया जाता है और पढ़ाई पर होने वाले खर्च के लिये कुछ वृत्तिका आदि भी दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो नई दिल्ली/दल्ली में (सरकारी स्कूलों समेत) किन स्कूलों में ये सुविधायें दी जाती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं, परन्तु निर्धन परिवारों से संबंध रखने वाले पढ़ाई में बहुत अच्छे विद्यार्थियों को प्रत्येक श्रेणी में १० प्रतिशत तक लोगों को, शुल्कों में पूरी या आधी रियायात दी जाती है। (आठवीं श्रेणी तक सब लोगों के लिये शिक्षा निश्शुलक है)। इस के अतिरिक्त, योग्य निर्धन विद्यार्थियों को विद्यार्थियों की निधि में से पुस्तक अनुदान भी दिये जाते हैं ।

(ख) उपरोक्त रियायतें दिल्ली और नई दिल्ली के सब सरकारी स्कूलों में दी जाती हैं ।

दिल्ली में सरकारी स्कूल

†२०८३. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिली के कुछ सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को विशिष्ट दुकानों से अपनी पुस्तकें, कापियां और स्टेशनरी की विविध, चीजें खरीदने के लिये बाध्य किया जाता है और क्या उन विद्यार्थियों को तंग किया जाता है जो वहां से चीजें नहीं खरीदते ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अजन्ता में काम

†२०८४. **श्री नरसिंहन्** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) अजन्ता में (१) चित्रों की प्रति लिपि करने और (२) चित्रों का परिरक्षण करने के लिये क्या संगठनात्मक ढांचा है ;

(ख) ये संगठनात्मक ढांचे कब से काम कर रहे हैं; और

(ग) क्या वे संतोष जनक तरीके से काम कर रहे हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) (१) एक विशेष अफसर (आर्टिस्ट --कलाकार), जिस की सहायता के लिय चार कलाकारों का दल, है, यह पुरातत्वीय सर्वेक्षण विभाग के मंडल अधीक्षक, औरंगाबाद के पर्यवेक्षण में काम कर रहे हैं ।

(२) कनिष्ठ पुरातत्वीय रसायनज्ञ, पश्चिम मंडल, जिसका मुख्यालय औरंगाबाद में है, अजन्ता गुफाओं समेत अपने मंडल के सब स्मारकों के रसायनिक परिरक्षण का प्रभारी है। उस के काम में रसायन सहायक सहायता करते हैं, और उसका मार्ग दर्शन सहायक पुरातत्वीय रसायनज्ञ, दक्षिण प्रदेश और अन्ततोगत्वा भारत का पुरातत्वीय रसायनज्ञ करता है ।

(ख) जब कि विशेष अफसर का पद १९५३ में हैदराबाद राज्य से ले लिया गया था जिस के अन्तर्गत कुछ चित्रों की इक्का-दुक्का प्रतियां तैयार की गई थीं, जून १९५७ के महीने में हमारी पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत एक योजना परियोजना के तौर पर, प्रतिलिपि करने का क्रम बद्ध और केन्द्रीकृत काम आरम्भ किया गया था ।

१९५३ से लेकर जब भाग (ख) राज्यों में स्मारक लिये गये, भारत के पुरातत्वीय सर्वेक्षण की रसायन शाखा चित्रों के रसायनिक परिरक्षण की देख भाल कर रही है। मंडल कार्यालय दिसम्बर १९५९ में स्थापित किया गया था। इस से पहले, सहायक पुरातत्वीय रसायन, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है, परिरक्षण कार्य की देख भाल कर रहा है।

(ग) जी हां ।

जम्मू तथा काश्मीर को विदेशी मुद्रा का आवंटन

†२०८५. { **श्री डा० क० बा० मेनन** :
श्री राम जी वर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य को विदेशी मुद्रा का कितना अंश आवंटित किया जाता है ;

(ख) किन मामलों में यह आवंटन अन्य राज्यों के आवंटन से भिन्न है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) १९५३ से मार्च १९६० तक जम्मू और काश्मीर सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा का उपयोग किया ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). वर्तमान विदेशी मुद्रा आवंटन की वर्तमान प्रणाली के अन्तर्गत राज्यवार कोई आवंटन नियत नहीं किया जाता। विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के लिये राज्य सरकारों से प्राप्त विदेशी मुद्रा मंजूरी के प्रस्ताव गुण दोष के आधार पर विदेशी मुद्रा की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय समय पर निधारित नीति के अनुसार विचार किया जाता है। यह तरीका जम्मू तथा काश्मीर राज्य समेत सभी राज्यों पर लागू किया जाता है ।

(ग) यह सूचना राज्य वार आधार पर नहीं रखी जाती है ।

भूतपूर्व भारतीय राज्यों के राजाओं का पकिस्तान चले जाना

†२०८६. **श्री ह० चं० शर्मा** :
श्री वाजपेई :
श्री आसर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूतपूर्व भारतीय राज्यों के कोई राजा पाकिस्तान चले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो यह राजा कौन-कौन हैं;

(ग) क्या ऐसे राजाओं की मान्यता वापस ले ली गई है और उनकी निजी थैली बन्द कर दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : (क) और (ख). जी हां। दुजाना के नवाब।

(ग) और (घ). दुजाना के नवाब ने पाकिस्तान जाने के बाद से अपनी निजि थली नहीं ली हैं। उनकी मान्यता समाप्त करने के प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता

†२०८७. **श्री शि० न० रामौल** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिकर भत्ते की दरों का नवीकरण कर दिया गया है और इस संघ क्षेत्र में इसका भुगतान करना स्वीकार कर लिया गया है;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो किस समय तक इसको अन्तिम रूप दिए जाने की तथा लागू करने की आशा है।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ग्राह्य प्रतिकर भत्ते की दरों का नवीकरण करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है। इसको अन्तिम रूप दिए जाने का समय बताना संभव नहीं है।

विदेशी मुद्रा की स्वीकृति

†२०८८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों समेत विदेश जाने वाले सभी भारतीय राष्ट्रजनों को दिए जाने वाली विदेशी मुद्रा को कम करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या है; और

(ग) ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). अधिकतम मितव्ययता करने के लिए विदेशों में यात्रा करने के लिए विदेशी मुद्रा देने की नीति का सरकार लगातार पुनरीक्षण कर रही है। सरकारी कर्मचारी अथवा पुनरीक्षण अन्य व्यक्ति सभी की समान जांच होती है। थोड़े समय से सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर विदेश जाने वाले सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली विदेशी मुद्रा को और कम करने का निश्चय किया है तथा उनको यात्रा व्यय को पूरा करने के लिए और विदेश में आने के तुरंत बाद व्यय करने के लिए मिलने वाले, नान-डालर वाले देशों में ४०० रुपये तथा डालर वाले देशों में ५०० रुपये देना बन्द कर दिया गया है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

यमुना बांध का टूटना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री म० मो० बनर्जी और श्री बलराज मधोक से स्थगन प्रस्तावों प्रस्तावों की दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें यमुना नदी के बांध के टूट जाने और लगभग ५०,००० लोगों की जान और सम्पत्ति के खतरे में पड़ जाने का उल्लेख है और जिनमें कहा गया है कि इस गम्भीर स्थिति पर विचार किया जाये।

वर्तमान स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : वे लोग हमारे पास आए थे और कहते थे कि हजार नहीं बल्कि एक लाख व्यक्तियों को वहां से निकालना पड़ेगा। यह स्थिति हर साल उत्पन्न होती है। मैं जानना चाहता हूं कि दिल्ली निगम या अन्य अधिकारियों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाना चाहते हैं? इस मामले की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय नियुक्त करना आवश्यक है।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली): शाहदरा को बचाने के लिए जो बांध है, उस में से पानी बाहर निकल जाता है। इसको चौड़ा और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके बारे में वायदा तो किया जाता है किन्तु इसको पूरा नहीं किया जाता।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : हमारे पास इस बांध के टूटने के बारे में कुछ जानकारी है। यह जानकारी एक वक्तव्य में है, जो आप की आज्ञा से कल सभा पटल पर रख दिया जायेगा। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हो रहा है और पानी भी कम होता जा रहा है। अगले कुछ दिनों में स्थिति और भी सुधर जायेगी।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** (झज्जर): मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि कल वह जो वक्तव्य देंगे उसमें यह भी बतायें कि क्या यह सत्य है कि दिल्ली के अधिकारी रोहतक के पानी को दिल्ली क्षेत्र से होकर यमुना में नहीं जाने देते। जिसके कारण सारे रोहतक क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि सरकार इस स्थिति को रोकने के लिए जो हर साल उत्पन्न होती है क्या कदम उठा रही है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री एक विस्तृत वक्तव्य देंगे जिससे सदन के सब पक्ष संतुष्ट हो सके।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): नियम १९७ के अन्तर्गत, मैं इस्पात खान और ईंधन मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:—

"खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का कथित उत्पादन"

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं इस विषय के सम्बन्ध में तथ्य सदन के सामने रखता हूं।

अंकलेश्वर में १५ अगस्त, १९६१ से अशोधित तेल का उत्पादन हो रहा है और तेल का कुंआ संख्या ११ और १२ को संग्रह स्टेशन ३ से जोड़ दिया गया है। दोनों कुओं से प्रतिदिनि ८० टन तेल मिल सकता है। किन्तु अभी उनसे प्रतिदिन १० टन तेल ही निकाला

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय]

जा रहा है ; बर्मा शेल बम्बई में १ सितम्बर १९६१ से पहले तेल लेने को तैयार नहीं है। ३१ अगस्त १९६१ से प्रतिदिन १०० टन तेल भेजा जायेगा। जब तक मैसर्स बर्मा शेल अधिक तेल नहीं ले सकती तब तक अंकलेश्वर से प्रतिदिन १०० टन तेल भेजा जायेगा। इस मास के अन्त तक अंकलेश्वर तेल क्षेत्र बम्बई स्थित तेल शोधक कारखानों को प्रतिदिन लगभग २५० टन तेल भेज सकेगा, इस शर्त पर कि वे इतना तेल ले सकें। अंकलेश्वर में तेल के जो कुएं बनाये जा चुके है, उनसे प्रतिदिन लगभग ६५० टन तेल प्राप्त हो सकता है।

जहां तक कैम्बे का सम्बन्ध है, उपभोक्ता अपनी टैंकर लारियां तेल के क्षेत्रों को भेज सकें तो उनके लिये २५ टन अशोधित तेल भेजने का प्रतिबन्ध कर दिया गया है किन्तु खेद की बात है कि अभी तक किसी उपभोक्ता के पास टैंकर लारियां नहीं हैं और न ही उन्होंने कोई लारियां भेजी हैं हालांकि प्राकृतिक गैस आयोग तो १५ अगस्त, १९६१ को ही अशोधित तेल देने को तय्यार था ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : मैं जानना चाहूंगा कि सरकार अशोधित तेल को कैसे रखेगी ? क्या वह अन्य बम्बई में अन्य शोधक कारखानों के साथ कोई प्रबन्ध करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय**: कोई अन्य व्यवस्था करना आसान नहीं है। बर्मा-शेल कारखानों ने १ जनवरी, से प्रतिदिन १५०० टन तेल लेना था। वे सारा लेने के लिये तैयार नहीं है किन्तु १ सितम्बर से उन्होंने १०० टन प्रति दिन लेना स्वीकार कर लिया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाला अनुपूरक विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं दूसरी लोक-सभा के तेरहवें अधिवेशन, १९६१ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले अनुपूरक विवरण, संख्या ५ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (पहला संशोधन) नियम, १९६१

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : मैं तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १०२८ में प्रकाशित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (प्रथम संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल टी ३१३६/६१]

---

†मूल अंग्रेजी में

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५१ के अधीन अधिसूचना

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**) : मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६८ में प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६१।

(२) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६४।

(३) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची संख्या ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६५।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३१४२/६१]

प्राक्कलन समिति

एक-सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन

श्री दासप्पा (बंगलौर) : मैं वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय सम्बन्धी प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक-सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं मार्टिन एस० रेलवे यात्री संघ की कठिनाइयों के संबन्ध में १४०५ याचिकाकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में प्रस्ताव--जारी

अध्यक्ष महोदय : सदन अब २१ अगस्त, १९६१ को श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार शुरू करेगा :--

"कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखी गई थी, विचार किया जाये।"

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री नौशीर भरूचा (खानदेश पूर्व) : कल मैंने जो संशोधन पेश किया था और जिसे आप ने आज परिचालित करने के लिये कहा था उसके बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : उन को बोलने का दूसरा अवसर नहीं दिया जा सकता। तथापि चूंकि पिछला दिन रविवार था इस लिये मैं उन को संशोधन प्रस्तुत करने की विशेष अनुमति देता हूं।

श्री नौशीर भरूचा ने अपना संशोधन (संख्या ५) प्रस्तावित किया। जिसका सारांश यह है कि :

किसानों के लिये बिजली और पानी की दरें सस्ती की जायें, इसके अलावा उन्हें अच्छे बीज, अच्छी खाद और अच्छे औजारों की व्यवस्था की जाये; गांव में छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास कर, वहां के लोगों को रोजगार देने के साधनों में वृद्धि की जाये।

डा० मेलकोटे (रायचूर) : जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, गैर-सरकारी क्षेत्र के साथ हमारे सम्बन्ध श्रम मंत्रालय द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों से ठीक हो गये हैं। किन्तु ये विधियां और दृष्टान्त सरकारी क्षेत्र उपक्रमों ने स्वीकार नहीं किये। चूंकि वे सरकारी मशीनरी का हिस्सा हैं, इस लिये वे नियमों आदि का पालन करने की परवा नहीं करते। खेद की बात है कि औद्योगिक क्षेत्र में जहां श्रमिकों को अधिक समय तक काम करने का भत्ता आदि दिया जाता है सरकारी अस्पतालों के कर्मचारियों से अधिक समय तक काम लेने के बाद भी नहीं दिया जाता।

औद्योगिक उपक्रम अधिकतर बड़े बड़े शहरों—बम्बई, कलकत्ता आदि—में स्थापित किये जा रहे हैं। इन उद्योगों का पिछड़े हुये क्षेत्रों में वितरित किया जाना अत्यावश्यक है।

ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी की ओर जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था, नहीं दिया गया। इस बेरोजगारी को कम करने के लिये ग्राम्य और कुटीर उद्योगों को विशेष कर खादी को अधिकतम सहायता दी जानी चाहिये। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम मजूरियों को लागू करना भी अत्यावश्यक है।

योजना निर्माण करने वालों ने देश के लिये बहुत बड़ा काम किया है। हमें आशा है कि तीसरी योजना भी पहली दो की तरह सफल होगी।

श्री रामेश्वर राव (महबूबनगर) : यदि तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है, तो वित्तीय साधन, प्रशासनिक कार्यक्षमता और राजनीतिक योग्यता की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

योजनाओं में लोगों के सहयोग की समस्या भी पहले की तरह बनी हुई है। ग्राम स्तर पर खंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर—प्रत्येक स्तर पर लोगों को न केवल योजना के कार्यान्विय में बल्कि निर्माण में भी हाथ बटाना होगा।

दूसरी आवश्यक बात यह है कि योजना विकेन्द्रित होनी चाहिये।

योजना के सम्बन्ध में तीन प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। पहला यह कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का भविष्य क्या है ? मैं चाहता हूं कि सामुदायिक विकास क्षेत्र कृषि-उद्योग समुदाय के केन्द्र बनें। इन केन्द्रों में अनुसंधान प्रयोग शाला होनी चाहिये जिन में जा कर किसान कृषि सम्बन्धी मामलों में परामर्श ले सकें। सामुदायिक विकास क्षेत्र में एक कारखाना भी होना चाहिये जहां पर किसान इंजनों, ट्रैक्टरों आदि की मरम्मत करा सकें। इन केन्द्रों में ग्रामीण ऋण देने का भी प्रबन्ध होना चाहिये। प्रत्येक सामुदायिक विकास क्षेत्रमें औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था होनी चाहिये तथा इसके पश्चात् वहां ग्रामीण औद्योगिक बस्ती स्थापित की जानी चाहिये ।

यदि हम औद्योगिक प्रगति की ओर ही देखते रहें और कृषि की ओर हमारा अपेक्षत ध्यान न गया तो हम योजना को पूर्ण रूप से सफल नहीं कह सकेंगे। हमें सिंचाई की छोटी परियोजनाओं की ओर ध्यान देना होगा। इस बारे में मेरा निवेदन है कि सिंचाई के जो छोटे तालाब मरम्मत के अभाव में काम नहीं आ रहे हैं, उनकी मरम्मत की जानी चाहिए। उन से कोई ३० लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि योजना आयोग को इस बात पर विचार करना चाहिये कि इस समय हमारे देश का जो विस्तार हो रहा है और हम विकास की दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसका हमारे पड़ौसी देशों के विस्तार और विकास से क्या सम्बन्ध है। समय आने पर इस महत्वपूर्ण समस्या पर विस्तार से भी बातचीत हो सकती है।

श्री वाजपेयी (बलरामपुर): अध्यक्ष महोदय, एक अविकसित और अर्ध विकसित देश में आर्थिक नियोजन आवश्यक है, जिस से अल्प साधनों को कम से कम समय में प्रयोग में ला कर उस से अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त किए जा सकें ।

जो व्यक्ति अथवा दल आर्थिक नियोजन में विश्वास नहीं करते वे शायद वास्तविकता से दूर कल्पना के ऐसे राज्य में निवास करते हैं जहां करोड़ों लोगों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का कोई सवाल उन के सामने नहीं है। यदि हम अपने देश की परिस्थिति पर विचार करें तो इस बात से किसी को इन्कार नहीं हो सकता कि हमें आर्थिक विकास की एक रूपरेखा निश्चित करनी पड़ेगी। हम प्रति वर्ष बजट बनाते हैं जो एक वर्ष का आर्थिक नियोजन है, और यह आर्थिक नियोजन पांच वर्ष का या उस से आगे के समय का भी हो सकता है ।

हमें विचार यह करना होगा कि इस आर्थिक नियोजन का आधार क्या हो। भौतिक समृद्धि के साथ जीवन की हम और मान्यताएं लेकर खड़े हैं, उनकी कहां तक रक्षा की जाए ? हमने लोकतंत्रात्मक तरीके से आर्थिक विकास का संकल्प किया है। हम विश्व में एक महान प्रयोग कर रहे हैं, और भारत में लोकतंत्री तरीके से आर्थिक विकास किस सीमा तक सफल होता है इस बात के ऊपर एशिया और अफ्रीका में लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है ।

इस दिशा में हमने कुछ प्रगति भी की है और प्रत्येक भारतीय नागरिक को उस प्रगति के लिए गर्व होना चाहिए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है जिसको भी हमें ध्यान में रखना होगा।

प्रधान मंत्री जी ने योजना को कार्यान्वित करने के लिये सर्वदलीय सहयोग की मांग की है। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का सहयोग यदि योजना बनाने से पूर्व आमंत्रित किया जाता तो उसको देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए था। लेकिन योजना दलीय आधार पर बनायी जाती है। योजना के निर्माण में सब दलों की सहमति नहीं प्राप्त की जाती और जब योजना बन जाती है तो फिर उस के कार्यान्वन के लिए सब को निमंत्रित किया जाता है। मेरा निवेदन है कि पंचवर्षीय योजना की सफलता के लिए देश में जन सहयोग का जैसा वातावरण उत्पन्न करने की आवश्यकता है, उस दृष्टि से यह तरीका ठीक नहीं है ।

[श्री वाजपेयी]

प्रधान मंत्री जी ने केन्द्र में एक सर्वदलीय समिति का निर्माण किया था जिस में प्रायः सभी दलों के प्रतिनिधि थे मगर उस समिति को ठीक तरह से काम करने का अवसर नहीं दिया गया। योजना के सम्बन्ध में उसे अपनी निर्णायक समितियां रखने का अवसर प्रदान नहीं किया गया। और जब यह मांग की गयी कि इस प्रकार की सर्वदलीय समितियां राज्यों में भी गठित की जाएं तो उस के प्रति शासन की प्रतिक्रिया अच्छी नहीं थी।

नियोजक केवल केन्द्र का विषय नहीं है। जन सहयोग के लिए तो हमें गांव के गांव तक जाना पड़ेगा, और इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक स्तर पर जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाए, नियोजन को सर्वदलीय स्वरूप दिया जाए, इस के लिए एक मेरा सुझाव है कि जो नेशनल डेवेलपमेंट काउंसिल है उस में केन्द्रीय मंत्रियों के अतिरिक्त अभी तक सभी प्रान्तों के मुख्य मंत्री होते हैं। शासन इस बात पर विचार करे कि क्या उस नेशनल डेवेलपमेंट काउंसिल में मंत्रियों के और मुख्य मंत्रियों के अतिरिक्त संसद् से और राज्य विधान सभाओं से प्रोपोरशनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर चुने हुए कुछ सदस्यों को लेना उपयोगी नहीं होगा। आखिर में विकास योजनाओं का स्वरूप नेशनल डेवेलपमेंट काउंसिल की बैठक में निर्धारित होता है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यदि उस में अपने विचार रख सकें, आर्थिक योजनाओं को प्रभावित कर सकें, तो देश में एक ऐसा वातावरण बन सकता है कि हम निर्माण योजनाओं को दलगत राज-नीति से अलग रख सकें।

एस्टीमेट्स कमेटी ने यह भी सुझाव दिया था कि योजना आयोग में से मंत्रियों को हटा दिया जाए। योजना आयोग एक विशेषज्ञों की समिति रहे क्योंकि मंत्रिमंडल के सामने योजना आयोग की सिफारिशें आती हैं। उन में मंत्रियों के रखने की आवश्यकता नहीं है। पता नहीं क्यों इस सुझाव को भी अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

विरोधी दलों से यह आशा की जाती है कि वे पंचवर्षीय योजनाओं को आगामी आम चुनाव से अलग रखेंगे। प्रधान मंत्री जी ने इस तरह के विचार भी एक भेंट में प्रकट किये हैं। मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी पहले इस सम्बन्ध में अपने घर में बैठ कर फैसला करे। क्या कांग्रेस पार्टी आगामी आम चुनावों में पंचवर्षीय योजनाओं की उपलब्धियों के आधार पर जनता से वोट नहीं मांगेगी? अगर कांग्रेस पार्टी इस आधार पर वोट नहीं मांगेगी और योजनाओं से जो भी राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि और विकास एवं निर्माण कार्यों में प्रगति हुई है उसे एक राष्ट्रीय उद्योग और परिश्रय के रूप में उपस्थित किया जायेगा तो योजनाओं को चुनाव से अलग रखने की बात सफल हो सकती है। लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी अपने मंच से योजनाओं की सफलताएं बना कर प्रकट करेगी तो योजना में जो कमियां हैं अथवा खामियां हैं, उन्हें विरोधी दल वाले जनता के सामने रखने के लिए विवश होंगे। मेरा निवेदन है कि अगर योजना को चुनाव से अलग रखना है तो इस सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी को अपनी नीति स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी चाहिए।

जहां तक योजना से जनता की समृद्धि का प्रश्न है राष्ट्रीय आय में अभिवृद्धि हम सब के लिए आनन्द की बात है। लेकिन हम एक बात का विचार करें कि हमारे देश में हमें दो क्षेत्र दिखाई देते हैं। एक तो गांवों का क्षेत्र है, ५ लाख गांव, जिन में कि कुल जन संख्या का ८५ फी सदी भाग रहता है और एक शहरी क्षेत्र है जिन में कि १५ फी सदी जन संख्या निवास करती है। यह जो समृद्धि आई है, यह जो विकास के चिह्न हमें दिखाई देते हैं वे किस भाग तक सीमित हैं? क्या ८५ फी सदी गांवों की जनता जिस क्षेत्र में निवास करती है उस में इतनी मात्रा में हम प्रगति कर सके हैं जितनी मात्रा में अपेक्षित थी? मझे लगता है कि इस दृष्टि से हमारी विकास योजनाओं में एक मूलभूत

दोष है कि हम उद्योगीकरण भी इस ढंग से कर रहे हैं कि उसका परिणाम यह जो शहरी आबादी का क्षेत्र है उसको बढ़ाने में होता है और उसके परिणामस्वरूप जो ८५ फी सदी आबादी वाला गांव का क्षेत्र है उस के उद्योग धंधे प्रतियोगिता में नहीं टिक पाते और हम दुहरे संकट में फंस गये। गांव में रोजगार नहीं है इसलिये गांवों से बड़ी संख्या में जो शहरों की ओर आने वाले लोग हैं उन के लिए हमारे सामने सामाजिक सेवाओं की, निवास की और उन के लिए भोजन की व्यवस्था करने का प्रश्न है। दूसरे बड़े शहरों में जो उद्योग धंधे केन्द्रित हो रहे हैं और पश्चिम का अनुकरण करके बड़े पैमाने पर जो वहां उद्योगीकरण हो रहा है वह हमारे कुटीर उद्योगों को और छोटे उद्योगों को समाप्त कर रहा है।

प्रति व्यक्ति आय के जो आंकड़े दिये गये हैं अगर हम गांवों में निवास करने वाले व्यक्तियों की आय का हिसाब लगायें तो हमको यह बात माननी होगी कि सम्पूर्ण देश में शहरी आबादी के क्षेत्र में जो प्रति व्यक्ति की आय है, वह ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति की नहीं है।

उत्तर प्रदेश में इस तरह का कुछ अनुमान लगाया गया था कि गांव में निवास करने वाले व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है। उससे पता लगता है कि १९४८–४९ के मूल्यों के आधार पर गांवों में प्रति व्यक्ति आय १९४८–४९ से आज तक लगभग १९७ रुपये के आसपास ही रही है। १९४९–५० में यह १९७ रुपये और ६३ नये पैसे थी और १९५८–५९ में १९३ रुपये और ४७ नये पैसे है। मैं नहीं समझता कि अन्य प्रांतों में इस बारे में कोई आधारभूत अन्तर होगा अलबत्ता अन्य प्रान्तों में थोड़ा बहुत इससे फर्क हो सकता है। गांवों में जो खपत है अगर हम उसका अनुमान लगा कर देखें तो वह भी सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश के गांवों में १९५९–६० में प्रति व्यक्ति की खपत और आय के आंकड़े हमारी आखें खोल देने वाले हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वी उत्तरप्रदेश में प्रति व्यक्ति दैनिक खपत ८·९१ छटांक और ५१९·६ ग्राम है। पश्चिमी उत्तरप्रदेश में १०·६२ छटांक है। प्रति व्यक्ति की खपत में भी वृद्धि नहीं हुई है। शहरी आबादी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति की आय में भी कोई अन्तर नहीं पड़ा है। अब यह जो शहरी आबादी और ग्रामीण क्षेत्र का अन्तर बढ़ता जा रहा है उसके लिये तीसरी योजना में इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि इस अन्तर को किस तरीके से कम किया जायेगा ? यदि हमारा आर्थिक नियोजन और उसमें चलने वाला औद्योगीकरण इसी गति से और उसी दिशा में चलता रहा तो इस अन्तर को पाटा नहीं जा सकेगा और यह अन्तर और भी बढ़ता चला जायेगा। उसके लिये आवश्यकता है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का पुनर्गठन किया जाय और हम विकेन्द्रित अर्थ व्यवस्था की ओर जनता का ध्यान खींचें।

तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुल ८४ करोड़ रुपया छोटी मशीनों से चलने वाले उद्योगों के लिये रखा गया है। अगर दूसरी योजना में और तीसरी योजना में छोटे उद्योगों के लिये दी गई धनराशि का विचार करें तो तीसरी योजना में दी गई धनराशि, छोटे उद्योगों, कुटीर उद्योगों और हाथ की कारीगरी के धंधों को पुनर्जीवित करने की मांग को पूरा नहीं कर सकती और जब तक हम गांवों के उद्योग धंधों को उनके स्वयं के पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे हम इस देश के आर्थिक विकास के प्रयत्न में सफल नहीं हो सकते हैं। इसके लिये यह भी आवश्यक है कि भूमि सुधारों के संबंध में एक दृढ़ नीति अपनाई जाय। भूमि की सीमा निर्धारित की गई है मगर कहीं भी उस सीमा के अन्तर्गत भूमि को लाने के लिये कोई प्रबल प्रयत्न नहीं किया गया है। कुछ राज्यों ने तो भूमि की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने की अवधि इतनी बढ़ा दी है कि उस बीच में जिनके पास सीमा से अधिक भूमि थी उस अतिरिक्त भूमि को उन्होंने अपने घर वालों में और कुटुम्ब वालों में वितरित कर दी है और जो भूमिहीन हैं जिनके कि पास अनआर्थिक जोत है उनको देने के लिये

[श्री वाजपेयी]

कोई भूमि नहीं बची। लेकिन अभी भी भूमि वितरण के जो आंकड़े मिलते हैं उनसे पता चलता है कि आजकल ४० प्रतिशत परिवारों के पास प्रति परिवार एक एकड़ से भी कम भूमि है और उनके पास कुल भूमि का केवल १ प्रतिशत है। इसके विपरीत ४ प्रतिशत परिवारों के पास कुल भूमि का एक तिहाई भाग है। आवश्यकता इस बात की है कि भूमि सुधारों को दृढ़ता से कार्यान्वित किया जाय। जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है और जो व्यक्तिगत देखभाल नहीं कर सकते वह सघन खेती के उद्देश्य में सफल नहीं हो सकते। उनसे मर्यादा से अधिक भूमि लेकर भूमिहीनों में वितरित की जानी चाहिये। लेकिन राज्य सरकारें इस संबंध में केन्द्र के आदेशों का ठीक तरीके से पालन नहीं कर रही हैं। ऐसा मालूम होता है कि निहित स्वार्थों ने राज्य सरकारों को प्रभावित किया है और यह भूमि वितरण के मार्ग में रोड़ा बन कर बैठी हुई हैं और इसका परिणाम यह हो रहा है कि हम अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिये भी आम किसान को अधिक परिश्रम करने के लिये और सघन खेती करने के लिये प्रोत्साहित नहीं कर पा रहे हैं ....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वाजपेयी : श्रीमान, मैं अपने ग्रुप की ओर से बोलने वाला एक ही सदस्य हूं और मुझे बोलने के वास्ते कुछ अधिक समय दिया जाय। अब यह थर्ड प्लान का इतना बड़ा पोथा है और १५ मिनट में उसके साथ न्याय करना संभव नहीं है और इसलिये मुझे कुछ अधिक समय मिलना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को १८ मिनट दिये गये हैं . . .

श्री वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि मुझे कम से कम २५ मिनट मिलने चाहियें। अभी कई महत्वपूर्ण विषय बाकी बच रहते हैं जिनकी कि ओर मैंने संकेत भी नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। माननीय सदस्य दो, चार मिनट और ले लें।

श्री वाजपेयी : गांवों में निवास करने वाले व्यक्तियों की आमदनी का क्या हाल है इसका मैंने थोड़ा सा दिगदर्शन कराया था। उत्तरप्रदेश में अभी हाल में एक सर्वे किया गया है जिससे पता लगता है कि ४५ प्रतिशत परिवार ऐसे हैं जिनका कि मासिक खर्चा ५० रुपये प्रति परिवार से भी कम है। ५० प्रतिशत परिवार ऐसे हैं, जिनका मासिक खर्च १५० रुपये है और कुल ५ फीसदी परिवार ऐसे हैं, जो महीने में १५० रुपये से अधिक खर्च करते हैं। अगर इस रोशनी में हम राष्ट्रीय आमदनी बढ़ाने के दावों को देखें, तो हमें पता लगेगा कि जो हमारी अर्थ-व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्र है, उसके साथ न्याय नहीं किया जा रहा है। भारत की जनता अन्ततोगत्वा इस ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है। अगर हम उस के लिये आर्थिक समृद्धि बुनियादी चीजों की पूर्ति के रूप में नहीं ला सकते हैं, तो राष्ट्र के निर्माण के महान प्रयत्न में ८५ फीसदी जनता को अपना योगदान देने के लिये प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता।

इस आर्थिक योजना के साथ सुरक्षा का कोई मेल नहीं बिठाया गया है। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा कि अगर विश्व में किसी ने पलीता लगा दिया, तो हमारी आर्थिक योजना भी उस के साथ उड़ जायगी। हमें आशा करनी चाहिये कि विश्व में शांति रहेगी, लेकिन हमारा आर्थिक नियोजन सुरक्षा की आवश्यकताओं को बिलकुल दृष्टि से ओझल करके चले, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। इसलिये यह आवश्यक है कि हम आर्थिक योजना के साथ साथ सुरक्षा की भी योजना बनायें और वह हमारी आर्थिक योजना का एक हिस्सा होनी चाहिये। दोनों को मिलाने की जरूरत नहीं है लेकिन देश के सामने यह बात स्पष्ट की जानी चाहिये कि आर्थिक नियोजन

के साथ साथ सीमा सुरक्षा का प्रबन्ध भी ठीक चल रहा है। उसके लिये हम कौन से काम करने जा रहे हैं, कितनी धन राशि देने जा रहे हैं, उसकी एक पूरी तस्वीर हमारे सामने आनी चाहिये। कभी कभी ऐसा होता है कि जब विदेशी आक्रमण के विरोध का सवाल पैदा होता है, तो कहा जाता है कि हम इसलिये इस संबंध में कार्यवाही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी आर्थिक योजनायें खटाई में पड़ जायेंगी और आर्थिक योजना बनाते समय शायद इस बात का हम ध्यान नहीं रखते कि हमें इस प्रकार के किसी संभावित संकट का सामना करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आर्थिक नियोजन को देश की सुरक्षा के प्रश्न से अलग नहीं किया जा सकता है और उसका भी पूरा विचार होना चाहिये।

इस योजना में नये टैक्सों के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, एक बात मैं उनके संबंध में कहना चाहता हूं। अगर हम विकास के नये कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, तो जनता पर अधिक बोझा पड़ेगा। मगर जनता के किस वर्ग पर बोझा पड़ना चाहिये, इसका विचार करना आवश्यक है। यदि हम इस परिणाम पर पहुंच गये हैं कि अप्रत्यक्ष कर लगाने की गुंजाइश नहीं है, जैसी कि वित्त मंत्री ने घोषणा की थी, तो फिर हम आर्थिक नियोजन के लिये रुपया प्राप्त करने के लिये ऐसे टैक्सों का सहारा लेंगे, जिनका बोझा आम आदमी पर पड़े और इसका परिणाम यह होगा कि हम जिनका जीवन स्तर उठाने की बात करते हैं, उनके जीवन स्तर को उठाने में कठिनाई पैदा होगी। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़े देखे जायें, तो ज्ञात होगा कि अप्रत्यक्ष कर (इनडायरेक्ट टैक्सिज) का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और प्रत्यक्ष करों का अनुपात धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एक्साइज ड्यूटीज़ भी बढ़ रही हैं। इसके अतिरिक्त केवल प्रांतीय सरकारें और केन्द्रीय सरकार ही टैक्स नहीं लगातीं। इस योजना में केवल उन का विचार ही नहीं किया गया है, अपितु जो स्थानीय संस्थायें हैं, नगर पालिकायें और जिला परिषदें इत्यादि, उनसे भी हम यह आशा करते हैं कि वे अपने साधनों को इकट्ठा करेंगी और सरकार से मिलने वाली सहायता के बराबर कोई इस तरह की सहायता, मैचिंग ग्रांट्स, जोड़ेंगी। तो कुल मिला कर जनता पर कितना बोझा पड़ता है, इस का विचार होना चाहिये और अगर हम इस का विचार करते हैं तो यह कहना पड़ता है कि जनता की आवश्यकताओं को देखते हुये आर्थिक नियोजन के हमारे लक्ष्य कम हैं, किन्तु हमारे साधनों को देखते हुये शायद वे हमारी शक्ति के बाहर चले जायेंगे। यह आवश्यक है कि हम जनता की बोझ उठाने की मर्यादा का भी ध्यान रखें। क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिये कि हम लोकतंत्रीय ढांचे में नियोजन कर रहे हैं। अन्य देशों से हम तुलना नहीं कर रहे हैं और न ही करनी चाहिये। केवल आर्थिक लक्ष्य ही हमारे सामने नहीं हैं, अपितु नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी हैं।

बढ़ती हुई बेकारी का हम ध्यान रखें। तीसरी योजना के निर्माताओं ने इस बात को माना है कि आज देश में जितनी बेकारी है, पांच साल बाद तीसरी योजना पूरी हो जाने पर उससे ज्यादा बेकारी होगी। बेकारी से केवल कुछ लोगों का श्रम अनुपयोगी होता है, केवल इतनी ही बात नहीं है। बेकारी हमारे लिये एक सामाजिक और राजनैतिक संकट पैदा करेगी। पढ़े-लिखे लोगों की बेकारी तो हमारे राज्य के स्थायित्व के लिये भयंकर वस्तु है। मगर हमारा नियोजन ऐसा है जो बेकारी को बढ़ाता है। इसका एक ही तरीका है कि हमारी योजनायें पूंजी-प्रधान कम होनी चाहिए, श्रम-प्रधान अधिक होनी चाहिए। हमारे यहां जन-बल ज्यादा है। वह हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम उसका समुचित उपयोग करें, तो हम अपनी विकास-योजनाओं को काफी सीमा तक पूरा कर सकते हैं। भगवान अगर किसी को जन्म देता है, तो केवल खाने के लिये पेट देकर नहीं भेजता है, उस पेट को भरने के लिये दो हाथ देकर जन्म देता है। लेकिन हम उन दो हाथों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं

[श्री वाजपेयी]

और इसका कारण यह है कि हमारे औद्योगीकरण का ढांचा ऐसे देशों की पद्धति पर आधारित है, जिन के सामने बढ़ती हुई जन-संख्या को काम देने का शायद सवाल नहीं था। लेकिन हमारे सामने लोगों को काम देने की समस्या है।

काम का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। हमने इस भूमि को कर्म–भूमि माना है, लेकिन काम नहीं है और अगर हम उत्पादन के ऐसे तरीके अपनायें, जिसमें उत्पादन बढ़ जाये, लेकिन श्रम की बचत हो, तो वह तरीका आज की देश की हालत में कारगर नहीं हो सकता। आज की स्थिति में भारत में आटोमेशन लागू करने का कोई मतलब नहीं है। हम मशीनों से काम लें और मनुष्य को बेकार कर दें, तो मशीनों के द्वारा पैदा किये गये माल को, मशीनों की पैदावार को खपाने के लिये बाजार कहां से मिलेगा ? विदेशी बाजार पर निर्भर रह कर हम अधिक दिनों तक अपने आर्थिक ढांचे को स्थायी रूप से खड़ा नहीं रख सकते। यदि हमने अपने आर्थिक ढांचे को एक दृढ़ और ठोस आधार प्रदान करना है, तो फिर हमको मशीनों की पैदावार के लिये अपने देश में ही बाजार तैयार करना होगा और वह यहां के आम आदमी की क्रय-शक्ति को बढ़ाये बिना सम्भव नहीं है। उसके लिये यह आवश्यक है कि इस देश के हर सबल और सक्षम आदमी को काम देने की व्यवस्था की जाये। लेकिन पंच वर्षीय योजनायें हर सबल आदमी को काम देने में सफल नहीं हुई हैं।

पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करने में, जो हमारे उद्योग–धंधों में और सरकारी कार्यालयों (दफ्तरों) में लगे हुए कर्मचारी हैं, उन्होंने कितना परिश्रम किया है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। पब्लिक सैक्टर बढ़ता जा रहा है। अधिकाधिक कार्य सरकार अपने हाथ में लेती जा रही है। लेकिन अब समय आ गया है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि सरकारी कर्मचारियों और सरकारी उद्योग-धंधों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकार क्या होंगे, उन्हें अपने संगठन बनाने की छूट होगी, या नहीं। जब से कर्मचारी-संगठनों की मान्यता वापस ली गई है, योजनाओं को सफल करने में कर्मचारियों का उत्साह बढ़ा है, यह कोई विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मान्यता वापस करने की बात तो अलग रही, गृह-मंत्रालय ने एक आदेश निकाला है, जिसमें केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के कर्मचारियों को चुनाव की सभाओं में भाग लेने से मना किया गया है। मेरी समझ में नहीं आता कि किसी कर्मचारी को चुनाव की सभा में भाग लेने से, चुनाव की सभा में जाकर भाषण सुनने से कैसे मना किया जा सकता है। वे राजनीति में भाग न लें, वह ठीक है। वे किसी दल से सम्बद्ध न हों, यह आवश्यक है। सरकारी कर्मचारियों को सक्रिय राजनीति से अलग रहना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें वोट का अधिकार है, तो उस अधिकार का ठीक तरह से उपयोग करने के लिये यह आवश्यक है कि वे राजनैतिक दलों की सभाओं में जाकर इस बात पर विचार करें कि वे देश को क्या आर्थिक कार्यक्रम देते हैं, देश के भविष्य की कौन सी तस्वीर उनके सामने रखते हैं।

मगर होम मिनिस्ट्री ने एक फरमान जारी कर दिया। मेरे पास गृह-मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर की प्रतिलिपि है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं . . .

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): सम्भवतः आपके इस वक्तव्य से यह भ्रम फैला जा रहा है कि किसी सरकारी नौकर को किसी आम सभा में जो बात कही जा रही से, उसको सुनने तक का अधिकार नहीं है। ऐसा तो कोई भी आदेश गृह मंत्रालय की ओर से नहीं निकाला गया है, जहां तक मैं जानता हूं।

श्री वाजपेयी : जरा मुझे मौका दें बोलने का और मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। मैंने और मेरे साथ-साथ श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी ने स्टार्ड क्वेश्चन नम्बर ६५७ पूछा था और उसका होम मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है :—

"निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय द्वारा गृह-मंत्रालय से पूछा गया तो उन्होंने परामर्श दिया कि सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल की सभाओं में नहीं जाना चाहिए।"

इसका क्या मतलब है? चुनाव के दौरान में अगर कोई राजनीतिक दल मीटिंग करे तो आप सरकारी कर्मचारी को एटेंड करने का मौका नहीं देंगे? यही यहां पर लिखा हुआ है। मैं माननीय गृह-मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर यह बात गलत है तो इसका वह खण्डन करें। अगर आपको राजनीतिक दलों की चुनाव सभाओं में सरकारी कर्मचारियों का जाना पसन्द नहीं है तो आप २० लाख कर्मचारियों के वोट के अधिकार को छीन लीजिये। लेकिन अगर आप वोट के अधिकार को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें चुनाव सभाओं में जाकर सुनने से आप रोक नहीं सकते हैं। वे चुनाव सभाओं में भाग न लें, चुनाव सभाओं में बोलें नहीं और किसी भी चुनाव गतिविधि में भाग न लें, यह सब कुछ तो समझ में आ सकता है, मगर आप मीटिंग में जाकर सुनने भी नहीं देना चाहते, यह समझ में बात नहीं आती है। शायद नई दिल्ली की पराजय को आप अभी तक भूले नहीं हैं। मगर याद रखिये कि यह नई दिल्ली सारे देश में दौहराई जाएगी अगर आप सरकारी कर्मचारियों को उनके आधारभूत अधिकारों से भी वंचित करेंगे।

†**श्री कर्णी सिंहजी** (बीकानेर): मैंने प्रत्येक दृष्टि से विचार करके देखा है और मेरा यह मत है कि हमारे प्रधान मंत्री इससे अच्छी योजना देश के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। मैं एक स्वतन्त्र सदस्य की हैसियत से इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। पूर्ण तो संसार में कोई भी वस्तु नहीं है फिर भी इस दिशा में सम्भव प्रयत्न किये गये हैं। परन्तु खेद यह है कि हम सबको आलोचना की दृष्टि से ही देखने के अभ्यस्त हो गये है। हमारा अधिकतर ध्यान दल की टिकट प्राप्त करने और चुनाव जीतने की ओर अधिक रहता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इतनी व्यापक और विशाल योजना पर विचार करते हुए हमें जनसंख्या के प्रश्न पर भी विचार करना ही होगा। आज से १५ वर्ष बाद देश की जनसंख्या ६२·५ करोड़ हो जायेगी। इस दिशा में यह उल्लेखनीय है कि इन वर्षों में जन-संख्या में जो वृद्धि होगी वह अमरीका की वर्तमान जनसंख्या के बराबर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इसकी ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरा मत तो यह है कि जब तक हम इस तथ्य की जांच न करें तब तक कोई योजना सफल नहीं हो सकती। अतः स्थिति को देखते हुए मेरा यह निवेदन है कि परिवार नियोजन की समस्या बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं इस बात पर जोर दूंगा कि इस सम्बन्ध में उचित गवेषणा की जानी चाहिए।

देश की एकता के सम्बन्ध में हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने के लिए हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव सम्प्रदाय और जाति के आधार पर नहीं वरन् केवल भारतीय नागरिकता के आधार पर लड़े जायें। इसके साथ ही मैं अपने राज्य राजस्थान के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कहना चाहता हूँ। राजस्थान में जल

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कर्णी सिंह जी]

प्रदाय को उच्चतम प्राथमिकता दी जाय। राजस्थान में एक पलाना कोयला खान है जिसमें से ५० लाख टन कोयला प्राप्त हो सकता है। आजकल जिस ढंग से यहां कोयला निकाला जाता है उससे केवल १५ प्रतिशत कोयला प्राप्त होता है। मेरा सुझाव है कि इस खान से 'ओपन पिट' प्रणाली द्वारा कोयला निकालने के प्रस्ताव का परीक्षण किया जाय। इस खान से कोयला अधिक से अधिक निकालने के विचार से इस कार्य को तीसरी योजना के अन्तर्गत लिया जाय।

सामुदायिक विकास की दिशा में मेरा यह सुझाव है कि जिन नगरों की आबादी ५००० से लेकर १०००० तक की है उन्हें भी जल प्रदाय के लिए सरकार से सहायता मिलनी चाहिए। मेरी आशा है कि देश के लोग योजना का समर्थन करते हुए नये भारत के निर्माण में पूरा योग देंगे। यदि भारत के युवकों ने देश के प्रधान मंत्री के हाथ मजबूत किये तो वह दिन दूर नहीं जब हम भारत को एक नये रूप में देख सकेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा** (जम्मू और काश्मीर) : श्री रंगा ने योजना को कांग्रेस दल की पताका कहा है और ऐसा कहते हुये उन्होंने स्वतन्त्र दल की पताका गाड़ने का प्रयत्न किया है। उनके इस विचार से मुझे अपार दुःख हुआ है कि सहकारी कृषि से किसानों की स्वतन्त्रता छीनी जा रही है। यदि सहकारी इस देश में सफल हो गई तो किसान से सब कुछ छिन जायेगा। एक किसानों का अनुभवी नेता यह बात कहे इस से मुझे अपार दुःख हुआ है। हमें यह बात भी समझनी चाहिये कि आर्थिक ढांचे में समुचित तबदीली किये बिना हम सामाजिक ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं ला सकते। श्री रंगा राष्ट्रीय योजना का विरोध इस लिये करते हैं क्योंकि वह सरकारी क्षेत्र के विरोधी है। यह स्वाभाविक है कि जिन लोगों के स्वार्थ एकाधिकार में निहीत हैं। वे लोग तो सरकारी क्षेत्र का विरोध करेंगे ही।

प्रथम और द्वितीय योजना के अन्तर्गत कृषि की दिशा में हमने अच्छी खासी प्रगति की है। द्वितीय योजना काल में हमें किसी खाद्य संकट का भी सामना नहीं करना पड़ा है। फिर भी हमने अभी इस दिशा में पर्याप्त प्रगति करनी है। मेरा सुझाव है कि योजना के कृषि पहलू में सुधार किया जाना चाहिये। अधिक अच्छे वेतन इत्यादि दे कर कृषि गवेषणा तथा प्रशासन के लिये प्रतिभाशाली लोगों को नियुक्त किया जाना चाहिये। अधिक अच्छी कृषि सेवाओं के लिये नालागढ़ समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर उन्हें कार्यान्वित किया जाये। हम देख रहे हैं कि अन्य देशों ने कृषि अनुसंधान की दिशा में बहुत ही प्रगति की है और हम इस मामले में बहुत ही पीछे हैं।

अब मैं जम्मू और काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ कहूंगा। यह तो सब को ज्ञात ही है कि काश्मीर में खनिज पदार्थ काफी मात्रा में उपलब्ध हैं। मेरा सुझाव यह है कि काश्मीर में, जहां खनिज पदार्थ काफ़ी मिलते हैं वहां एक रेलवे लाइन बनाई जाय। इसकी बहुत ही सख्त जरूरत है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में बार बार दिये गये आश्वासनों के बावजूद बहुत ही थोड़ी प्रगति हुई। मेरा कहना है कि रेलवे लाइन को जम्मू तक पहुंचाने के लिये एक निश्चित योजना होनी चाहिये। यदि ऐसा किया जायेगा तब ही राज्य के खनिज पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता

---

†मूल अंग्रेजी में

करनी चाहिये ताकि वहां छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। इस उद्देश्य के लिये प्राविधिक तथा वित्तीय दोनों प्रकार की सहायता दी जानी चाहिये। इन शब्दों से मैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के विविध अंगों का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

†**चौधरी ब्रह्म प्रकाश** (दिल्ली सदर): मैं इस योजना का समर्थन करता हूं। कुछ एक लोगों को छोड़ कर सभी वर्गों की ओर से योजना को समर्थन प्राप्त हुआ है इससे मुझे काफी हर्ष हुआ है। योजना से हमें शक्ति प्राप्त हुई है और समाजवादी अर्थ-व्यवस्था में हमारा विश्वास अडिग हुआ है। यह भी बहुत ही सन्तोष की बात है कि सरकारी क्षेत्र की परिधि को और विस्तृत किया जा रहा है। यह भी हर्ष की बात है कि इस बार विदेशी विनिमय की कठिनाई भी कुछ कम ही है और हम भारी उद्योगों का निर्माण कर रहे हैं।

मेरा मत यह है कि इन सारी बातों पर विचार करने हुये हमें यह सोचना चाहिये कि हम अपने समाजवादी समाज के लक्ष्य की ओर कितना आगे बढ़े हैं। मेरा मत यह है कि अभी तक जो उपाय किये गये हैं, वे एक समाजवादी समाज के आदर्श को प्राप्त करने के लिये काफी सिद्ध नहीं हुये हैं। हमें सरकारी क्षेत्र को और मजबूत बनाना होगा तथा इस क्षेत्र में कुछ अन्य संस्थाओं का भी निर्माण किया जाना चाहिये। जिस प्रकार का समाजवाद और प्रजातंत्र हम इस देश में निर्माण करना चाहते हैं, उसके लिये हमने सहयोग को एक प्रमुख साधन के रूप में अपनाया हुआ है। परन्तु आज एक बात स्पष्ट रूप में देखने को मिल रही है कि आर्थिक शक्ति कुछ एक हाथों में केन्द्रित हो रही है। हमारे आधारभूत संसाधनों का प्रयोग केवल एक लोग और संस्थान ही कर रहे हैं। मेरा यह स्पष्ट मत है कि समाजवाद के समुचित विकास के लिये यह बड़ी हानिकारक चीज है।

मैं यह मांग करना चाहता हूं कि भारत सरकार तथा इसके योजना निर्माता सहकारी क्षेत्र के विकास के लिये एक उच्च शक्ति प्राप्त बोर्ड की स्थापना करे। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वह इस क्षेत्र के लिये पृथक आर्थिक आवंटन की व्यवस्था करे तथा योजनाओं को पूरा करने के लिये उचित व्यवस्थापन का प्रबन्ध करे। ग्रामों में भरण, विद्युत् शक्ति तथा अन्य लाभों को सहकारी संस्थाओं को दिया जाय तथा व्यक्तियों को नहीं। यह भी करना चाहिये कि ग्राम्य जीवन में नये अधिकार केन्द्रों को स्थापित न किया जाय। इसी प्रकार गृह-निर्माण तथा गन्दी बस्तियों की सफाई के लिये अधिक धन की व्यवस्था की जाये। सरकार को चाहिये कि आने वाले २० वर्षों की आवश्यकतायें पूरा करने के लिये प्रत्येक नगर में सार्वजनिक खर्च पर सारी उपलब्ध भूमि का अधिग्रहण करें तथा एक सुदृढ़ नगर योजना निर्माण संस्था की स्थापना करे। ऐसा न हो कि योजना के बारे में बातें ही होती रहें और काम कुछ भी न हो सके।

प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण का कार्य भी अपेक्षित गति से नहीं हो रहा। इसकी गति काफी मन्द रही है। आशा की जाती थी कि उचित समय में यह कार्य अपना पूरा प्रभाव दिखायेगा तथा पंचायत समितियां और जिला परिषद् अन्ततः क्षेत्रीय प्रशासन का रूप धारण करेंगे।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना): थोड़ी बहुत असफलता इधर उधर चाहे हो परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी गत योजनायें असफल रही हैं। गत वर्षों में हमारी कृषि और औद्योगिक क्षमता बढ़ी है, इससे कभी भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस बात को मैं स्वीकार

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अजित सिंह सरहदी]

करता हूं कि पहली और दूसरी योजना में ग्राम्य तथा अग्राम्य क्षेत्रों में जो असमता दिखाई दी थी वह तीसरी योजना में और बढ़ जायेगी । दूसरी बात यह है कि हम कृषि तथा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर जोर दें और औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय भेदभाव दूर करें ।

तीसरी योजना में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में उत्पादन में केवल २५ प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान किया गया है जब कि खनिज पदार्थों तथा कारखानों के सम्बन्ध में इस वृद्धि का अनुमान ८२ प्रतिशत है । दूसरी कृषि श्रम जांच समिति ने यह प्रकट किया है कि कृषि श्रम की बहु संख्या की आय बहुत कम है । जहां प्रति व्यक्ति आय ३३० रुपये है, परन्तु किसी खेतिहर मजदूर की आय केवल ८४ रुपये ही है । इस दिशा में ग्राम्य तथा कृषि सम्बन्धी अर्थव्यवस्था पर उचित जोर नहीं दिया गया है । यह सम्भव है कि हम कृषि उत्पादन को बढ़ा कर १००० लाख टन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें । परन्तु मेरा निवेदन है कि ऐसा करना तब तक सम्भव नहीं होगा जब तक हम ग्राम्य औद्योगीकरण का काम नहीं कर पाते तथा अनाज के मूल्य सम्बन्धी किसी सूत्र को तैयार नहीं कर पाते । हमें पता लगना चाहिये कि जिस न्यूनतम मूल्य का किसान पात्र है, उसके सम्बन्ध में सर्वेक्षण सम्बन्धी क्या कार्य किया गया है ।

ग्राम्य औद्योगीकरण बहुत महत्वपूर्ण है । यह आवश्यकता है कि न केवल बड़ी बड़ी परियोजनायें बल्कि छोटे पैमाने के उद्योग और ग्रामोद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाये जायें । इस प्रयोजन के लिये एक स्वायत्त बोर्ड स्थापित करना चाहिये, जिसकी शाखाएं सारे राज्यों में हों ।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और ग्रामीण लोगों को खाली समय में काम देना चाहिये ।

प्रतिवेदन में यह स्पष्ट करना आवश्यक था कि प्रादेशिक असमानता अत्र कितनी है । मैं पंजाब के बारे में कहूंगा । पंजाब को एक भारी मशीनरी औजारों का कारखाना तो दे दिया गया है किन्तु सीमेंट का और कागज का कारखाना अभी तक नहीं दिया गया । पंजाब में छोटे पैमाने के उद्योग तो बहुत हैं परन्तु भारी उद्योग नहीं हैं । इस मामले में पंजाब के साथ न्याय होना चाहिये ।

छोटे पैमाने के उद्योगों की दो बड़ी आवश्यकताओं वित्त और कच्चा माल को पूरा करने के लिये संतोषजनक प्रबन्ध होना चाहिये ।

यदि हम देश में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना चाहते हैं तो हमें अध्यापकों की प्रतिष्ठा और वेतन आदि में सुधार करना होगा ।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोडी) : पहली दो योजनाओं की सफलता की जांच करने के लिये यह देखना आवश्यक है कि क्या राष्ट्रीय धन में जो वृद्धि हुई है, जन साधारण को उस में कोई हिस्सा मिला है और क्या आयोजन का सामाजिक लक्ष्य प्राप्त हुआ है ।

इस का उत्तर यह है कि ऐसा नहीं हुआ । राष्ट्रीय आय में जो ४६ प्रतिशत वृद्धि हुई है जन साधारण को, जिन में भूमिहीन श्रमिक, किसान, औद्योगिक तथा कृषि श्रमिक और मध्यम वर्ग के लोग सब सम्मिलित हैं, उस से कोई लाभ नहीं हुआ । मुद्रास्फीती और बेरोजगारी बढ़ी हैं । लघु तथा ग्राम उद्योगों के विकास से बेरोजगारी कम नहीं हुई । पिछली दो योजनाओं से केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों, व्यापारियों, ठेकेदारों और शासकों को फायदा हुआ है ।

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी योजना की सफलता के लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, किन्तु चूंकि लोगों को कोई लाभ नहीं होता, इसलिए वे अपना सहयोग नहीं देते ।

सभी प्रयत्नों के बावजूद, कृषि उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है । इसका सब से बड़ा कारण यह है कि हमारे खेती के तरीके बहुत पुराने हैं । हमें इन तरीकों को छोड़ कर कृषि के यन्त्रीकरण के तरीकों को लाना होगा जिस से विस्तृत पैमाने पर खेती करने की आवश्यकता होगी और खेती सहकारिता या संयुक्त आधार पर करनी होगी । सहकारी संस्थाओं द्वारा कृषि सम्बन्धी सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए एक ऐसा वातावरण पैदा करने की आवश्यकता है, जिस में समता हो और शोषण न हो सके । यह वातावरण भूमि-सुधार के क्रांतिकारी प्रकार ढंग से ही हो सकता है । सहकारी खेती की सफलता के लिए भूमि का स्वामित्व सहकारी संस्थाओं को देना होगा । ऐसा करने से लोग अधिक उत्पादन करने के लिए उत्साहित होंगे ।

यदि सरकार चाहती है कि आर्थिक स्थिति और न बिगड़े तो उसे हर हालत में अप्रत्यक्ष करारोपण से बचना चाहिए । उसे राजस्व के अन्य साधनों को ढूंढना होगा । उदाहरणतया शराबबन्दी की नीति को, जिस से कुछ लाभ नहीं हुआ छोड़ देना चाहिए । ऐसा करने से सरकार को पांच सालों में २०० करोड़ रुपये या इस से भी अधिक आय होगी और इस को लागू करने का व्यय भी बच जायेगा ।

सामुदायिक विकास कार्यों पर हम ३०० करोड़ रुपये खर्च करना चाहते हैं । इस कार्य-क्रम को बन्द कर के यह राशि बचाई जा सकती है, क्योंकि इस कार्यक्रम का कोई लाभ नहीं । यही काम दूसरे विभाग---राजस्व विभाग, कृषि विभाग या लोक निर्माण विभाग कर सकते हैं ।

यदि व्यर्थ के व्यय को रोका जाये और भ्रष्टाचार का अन्त किया जाये, तो १,६०० करोड़ रुपये के नये कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी ।

अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या अनुसूचित जातियों की जनसंख्या से एक तिहाई है, परन्तु योजना के अन्तर्गत उन्हें अनुसूचित जातियों से दुगनी से भी अधिक राशि मिल रही है । अनुसूचित जातियों के प्रति यह अन्याय दूर होना चाहिए ।

राजा महेन्द्र प्रताप (मथुरा) : श्रीमान् जी, मेरा तो एक ही कहना है, ज्यादातर कि जो सोचने का ढंग है, उसको बदला जाए । यह जो नक्शा बनाया गया है, यह बहुत बड़ा बनाया गया है और इस में बड़े सब्ज बाग़ दिखलाये गये हैं । बहुत अच्छी बात है । बहुत सी बातें जो हमारे दोस्तों ने कहीं हैं, वे मैं भी कहना चाहता था लेकिन जब उनको उन्होंने कह दिया है तो फिर उनको दोहराने की जरूरत नज़र नहीं आती है । मेरा कहना यह है कि आप ज्यादा नक्शे मत बनाइये, लोगों को अपने नक्शे आप बनाने दीजिये, आप सारी ताक़त अपने हाथ में मत लीजिये, लोगों को सच्चे मानों में ताक़त दीजिये । मैं तो स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र पार्टी का भी सदस्य नहीं हूं । मैं चाहता हूं कि सभी लोगजो यहां हैं, स्वतंत्र हो जाएं, यह पार्टी के फंदे उनके गले में से निकल जाएं, । साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि तमाम देश भी स्वतंत्र हो जाए । आज स्वतंत्र नहीं हैं । मैं चाहता हूं कि आजकल जो तरी सोचने के हैं, उनको बदल जाए । जो तरीका आजकल चल रहा है उस में किसी का दोष नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है । हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो वजीर साहिबान हैं, उन्होंने एक खास तरह की तालीम पाई है और उसके मुताबिक ही वे किया करते हैं । इसलिए किसी का भी दोष नहीं है । मैंने यह कई बार कहा है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है । जब हिन्दू घर में रह कर कोई लड़का बड़ा होगा तो वह मंदिर में ही जाएगा, मुस्लिम घर में बड़ा होगा तो वह मस्जिद ही जाएगा । ये जो बड़े हुए हैं, अंग्रेज़ी तालीम में बड़े हुए हैं । इनके लिए लंदन ही मक्का है । ठीक है, इस में कोई हर्ज की बात भी नहीं है । लोगों को आजादी होनी चाहिये ।

[राजा महेन्द्र प्रताप]

इस वक्त कोशिश यह की जाती है कि जो कुछ हो वह सरकार करे कारखाने सरकार बनाये तथा और जो काम भी हो वह सरकार करे हमारी सभ्यता में यह लिखा हुआ है कि जब राजा व्यापार करने लगता है तो देश का सत्यानाश हो जाता है। हमारी सरकार जब व्यापार करने लगी है तो ईश्वर जाने इस देश का क्या होगा ।

मेरा कहना यह है कि व्यापार जो है, इसको व्यापारियों को करने देना चाहिये । हमारे जो महकमे के लोग हैं, वे उतनी अच्छी तरह से लोगों का इंतिज़ाम नहीं कर पाते हैं। लोग काम नहीं करते हैं। इसके लिए हमारी सरकार कुछ कोशिश नहीं करती है। मैं ने बारहां कहा है, इसी सदन में कहा है, आप कानून मत बनाइये, लेकिन रोज़ ही एक कानून बना दिया जाता है। कोई ठिकाना भी हो। आप आदमी बनाइये। इसके लिए कोशिश करिये। मेरा सदाचार गुट है, मेरा प्रेम धर्म है, मेरा संसार संघ है। मैं तो इसी कोशिश में हूं कि जहां तक हो, आदमी बनाए जायें। इस के लिए हम खास तरीके से एक डिपार्टमेंट या एक संख्या बनाये, इसके लिए कोई जलहदा बजारत बनये। जैसा कि हमारा समाज चल रहा है, उसको देखते हुए हमें कार्रवाई करनी चाहिये ।

यहां पर गांवों की बात अक्सर की जाती है। यह हकीकत है कि गांवों में कुछ लोगों के पास जमीन है, कुछ के पास नहीं है। यह कहने के लिए बड़ी अच्छी बात है कि सब को बराबर बना दो, जमीन उन सब में तक्सीम कर दो, जिनके पास जमीन नहीं है। शायद उनको ऐसा जब कहा जाता है तो अच्छा भी लगता है। मगर मेरा कहना यह है कि एक तो आपने राजा महाराजाओं को मिटाया और यहां तक नहीं सोचा कि कौन अच्छा राजा है और कौन बुरा राजा है। आपको याद रखना चाहिये कि महाराजा बड़ौदा जैसे भी महाराजा हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भी रास्ता दिखाया था। इस चीज को तो आपने सोचा नहीं, सबको मिटा दिया। जो अच्छे थे उनको भी मिटा दिया....

उपाध्यक्ष महोदय : महाराजाओं को मिटाया, राजा तो हैं।

राजा महेन्द्र प्रताप : अब महाराजे जो हैं वो मुसाहिब बन गए हैं कांग्रेस वालों के -- और इनकी तारीफ करने लग गए हैं। ठीक है, उनको तारीफ करनी भी आती है। यह तो हुआ। जागीरें मिट गईं, इसको भी हमने देख लिया। उन सब को मिटाते वक्त हम यह तो देखते कि कौन अच्छे राजे थे, कौन हमेशा सेवा करते थे, कैसे अच्छे उनमें से किन्ही के ख्याल थे, मगर इन सब चीजों पर हमने पानी फेर दिया। वे भी गए। अब गांवों में भी जिन के पास कुछ जमीन है, उनको लाले पड़ गए हैं। वे समझने लग गये हैं कि यह सरकार कैसी सरकार है जो कहती है कि सब को आजादी दी हुई है, हमारी आजादी को ही छीनने लग गई है, हमारे घर भी लेने को तैयार है। हमारी जमीन भी लेने की तैयार है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक इस तरह के गांव हैं जहां पर कि कुछ जमीन वाले हैं, कुछ मजदूर हैं, तब तक हम यह देखें कि मजदूर को अच्छी मजदूरी मिले, उसको तकलीफ न हो और सब मिल कर रहें। गांव में तीन तरह के लोग हैं, एक वे हैं जिनके पास जमीन है, एक वे है जिन के पास जमीन नहीं है और जो मजदूरी वगैरह करते हैं और तीसरे वे हैं जिनको आर्टिजेंज़ कहा जाता है, मसलन, बढ़ई है, लुहार है, कपड़ा बुनने वाला है, रंगरेज है जोकि कुछ चीज बनाते हैं और उनकी जरूरियात को पूरा करते हैं। जब इनमें कुछ मजदूर तो जरूर रहेंगे ही। हां एक बात है। जब मेरा जो तर्जे अमल है, जो मैं कहता हूं अगर उसको मान लिया जाय और उसके मुताबिक काम किया जाए तो हालत बदल सकती है। अगर गांव गांव में स्कूल खुल जाएं और इनको इस तरह का बना दिया जाए कि जो विद्यार्थी हैं वे खेती भी करें, कारखानों में भी काम करें और सब मिल कर मालिक हो जाएं जमीन वगैरह के तो आज जो तरीका चल रहा है वह नहीं रहेगा। आप लड़ाइये मत। होना यह चाहिये कि हम आसानी के साथ तबदीली कर दें अपने समाज की और कोई लड़ाई वगैरह न हो। मेरा सब से बड़ा मंत्र

यह है कि सब को सब के लाभ में लगा कर सब को सुखी बनाया जाए। हमारा उसूल यह है कि हम देखें कि कौन विचार लड़ाता है, कौन विचार मिलाता है और जो विचार लड़ाता है, चाहे वह दीन के कपड़े पहन कर आए, चाहे पार्टी के पहन कर आए चाहे आसमानी कपड़े पहन कर आए या कुछ और पहन कर आए, वह बुरा विचार है और जो विचार मिलाता है वह अच्छा विचार है। हम तो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं कि किसी को किसी तरह की कोई तकलीफ न रहे।

मान लीजिये कि आपके पास एक लाख रुपया हो गया। अब हमें देखना चाहिये कि यह रुपया किसी बुरे काम में इस्तेमाल न हो। हम सारे अपने कानूनों को, तमाम अपनी स्कीमों को, तमाम अपनी ताकत को इसमें इस्तेमाल करें कि कोई आदमी शराबी न रहे, कोई जुआरी न रहे, कोई बदचलन न रहे और इस के लिये हम से जो कुछ हो सके, हम करें। इसके लिये हम मुहल्ले मुहल्ले में, गांव गांव में, जगह जगह पर ऐसी संस्थायें कायम करें जो यह देखें कि आया यह आदमी शराब तो नहीं पीता है, बदचलन तो नहीं है ....

उपाध्यक्ष महोदय: अगर बुरे नहीं रहेंगे, तो फिर नेक भी नहीं रहेंगे।

राजा महेन्द्र प्रताप: अगर बुरे रहते हैं तो यह सारा जो प्लान है यह चलेगा कैसे। जब आदमी खराब होंगे, बुरे होंगे, शराबी होंगे, जुआरी होंगे तो फाइव यीअर प्लान चलायेगा कौन ?

मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सब यह कोशिश करें कि जहां तक हो सके, ऐसी समाज बनायें कि उसमें किसी तरह की कोई तकलीफ न रहे।

आज क्या हालत हो गयी है ? पंजाब में आज पंजाबी सूबे को ले कर आन्दोलन चलाया जा रहा है। हमारी सरकार इस मसले को तय नहीं कर पायी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे निहायत माननीय, मुहतरिम प्रधान मंत्री हैं। उनके पास मैं गया था। मैं ने उनको छः सफे का एक नोट दिया था उस बारे में जो कुछ मैंने ताईवान और जापान इत्यादि में देखा। मैं ने एक और सफा पंजाबी सूबे के बारे में भी दिया है। मैं ने उनको याद दिलाया कि जब पंजाब में हिन्दी आन्दोलन चल रहा था तो आपने मुझे जीप दी, कार दी, आदमी दिए और चौधरी रणवीर सिंह और दौलता साहब मेरे साथ गए और हमने आन्दोलन किया, हमने प्रचार किया १९ जगह रोहतक में, तीनों आदमियों ने। इसका नतीजा यह हुआ कि जो आन्दोलन था वह खत्म हो गया, और कांग्रेस ने मुझे धन्यवाद दिया। अभी मैं ने अर्ज किया कि उसको आप याद कीजिए। मैं यह दावा करता हूं कि दो महीने के अन्दर पंजाब में कोई लड़ाई नहीं रह जायेगी। मैं कहता हूं कि आप पंजाबी सूबा बन जाने दीजिये और यह मेरा काम रहेगा कि हिन्दू और सिख मिल जायें। और वह कैसे ? मैं ने कहा कि दसों गुरू जो हमारे थे, गुरू नानक से लेकर गुरू गोविंद सिह तक, यह दसों गुरू खत्री थे। जिस तरह से ब्राह्मणों ने राजपूतों को उठाया और राजा बनाया, उसी तरह से हमारे खत्री भाइयों ने जाटों को उठाया और राजा बनाया फिर अहलुवालियों और अरोड़ों को उठाया। यह चार कौमें हैं जो सिख समाज में चलती हैं, यानी खत्री, जाट, अहलुवालिया और अरोड़ा। अगर आप इन चार कौमों की जमात बनादें, संघ बनादें तो काम चल सकता है। खत्री संघ, जिस में सिख खत्री हों, और हिन्दू खत्री हों, जाट संघ, जिस में जाट सिख और हिन्दू सिख हों, इसी तरह से अहलुवालिया और अरोड़ा संघ के अन्दर भी हों।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर रक्षित, अनुसूचित जातियां): मजहबियों का क्या होगा ?

राजा महेन्द्र प्रताप: मज़हबी, चमार, भंगी सब हमारे भाई हैं, उन के लिये भी हमारी यही कोशिश है।

श्री बाल्मीकी: मैं ने कहा कि मजहबी सिखों का क्या होगा ?

राजा महेन्द्र प्रताप : मैं अर्ज करता हूं कि हमारे गुरूओं ने मजहबी सिखों को भी रास्ता दिखाया है कि वे इस दुनिया में भी सुखी रहें। और दूसरी दुनियां में भी उनका भला हो।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : पंजाबी सूबे के बारे में आप क्या कह रहे थे ?

राजा महेन्द्र प्रताप : मेरा कहना यह है, और हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी यही बात कही है कि अगर दुनिया में कहीं उड़ाई हो गई तब फिर क्या होगा ? यहां कुछ भी नहीं हो सकेगा बात बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर दुनियां में लड़ाई हो गई तो सभी कुछ पर पानी फिर जायेगा। आज आप क्या कर रहे हैं जिस में दुनियां लड़ाई न हो। सिर्फ व्याख्यान देने से लड़ाई खत्म नहीं होगी। इसके लिये मेरा एक तरीका है, एक कार्य-क्रम है,। वह यह कि आप संसार संघ को अपनाइये। जैसे रूसियों ने कम्यूनिज्म को अपनाया है, जैसे अंग्रेजों और अमरीकनों ने डिमोक्रेसी को अपनाया है, उसी तरह से हम अपना क्रीड, अपना मजहब, अपना दीन और धर्म बना लें संसार संघ का और उसके लि काम करें। इसके लिये तरीका यह होना चाहिये कि जो यूरोप की छोटी छोटी रियासतें हैं उन को आप साथ लें। वे हमारे साथ आयेंगी। लैटिन अमरीका के जो राज्य हैं, वे हमारे साथ आयेंगे, एशिया एफ्रीका में जो आजाद रियासतें हैं वे हमारे साथ आयेंगी और जर्मनी और जापान हमारे साथ आयेंगे। अभी जब मैं जापान गया था तो वहां के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री किशि ने कहा था कि हमारे लिये सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम संसार संघ को अपनायें, तमाम दुनियां में एक हुकूमत बनायें तो तमाम दुनियां में अमन रहेगा और हम तरक्की करते चलेंगे। तमाम मुल्क तरक्की करते चलेंगे और मुल्कों में लड़ाई नहीं हो सकेगी।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर) : तीसरी योजना आत्म निर्भरता तथा आत्म-उत्पादक अर्थ-व्यवस्था के नये युग का निर्माण करेगी। यह योजना और भावी योजनाएं अधिकतम धन विनियोग की मांग करती हैं।

सरकार ने मुख्य उद्योगों को सरकारी क्षेत्र में शामिल करने का निर्णय सैद्धांतिक विचारों से प्रभावित हो कर किया है। भारत को एक समाजवादी राष्ट्र घोषित न करने का कोई कारण नहीं है।

मंत्रियों के वक्तव्यों से यह प्रकट होता है कि विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था में घाटे का बजट न केवल अनुमति योग्य बल्कि अनिवार्य है। हमारे वित्त मंत्री ने १९६१ में राजस्व बढ़ाकर और कर बढ़ाकर इस घाटे के बजट को आधिक्य के बजट में बदल दिया है। यह बताना चाहिए कि एक दम नीति बदलने का क्या कारण है। थोड़ा सा आधिक्य प्राप्त करने के लिये वित्त मंत्री ने ४५ करोड़ रुपये के नये कर लगा दिये हैं। यह देखना होगा कि भविष्य में जो बजट होंगे उन पर इस नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा।

योजना की सफलता के लिए मूल्यों में स्थिरता रखना आवश्यक है। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ रहे, तो हमारे अनुमान गलत सिद्ध होंगें। दूसरे हमारे निर्यात व्यापार में वृद्धि होनी चाहिए। विदेशी मंडियों में खपत बढ़ाने के लिये हमें उत्पादन व्यय घटाना पड़ेगा।

राज्य का यह कर्तव्य है कि उन सब समस्याओं का, जिनके बारे में लोगों में बेचैनी है, तुरन्त हल ढूंढ़ा जाये। पंजाब और आसाम में ऐसी समस्याएं हैं विदर्भ और मराठवाड़ा में गोदावरी के जल को भूमि की सिंचाई के काम में लाने के लिये उचित सर्वेक्षण करना चाहिये।

श्री राधेलाल **व्यास** (उज्जैन) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने उन साथियों, माननीय सदस्यों के साथ, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन को और इस प्लान को तैयार करने वाले सज्जनों को बधाई

---

†मूल अंग्रेजी में

दी है, अपनी ओर से हार्दिक बधाई प्रस्तुत करता हूं । इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के लोगों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति कर के उनका जीवन सुखी बनाना है । पहली और दूसरी योजनाओं में ये लक्ष्य सामने रखे गये थे, लेकिन इस विषय में हमारा जो स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए जो नीति होनी चाहिए, उस को खास तौर से तीसरी योजना में स्थान दिया गया है और यह संकेत दिया गया है कि हम कैसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं, हमारे लक्ष्य क्या हैं और उनकी ओर हम बड़ी तेजी के साथ और पुख्तगी के साथ जाना चाहते हैं । यही कारण है कि तीसरी योजना उसका पहला अंग है और चौथी तथा पांचवीं योजनाओं की रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है और अध्ययन किया जा रहा है और पंद्रह वर्ष के बाद भी हम अपने लक्ष्य की ओर निश्चित रूप से बढ़ सकेंगे ।

इस योजना में जिस विशेष बात की ओर ज्यादा ज़ोर और ध्यान दिया गया है, वह यह है कि देश के कुछ ऐसे हिस्से भी हैं, जो पिछड़े हुए हैं, जिनका जितना विकास होना चाहिये था, वह नहीं हुआ है और इसलिये इस बात की पूरी संभावना है कि वे काफी पिछड़े रहें तथा इस प्रकार देश के दूसरे हिस्सों से वहां काफी असमानता बनी रहे । इस असमानता को दूर करने के लिये पंच-वर्षीय योजना में एक अध्याय रखा गया है और उस में यह कहा गया है कि देश के इस तरह के अलग अलग भागों का अध्ययन किया जा रहा है और इस बारे में विचार किया जायेगा । लेकिन कुछ बातें तो बिल्कुल स्पष्ट और जाहिर हैं, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये । मैं मध्य प्रदेश की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

मेरी यह मान्यता है कि हमारे देश के शासकों और योजना बनाने वाले विद्वानों का ध्यान जितना मध्य प्रदेश के इस विशाल प्रदेश की ओर होना चाहिए, वह नहीं रहा है--न पहली योजना में और न दूसरी योजना में । दूसरी पंच-वर्षीय योजना में वहां के लिए कुल १६० करोड़ रुपया मंजूर किया गया, जब कि खर्च के लिये १५० करोड़ रुपया दिया गया । इस संबंध में यह कहा जायगा कि इस राज्य ने पूरा हिस्सा नहीं दिया और अपनी तरफ़ से उसको जितना रुपया मिलाना चाहिए था, वह उसने नहीं मिलाया, लेकिन यह बात नही महीं है । राज्य की तरफ जितना रुपया रखा गया था, उस से उस ने ज्यादा लगाया । यह सही है कि री-आर्गनाइज़ेशन की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिसलो केशन हुआ--गवालियर, भोपाल, जबलपुर, इन्दौर, रायपुर और रीवा, इन छः स्थानों पर अलग अलग विभाग बंटे हुए थे,नया राज्य बना था और भोपाल को राजधानी बनाया गया था सब महकमे एक दूसरे से काफी दूर थे, सड़कें न होने के कारण आने जाने की कठिनाइयां थी, आवागमन के साधन ठीक नहीं थे --उस के कारण पहले रुपया कम खर्च हुआ, लेकिन उसके बाद यह शिकायत नहीं रही और राज्य को जितना रुपया प्रति-वर्ष एलोकेट किया गया था, जो सीलिंग फिक्स की गयी थी, उससे ज्यादा उसने खर्च किया । इसलिये इस तरह का दोष मध्य प्रदेश सरकार के लिये सिर पर नहीं मढ़ा जा सकता है ।

मध्य प्रदेश के लिये जो कुल रुपया रखा गया था, वह १६० करोड़ था और उस में से ४७.७० करोड़ की स्टेट गवर्नमेंट को और १४३.२० करोड़ की केन्द्रीय सरकार को व्यवस्था करनी थी । राज्य सरकार ने ५४.६५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की जब कि केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ ६४.४० करोड़ रुपये की व्यवस्था की अर्थात् उसने ४८.८० करोड़ रुपये अपने हिस्से में कम दिये । इसी तरह से १६५६-५७के बाद से हर साल के फ़िगर्ज़ देखे जायें, तो पता लगेगा कि जितना रुपया एनुअल प्लान के लिये मन्जूर किया गया, उससे ज्यादा रुपया हर साल मध्य प्रदेश सरकार ने खर्च किया । इसलिये यह दोषारोपण नहीं किया जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार की इतनी क्षमता नहीं थी, सिवाय एक साल के, जिसके बारे में मैं ने अभी निवेदन किया है ।

[श्री राधेलाल व्यास]

दूसरी पंच-वर्षीय योजना मे हम बहुत पीछे रह गये हैं। मैं अपने राज्य की विशेष परिस्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। १९५६-५७ के आंकडों के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की पर-कैपिटा इनकम २५९.२ रुपये है, जब कि आल इंडिया फिगर २९१.५ रुपये है। जहां तक पर-कैपिटा कनज़म्शन का संबंध है, हमारे राज्य में वह १८ रुपये से भी कम है, जो कि करीब करीब सारे हिन्दुस्तान में सब से कम है, उसकी आल इंडिया फिगर २१.१३ है।

हमारे यहां जो जन-संख्या केवल कृषि और उससे सम्बन्धित उद्योग-धंधों पर निर्भर करती है, उस का प्रतिशत ७८ है, जो कि मेरे ख्याल में सारे भारतवर्ष में सब से ज्यादा है। इसी तरह आबपासी को लीजिए। हमारे यहां जितना क्षेत्रफल कुल खेती में है, उसका केवल ७.३ परसेंट ही सिंचाई में लिया गया है, जो कि भारत में सबसे कम है। उस के अतिरिक्त आकाश से जो पानी बरसता है, जो देव की कृपा होती है, उस पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से एक ही फसल उगाई जा सकती है। इस प्रकार कृषि में हम बिल्कुल पीछे हैं।

जहां तक प्रति-एकड़ उत्पादन का सम्बन्ध है, मध्य प्रदेश में व्हीट, पैडी और काटन क्रमश: ३९३, ४८३ और ८९ पौंड होती है, जब कि हिन्दुस्तान की औसत ५.७८, ७०४ और ९२ पौंड है। इस प्रकार उपज में भी हम बहुत पीछे हैं। व्हीट, पैडी और काटन की ही यह हालत नहीं है, शूगरकेन और दूसरे कृषि-जन्य पदार्थों के उत्पादन में भी मध्य प्रदेश कम है। इसका कारण यह है कि वहां पर इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। वहां के लोगों के पुराने सामान हैं, पुराने तरीके हैं, जिनको बदलने के लिये काफी पैसा चाहिये।

इंस्टाल्ड कपेसिटी आफ पावर की बात को ही लीजिये। दूसरी योजना के समाप्त होने पर हमारे यहां ८.५ किलोवाट पर थाउजेंड रही जबकि जो आल-इंडिया फिगर हैं वह १६.५ रहा। इसमें भी हम बहुत पीछे हैं। इसके अलावा हमारे यहां एक तिहाई जनसंख्या शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की है। पहाड़ों पर ये लोग रहते हैं, वहां पर सड़कें नहीं हैं, शिक्षा सुविधायें नहीं, अवज माड़े का जो एरिया है, जो बस्तर में है, वहां की यह हालत है कि उन लोगों ने सभ्यता की रोशनी तक नहीं देखी है। उस प्रदेश का विकास कसे होगा, इस पर भी आपको विचार करना होगा।

सोशल सर्विस की जो हालत है, उनका जो लेवेल है, वह भी बहुत नीचा है, ६ से ११ वर्ष की उम्र तक के बालकों के लिए ज्यादा से ज्यादा पचास प्रतिशत बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ही कर पाये हैं और ११ से १४ वर्ष तक की उम्र लालों के लिए १४ प्रतिशत के लिए ही व्यवस्था कर सके हैं जब कि हिन्दुस्तान का जो औसत है वह ६० प्रतिशत और २३ प्रतिशत क्रमश: इन उम्र वाले बच्चों के लिए है। इसी प्रकार से अस्पत लों की व्यवस्था हमारे यहां बहुत कम है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वह वराएनाम है। वहां बहुत कम अस्पताल हैं लोगों का अलाज वगैरह की जो सुविधायें होनी चाहिये, नहीं हैं। इसी तरह से हमारे यहां आबादी तो कम है लेकिन क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। हिन्दुस्तान में क्षेत्रफल के लिहाज़ से सब से बड़ी स्टेट तो यह है ही। जहां आबादी कम होती है और क्षेत्रफल अधिक होता है वहां सोशल सर्विसिज़ देने के लिये तथा दूसरी एमैनिटीज देने के लिये जो खर्चा करना पड़ता है वह बहुत अधिक होता है। यह भी हमारे यहां एक विशेष समस्या बनी हुई है।

इसी तरह से रोडज़, और रेल कम्युनिकेशन को आप देखें। इस लिहाज़ से भी मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। वहां पर ला एंड आर्डर का भी प्राबलम है। उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम ही है कि हमारे यहां चम्बल कुंवारी आदि नदियों के बीहड़ तो मशहूर हैं ही और वहां पर हमारी सरकार को लाखों रुपया डाकुओं के उन्मूलन के लिए खर्च करना पड़ रहा है। यह सब जो खर्चा है, यह इसी में से होता है।

हिन्दुस्तान में अनाज की भी कमी है। हमारे यहां बहुत अच्छी भूमि है। अगर साधन जुटाये जायें, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए, फर्टिलाइजर्ज़ की व्यवस्था की जाए, किसानों को अधिक ऋण दिये जायें, तो कृषि उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है जिसमें सारे देश का हित निहित है। लेकिन इसके लिये व्यवस्था कहां है ? ये सब विशेष परिस्थितियां हमारे राज्य की हैं। अगर इन को ध्यान में न रखा गया तो मुझे भय है कि हम और भी ज्यादा पीछे रह जायेंगे।

बैलैंस्ड रिजनल डिवेलेपमेंट की जो बात इसमें कही गयी है, उसकी ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। केवल आबादी को देख कर या उस स्टेट की क्षमता को देख कर और यह देख कर कि पैसे देने की उसमें कितनी शक्ति है, अगर हम ने तीसरी प्लान में उस प्रांत के लिये रुपया निर्धारित किया तो मैं कहना चाहूंगा कि हम न्याय नहीं करेंगे। आज हम देखते हैं कि भारत मे विकास कार्यों के लिए अगर हमारे पास रुपया नहीं होता है तो हम विदेशों से सहायता प्राप्त करने का इंतिजाम करते हैं। इसी तरह से मध्य प्रदेश की विशेष स्थिति को देखते हुए, उसके सीमित साधनों को देखते हुए और यह देखते हुए कि उसकी आमदनी ज्यादा नहीं हो सकती है, अगर हम ने ज्यादा रकम उसके लिये निर्धारित नहीं की तो हमारे देश का जो हृदय है वह पीछें रह जायेगा और इससे न केवल यही प्रदेश और यही राज्य कमजोर होगा बल्कि सारे देश के लिए यह चीज दुखदायी होगी और देश को कमजोर करना होगा। मैं प्लानिंग कमीशन से और विशेष कर प्लानिंग मिनिस्टर साहब से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि और कुछ नहीं तो कम से कम हमारे यहां की रोड्ज़ के लिये कुछ और रुपया दिया जाए। हमारे यहां की हालत बहुत ज्यादा खराब है। नागपुर प्लान की बड़ी तारीफ की जाती है और कहा जाता है कि जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या हालत है। हमारे यहां अभी तक कुल १८,८८६ मील ही सड़कें हैं, जबकि २५,००० से ज्यादा होनी चाहियें। इसमें हम काफी पीछे हैं। १८,००० तो मैं ने जो ड्राफ्ट था दूसरे प्लान का उससे बता दिया कि वे समझते थे कि इतनी लम्बाई हो जाएगी लेकिन वह भी हुई नहीं और केवल १४,००० ही होती है। कई प्रदेश हैं जहां हम पहुंच भी नहीं सकते हैं। वहां पर इतने अधिक नदी नाले हैं कि हजारों पुलों और रपटों की व्यवस्था होना शेष है। दूसरे प्लान में इसके लिए काफी व्यवस्था की गई थी लेकिन २४ करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के लिये प्रस्तावित किए गए थे उसमें से १२ करोड़ ही मंजूर हुए और खर्च केवल ८ करोड़ ही हुए। कहां २४ करोड़ और कहां ८ करोड़, किस तरह से काम चल सकता है। अभी १४ करोड़ रुपये का काम हमारे यहां दूसरी योजना का बाकी है। उसके अगेंस्ट नौ करोड़ कुल इस तीसरी योजना में हमें मिलेगा। क्या इस तरह से कहीं काम चल सकता है? मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसे ऐसे गांव हैं हां से लोग चार चार महीने तक इधर से उधर नहीं आ-जा सकते हैं। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सकता है। ऐसी अवस्था में मैं प्रार्थना करता हूं कि अगर लोगों के लिए पुलियां बना दी जायें, रपटें बना दी जायें, आने जाने के लिए फेयर वेदर रोडज़ बनादी जाएं, कच्चे रास्ते बना दिये जायें तो बहुत हद तक उनकी तकलीफ दूर हो सकती है।

मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन ने भी इस ओर शासन का ध्यान दिलाया था कि उस राज्य में आवागमन के साधन बहुत कम हैं और कठिन भी हैं, इसलिए वहां ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन के साधन जुटाये जाने चाहियें। रोड्ज़ वगैरह के लिए जो थोड़ी सी १७ करोड़ की रकम रखी गई है उससे इतने बड़े मध्य प्रदेश में क्या पुलियां बनेंगे, क्या जो अभी सड़कें हैं, उनकी दुरुस्ती होगी, कितने मील सड़कें डामर की जा सकेंगी, कितनी रपटें बन सकेंगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि रोड्ज़ इत्यादि के लिए कुछ करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश को दिये जायें और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वहां के लोगों के दुख दर्द को दूर नहीं किया जा सकेगा। मध्य प्रदेश

[श्री राधेलाल व्यास]

को विशेष परिस्थितियों पर जरूर आप ध्यान दें और और १७ करोड़ रुपया जो रखा गया है अगर उसको बढ़ा कर ५ या ६ करोड़ रुपया सड़कों के लिए और नहीं दिया जा सकता है तो पुलियों के लिए, रपटों के लिए अगर आप दे दें तो लोगों को मामूली सी सुविधा तो दी ही जा सकती है और उनकी रात दिन की जो तकलीफ है, उसको तो आप दूर कर ही सकते हैं।

इन शब्दों के साथ जो आपने मुझे समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब जो सुझाव मैंने दिये हैं, उनकी ओर विशेष ध्यान देंगे।

श्री प्र० गं० देव : योजना का मसविदा काफी आकर्षक है। उसमें अत्यधिक आशावादिता व्यक्त की गयी है। तथापि मेरे विचार से कि इससे सामान्य जनता में कोई उत्साह नहीं पैदा होगा। इसका एक कारण यह है कि इसमें १७१० करोड़ का अतिरिक्त कर लगाया गया है। इसका संकेत पिछले बजट से भी मिल गया है। इसमें संदेह नहीं है कि सामान्य आदमी अपना पूरा अंशदान देने को तत्पर है तथापि उसे यह ज्ञात होना चाहिये कि इसका उसे ठोस लाभ मिलेगा।

आज की जनता चाहती है कि ऊंची कीमतें, वस्तुओं का अभाव तथा भुगतान संतुलन की संकट दूर हो।

योजनाओं द्वारा धन इस प्रकार के उद्योगों में लगाया जा रहा है जिनका लाभ बहुत विलम्ब से मिलेगा। उन उद्योगों के सम्बन्ध में हमें पहिले भी टैक्नीकल कर्मचारियों तथा टैक्नीकल ज्ञान की कमी के कारण कठिनाई उठानी पड़ी है। अतः हमें इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना चाहिये। मेरा सुझाव है कि भविष्य के लिये वर्तमान पीढ़ी से त्याग करवाना उचित नहीं है। निसंदेह हमें अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना चाहिये।

वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती जा रही है। इसका यह फल हुआ है कि रुपये की कीमत घट कर केवल २ आने रह गयी है। सामान्य वस्तुओं का थोक देशनांक ३० प्रतिशत बढ़ गया है। खाद्यान्नों की कीमतों में २७ प्रतिशत और औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में ४५ प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है।

यह अनुमान लगाया गया है कि ५५० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थव्यवस्था की जायेगी। तीसरी योजना के दौरान बैंक निक्षेपों और आर्थिक सभरण में वृद्धि होने की गुंजायश है इससे कीमतों में और भी वृद्धि होगी। अतः हमें उचित आर्थिक और वित्तीय नीति अपनानी चाहिये।

देश में सट्टेबाजी व काले बाजार का जोर हो रहा है। खाद्यपदार्थों और अनिवार्य वस्तुओं में तक मिलावट की जा रही है। हमें चाहिये कि इन बातों पर रोक लगायें।

यद्यपि योजना में सन्तुलित प्रादेशिक विकास का सिद्धान्त मान्य किया गया है, तथापि नये उद्योगों और परियोजनाओं की स्थापना कहां की जाये इसे राजनीति प्रभावित करती है। देश के उचित विकास के हेतु दलगत राजनीति की पूर्ण उपेक्षा की जानी चाहिये।

उड़ीसा के निवासी बहुत पहिले से यह मांग कर रहे हैं कि रूरकेला को उड़ीसा में तालचेर होकर बरकेत से मिला दिया जाये, सुकिण्डा के खान क्षेत्र में रेलवे निर्माण की बहुत आवश्यकता है। साथ ही मेरा सुझाव है कि महानदी नदी में बड़ामूल घाटी और ब्राह्मणी में रांगली बांध अभी नहीं बनाया जाये इससे कोई विशेष प्रयोजन हल नहीं होगा।

दुख की बात यह है कि योजनाओं के चलने के साथ साथ देश में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है, नवीनतम अनुमान के अनुसार इस समय देश में ९० लाख बेरोजगार व्यक्ति हैं। तीसरी योजना में कहा गया है कि १७० लाख व्यक्तियों में से केवल १४० लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा । इसका यह फल होगा कि तीसरी परियोजना के अन्त तक बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या बढ़ कर १२० लाख हो जायेगी ।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुईं]

बेरोजगार व्यक्ति देश के लिये बहुत बड़ा खतरा है, अतः हमें ऐसे उद्योगों की स्थापना करनी चाहिये जहां अधिक से अधिक बेरोजगार व्यक्ति खप सकें । अतः योजना में इस प्रकार के परिवर्तन किये जायें जो स्थितियों को देखते हुए उचित हों ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता–दक्षिण) : कई सदस्यों ने यह शिकायत की है कि इस योजना के प्रारम्भ में जनता तथा सभा के सदस्य वह दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जो कि दूसरी योजना में आरम्भ में दिखायी देती थी । इसका एक कारण यह है कि दूसरी योजना में कुछ ऐसे लक्ष्य रखे गये थे जो कि एक क्रांतिकारी भविष्य का आश्वासन देते थे । उन्हें विश्वास था कि देश का भविष्य बदल जायेगा । तथापि तीसरी योजना में सामान्य व्यक्ति के हितों की उपेक्षा की गयी है । वस्तुतः उसमें कोई ऐसे लक्ष्य हैं ही नहीं जिनके प्रति सामान्य व्यक्ति को दिलचस्पी हो सकती है । वस्तुतः दूसरी योजना और तीसरी योजना में मूलतः कोई अन्तर नहीं है । उन्होंने कुछ अस्पष्ट सुझाव और सामान्यीकरण इत्यादि किये हैं यह प्रयत्न किया गया है कि वास्तविक समस्याओं को बलाये ताक रख दिया जाय और किसी विशेष लक्ष्य या उद्देश्य के सम्बन्ध में वचनबद्ध न किया जाये ।

निस्संदेह हमने योजनाओं में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किये हैं उनमें एक कार्य इस्पात कारखाने, तेल की खोज बड़े बिद्त परियोजनायें इत्यादि भी शामिल हैं । तथापि इस योजना के सम्बन्ध में मुझे केवल एक बात कहनी है और वह यह है कि हम दस वर्ष के पश्चात भी इस स्थिति को नहीं पहुंचे हैं कि हम कह सकें कि हमारी अर्थव्यवस्था केन्द्र द्वारा आयोजित अर्थ व्यवस्था है । वस्तुतः केन्द्रीय योजना का तात्पर्य ही यह है कि राज्य आर्थिक कार्यों में हस्तक्षेप करे तथा सरकारी क्षेत्र का विकास हो ।

वस्तुतः प्रश्न यह है कि आयोजित अर्थव्यवस्था में सरकारी क्षेत्र का क्या स्थान है हमारी अर्थ व्यवस्था में सरकारी क्षेत्र की सफलता एक निर्णायक बात होनी चाहिये । वही योजना निर्माण का साधन है । हमारी सभी खामियां इस बात से पैदा होती हैं कि सरकारी क्षेत्र की निर्णायक स्थिति नहीं है । वस्तुतः तथ्य यह है कि हमारी प्रगति की रफ्तार बहुत धीमी है । हम अपने सभी संसाधन अपनी अपार जनशक्ति का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा सके हैं । सरकारी क्षेत्र के साथ साथ हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र भी विद्यमान है । यह दुख की बात है कि जिस क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र कुछ प्रयत्न कर रहा है वहां भी गैर-सरकारी क्षेत्र पक्की तरह पैर जमाये है । कोयले और तेल के क्षेत्र इसके उदाहरण हैं । इस्पात के क्षेत्र में जहां हम करोड़ों रुपये व्यय कर चुके हैं वहां भी सरकारी क्षेत्र अभी बहुत पीछे है । विद्युत उत्पादन के क्षेत्र का भी यही हाल है । भारत की विशाल जनशक्ति का कोई उपयोग नहीं हो रहा है ।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रकाशित 'इकानामिक रिव्यू' के ६ जनवरी, १९६१ के अंक में यह कहा गया है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय इस समय १९३१–३२ की प्रति व्यक्ति आय से कम है । इसमें सदेह नहीं कि सरकार ने यह पता लगाने के लिये कि राष्ट्रीय आय का

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किस प्रकार वितरण होता है एक समिति नियुक्त की है । तथापि मुझे विश्वास है कि वह प्रतिवेदन सामान्य चुनावों के बाद ही प्रकाशित होगा । तथापि इस तथ्य को जानने के लिये हमें आंकड़ों की आवश्यकता नहीं है । वास्तविकता यह है कि भारत में लगी हुई कुल पूंजी जो २८०० करोड़ रुपये है उसमें से ७७६ करोड़ रुपये की पूंजी केवल ७ बड़े फर्मों की है १५६ अन्य कम्पनियों के पास ६०२.६ करोड़ की पूंजी है । इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में भी अतिरिक्त आय का ३० प्रतिशत ३ प्रतिशत बड़े किसानों के पास गया है । अतः इसमें कोई रहस्य नहीं है ।

दूसरी ओर हम विदेशी फर्मों को प्रोत्साहन दे रहे हैं । इससे हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र की जड़ें और भी गहरी जमती जा रही हैं वस्तुतः हम अराष्ट्रीयकरण की स्थिति तक पहुंच गये हैं ।

दुख की बात है कि योजना के मसविदे में स्वयं अपनी अक्षमता प्रगट की गयी है और यह कहा गया है कि यद्यपि हमारी विकास योजनाओं के लिये ८३०० करोड़ रुपये की राशि अपेक्षित है तथापि हम केवल ७५०० करोड़ रुपये की व्यवस्था कर सकते हैं । दुख का विषय यह है कि सरकार करारोपण को ही आय का एकमात्र साधन सोचती है तथापि केन्द्र द्वारा आयोजित अर्थव्यवस्था में पूंजी विकसित करने के कई अन्य साधन भी होते हैं । सरकार को चाहिये कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करे जिससे कि बैंकों की पूंजी जो अधिकांश अनुचित तथा अनावश्यक कार्यों में लगाई जाती है उसका विकास कार्यों में उपयोग हो सके । इससे भले ही आपको आर्थिक लाभ नहीं हो तथापि उस पूंजी का राष्ट्र के हित में उपयोग अवश्य हो सकता है ।

एक बार शासकीय दल ने खाद्यान्नों का राज्य द्वारा व्यापार करने की योजना चलाई थी अनुमान था कि बिचौलियों के उन्मूलन से राज्य को ७०० करोड़ रुपयों का लाभ होगा तथापि यह योजना ताक में रख दी गई । उन उद्योगों में जिनमें भारत को एकाधिकार प्राप्त है यदि सरकार व्यापार करे तो उसे काफी लाभ हो सकता है । दुख की बात है कि निर्यात व्यापार के समस्त प्रश्न की योजना आयोग ने उपेक्षा की है । यद्यपि विदेशी ऋणों को चुकाने तथा आयात की कीमतें देने के लिये यही एक मार्ग है ।

अब मैं यूरोपीय सामान्य बाजार को लेता हूं । वित्त मंत्री ने कहा है कि इस सम्बन्ध में हमें ब्रिटेन की शुभेच्छाओं तथा सहयोग पर आश्रित रहना चाहिये । मेरे विचार से यह गलत है इसके अधीन जो पूर्ववार्तीतायें या प्रतिबन्ध आरोपित किये जा रहे हैं वे 'गाट' के विरुद्ध हैं । अतः हमें स्वयं अपने हितों की रक्षा के लिये प्रयत्न करना चाहिये । अतः हमें इस सम्बन्ध में अपनी सहमति अभी नहीं देनी चाहिये बल्कि हमें इसे योजना के मसविदे से हटा देना चाहिये । प्रधान मंत्री ने जो भविष्य का चित्र खींचा है उसके सम्बन्ध में हमें यह कहना है कि सामान्य जनता को उसके त्याग के एवज में कुछ प्राप्त भी होना चाहिये । यदि सरकार उपभोक्ता सामान को सस्ता नहीं कर सकती है तो सामाजिक सेवाओं में उसे वृद्धि करनी चाहिये ।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुरा--रक्षित अनुसूचित जातियां) : आज विश्व की राजनैतिक उथल पुथल का मुख्य कारण राजनैतिक सिद्धान्तों की भिन्नता नहीं है अपितु परस्पर विरोधी आर्थिक सिद्धान्त हैं । अतः हमें चाहिये कि हम ऐसी रूपरेखा तैयार करें कि जनता को अधिकाधिक राजनैतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो ।

संविधान में हमने यह स्वीकार किया है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार ने आर्थिक विकास की सुयोजित नीति अपनायी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कुछ लोगों ने कहा है कि योजनाओं की अवधि में हमने जो प्रगति की वह उल्लेखनीय नहीं है। मेरे विचार से हमने अल्पसमय में ही जो प्रगति की है वह बहुत उल्लेखनीय है। यदि हम अन्य देशों के साथ पैट्रोलियम कोयले व लौह अयस्क के उत्पादन की तुलना करेंगे तो ज्ञात होगा कि हमारा उत्पादन भी इस क्षेत्र में काफी उल्लेखनीय है।

अब मैं त्रिपुरा के प्रश्न को लेता हूं। त्रिपुरा के लिये प्रथम और द्वितीय योजना में क्रमशः २ करोड़ और ६ करोड़ रुपये दिये गये थे। तथापि जिस प्रकार वहां कार्य किया गया है उस से वहां की जनता में अविश्वास एवं असन्तोष की भावना पैदा हो गई है। इससे वे तीसरी योजना को भी संदिग्ध दृष्टि से देखते हैं।

यद्यपि त्रिपुरा में खाद्य उत्पादन और मत्स्य पालन में लाखों रुपये व्यय किये जा रहे हैं तथापि कोई सफलता नहीं मिल सकी है। इसके अतिरिक्त शरणार्थी पुनर्वास, झूमिया पुनर्वास, छोटे पैमाने के उद्योग, गृह उद्योग तथा डाक व संचार साधनों का विकास भी संतोषजनक गति से नहीं हुआ है।

त्रिपुरा के कर्मचारी अकुशल ढंग से कार्य कर रहे हैं। चिटगांव पहाड़ियों के कुछ आदिवासी परिवारों को जो विवश हो कर त्रिपुरा में आश्रय लेना चाहते थे, त्रिपुरा में शरण नहीं दी गई और उन्हें पाकिस्तान जाने पर मजबूर किया गया। फलस्वरूप मार्ग में एक नवजात शिशु तथा उसकी माता का देहान्त हो गया। त्रिपुरा में कीमतों का देशनांक काफी बढ़ गया है। मेरा सुझाव है कि त्रिपुरा की जनता को अधिक राजनैतिक शक्तियां दी जायें तथा वहां विधान सभा की स्थापना की जाय।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : मैडम चेयरमैन, मैं इस विषय पर बोलना चाहती थी लेकिन हाउस में चारों तरफ से जो लोग बोले उन्हों ने कोई ऐसा विषय नहीं छोड़ा जिस पर और लोग भी बोल सकें।

मैं इस तीसरी पंचवर्षीय योजना का स्वागत करती हूं और इस का स्वागत इसलिये करती हूं कि इन प्लानों की वजह से आज देश की सूरत में बराबर फर्क पड़ रहा है। देश में बराबर प्लानिंग हो रहा है और आज वह समय इस आजाद देश में आया है कि हम तीसरी प्लान बनाने बैठे हैं।

तीसरी योजना जो हम को दी गई वह तो बहुत मोटी है और हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि उसको पढ़ सकें, इसलिये हम ने उस की समरी को पढ़ा है और समरी पढ़ कर हमने देखा है कि इस में क्या क्या चीजें हैं। समरी पढ़ने के अलावा हम देश में योजनाओं का असर देख रहे हैं। हम केवल पार्लियामेंट के मेम्बर ही नहीं हैं बल्कि हम वर्कर भी हैं और बाहर भी काम करते हैं। हम देहातों में और शहरों में घूमते हैं और हम रचनात्मक काम करते हैं। हम बाहर देख रहे हैं कि देश में पहली और दूसरी योजनाओं का क्या असर हुआ है। हमारा योजनाओं का ज्ञान किताबी ही नहीं है, बल्कि हम अमली तौर से देख रहे हैं कि उनका क्या असर हुआ है। उसे देख कर हमें खुशी होती है। हमें शहरों की सूरतें बदली हुई दिखाई देती हैं। कारखानों को देखते हैं कि वे कितनी अच्छी तरह से चल रहे हैं। यह सब तरक्की देख कर हमें खुशी होती है।

और आज जो यह तीसरी योजना हमारे सामने आई है इस को देखने से हम को ख्याल होता है कि इस में देहातों की तरफ खास कर रुख किया गया है, जोकि बहुत जरूरी है क्योंकि आज हमारे देहातों की हालत अच्छी नहीं है। देहातों की तरफ जो रुख है उस को देख कर हमें उम्मीद है कि इस प्लान में हमें सफलता होगी।

[श्रीमती उमा नेहरू]

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह तीसरी पंचवर्षीय योजना पेश की और जब उन्हों ने इसे पेश किया तो उन्हों ने हाउस से कहा कि यह कोई पार्टी की योजना नहीं है, यह सारे देश की योजना है, यह सारी पार्टीज़ को योजना है और यह सभी की है, क्योंकि आजाद देशों में जो योजनायें बनती हैं वे सारे देश की होती हैं किसी एक पार्टी की नहीं होतीं और हर एक को उन में मेहनत करनी होती है ।

यहां पर हमारे भाइयों ने योजना पर अलग अलग व्याख्यान दिये लेकिन किसी ने कोई विशेष सजेशन्स नहीं दिये, कोई बातें नहीं बताईं कि यह हो या वह हो सिवाय हमारे एक भाई श्री अशोक मेहता के । उन्हों ने कई ऐसी तजवीज़ें पेश कीं जोकि काबिले ग़ौर हैं और मैं समझती हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर उन पर गौर करेंगे और देखेंगे कि उन को कहां तक अमली तौर से मंज़ूर किया जा सकता है ।

इस समय हमारे सामने एक खास सवाल है और वह सवाल यह है कि अगर इस योजना को हम कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमको एग्रीकलचर की तरफ ध्यान देना है । हमको तीन चीजों की खास जरूरत है होती है कि हम को खाना मिले, मकान मिले और कपड़ा मिले । इस वक्त हमारी हालत यह है कि चाहे हम को कपड़ा और मकान कुछ कम भी मिले लेकिन हम को खाना जरूर मिले क्योंकि बग़ैर ग़िज़ा के इन्सान ज़िन्दा नहीं रह सकता । यह सूरत है । तो एग्रीकल्चर को हम को ज्यादा बढ़ाना है ।

इस प्लान को जो हम देखते हैं कि इस में कोशिश की गई है कि अनएम्पलायमेंट को कम किया जाय, एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाय, कोआपरेटिव सोसाइटीज़ और कोआपरेटिव मारकेटिंग सोसाइटीज़ का भी इस में ज़िक्र किया गया है, और हमें यकीन है कि अगर ये चीजें हुईं तो हमारे सारे देहातों में और देश में बहुत कामयाबी होगी ।

इस योजना की जान एग्रीकल्चर है । इसके साथ ही मैं कहना चाहती हूं कि जहां आप देहातों में एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान देते हैं वहां आप को काटेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिये । यह बहुत ज़रूरी है । इसके लिये उद्योग संघ बनाने चाहियें और इस तरह काम करना चाहिये कि काटेज इंडस्ट्री केवल नाम को न चलें बल्कि वे सेल्फसफीशेंट हो जायें । अगर ऐसा होगा तो अनएम्पलायमेंट का प्रश्न बहुत कुछ हल हो जायेगा ।

एग्रीकल्चर के द्वारा हम को फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है ताकि देश फूड के मामले में भी सेल्फ सफीशेंट हो सके ।

साथ ही हम देखते हैं कि आपने इस योजना में साइंटिफिक और टैक्निकल शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया है, और मुझे उम्मीद है कि अगर इस पर अमल किया जायगा तो बहुत उन्नति होगी ।

सब से बड़ी चीज जोकि इस प्लान में होने वाली है और जिसमें कि मुझे बहुत दिलस्चस्पी है वह पंचायत राज है । पंचायत राज जोकि इस योजना में कायम होगा वह बहुत ही अच्छी चीज होगी, और मैं समझती हूं कि तभी भारत में सच्चे मानों में स्वराज्य होगा । हमको अपने पंचायती राज को कामयाब बनाना है क्योंकि अगर हमारे पंच काबिल होंगे और अपने हाथ से अपनी हुकूमत करेंगे और अपने भरोसे से काम करेंगे तो इस से बढ़ कर कोई दूसरा स्वराज्य हो भी नहीं सकता । यह देख कर हमें खुशी होती है ।

इस प्लान का जिक्र करते हुए बहुत से लोगों ने सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी का जिक्र बड़े लाइट तरीके से किया । मैं उन से कहना चाहती हूं कि ये जो प्लान आपने सामने पांचवें साल सरकार लाती है इन की क्या जरूरत है ? ये प्लान आप के सामने इसलिये लाये जाते हैं कि आप को बताया जाय कि इन के जरिये क्या कोशिश की जा रही है । इन प्लान्स के द्वारा गरीबों को रोटी देने की कोशिश की जाती है । यह इन प्लान्स का मकसद है कि जो भी दौलत और धन देश में पैदा होता है उस की तकसीम इस तरह से करें कि जिस में इतना ज्यादा फर्क न रहे, न कोई ज्यादा रईस हो और न कोई गरीब रहे । इस मकसद को पूरा करने के लिये ये प्लान आपके सामने लाये जाते हैं ताकि मुल्क आगे बढ़े ।

अभी मेरे कुछ भाइयों ने सोशल वैलफेयर बोर्ड का जिक्र किया । मुझे तो उन भाइयों से कहना है कि जो सोशल वैलफेयर बोर्ड यहां पर है उस को औरतें चला रही हैं और वह बहुत अच्छा काम कर रहा है । मुझे नहीं मालूम कि जब वह इस की चर्चा कर रहे थे तो उन का मतलब किस देश के सोशल वैलफेयर बोर्ड से था । हमारा सोशल वैलफेयर बोर्ड जिस को बहिनें चलाती हैं वह तो बहुत उम्दा काम कर रहा है । मैं उस का काम अपने भाई को दिखाऊं तो उन को उस को देख कर ताज्जुब होगा और उन को गुरूर भी होगा कि बहिनें उन से बहुत ज्यादा अच्छा काम इस वक्त इस सोशल वैलफेयर बोर्ड में कर रही हैं । उन्हों ने कहा कि इस सोशल वैलफेयर बोर्ड को बन्द कर के इस का जो रुपया है वह इस में लगाया जाय । यह बिल्कुल बेकार चीज है ।

दूसरे उन्हों ने कम्युनिटी डेवलपमेंट की चर्चा की । यह सुन कर मुझे एक अंग्रेज़ी की कहावत याद आ गई—इगनोरेंस इज़ ए ब्लिस । अगर वह बाहर जा कर देखें तो उन को मालूम होगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का कितना काम हो रहा है । मालूम होता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट का इतिहास उन्हों ने नहीं पढ़ा । उस के बारे में जानकारी हासिल नहीं की, लेकिन केवल अपने खयाल से एक चीज कह दी और कहा दिय कि इस का रुपया भी प्लान में डाल दिया जाय ।

तो ये चीजें मैंने सुनीं ।

अभी एक दूसरे भाई रामेश्वर राव जी ने जिक्र किया कि दो योजनायें आईं लेकिन बहुत से देहातों में और गांवों में कुछ भी काम नहीं हुआ है । मैं उन को बताऊं कि जिस वक्त आजाद मुल्क में ऐसी योजनायें आती हैं तो उस आजाद मुल्क के बच्चे, मर्द और औरतें अपने पूरे दिल से उन में लगती हैं और इस वजह से देश के कोने-कोने में तरक्की होती है । जिन भाई ने कहा कि वहां कोई तरक्की नहीं हुई है उन से मैं कहना चाहती हूं कि अगर नहीं हुई तो उन का धर्म था—यहां कहने का नहीं—वहां काम कर के दिखाने का । उन को वहां काम करना चाहिये था । जब तक जनता में जोश नहीं आयेगा और आप जब तक जोश के साथ काम नहीं करेंगे तब तक कामयाबी नहीं होगी ।

मुझे अपने प्लानर्स से शिक्षा पर जो उन्हों ने रुपया रखा है उस के बारे में कुछ कहना है । मैं ने देखा है कि उन्हों ने लड़कियों की शिक्षा के लिये कम रुपया रखा है । आप गौर से देखेंगे तो आप आप को मालूम होगा कि लड़कियों के वास्ते उतना पैसा नहीं दिया गया है जितना कि लड़कों की शिक्षा के वास्ते दिया गया है । किसी देश को आगे बढ़ाने के लिये यह ज़रूरी है कि उस की लड़कियों को ज्यादा तालीम दी जाये, ताकि वे योग्य और विद्वान मातायें बनें और उन के बच्चे भी वैसे ही हों ।

ज्यादा न कहते हुए मैं यह उम्मीद करती हूं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारे सामने आई है, वह ज़रूर सफल होगी, चाहे लोग कितना ही बिगड़ें, नुक्स निकालें और शिकायत करें कि हमारे प्राविंस के लिये काफ़ी रुपया नहीं दिया गया है । जो स्पीचिज़ मैं ने सुनीं, उन को सुन कर मुझे यह खयाल हुआ कि मैं प्लान पर नहीं बल्कि बजट पर स्पीचिज़ सुन रही हूं, क्योंकि बहुत से माननीय

[श्रीमती उमा नेहरू]

सदस्यों ने यह शिकायत की कि हमें रुपया नहीं मिला । जो लोग कांग्रेस पार्टी में नहीं हैं, दूसरे ख्याल के हैं, दूसरी पार्टीज़ के हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि वे पार्टी की नज़र से इस योजना को नहीं देखेंगे और इस को अपना समझ कर आगे बढ़ायेंगे ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैं योजना आयोग को इस योजना के वाङमय के लिये धन्यवाद देता हूं ।

जब मैं इस योजना में शिपिंग के विषय को देखता हूं, तो थोड़ा नैराश्य होता है । नैराश्य इस कारण होता है कि फ़र्स्ट फ़ाइव-यीअर प्लान में शिपिंग का टारगेट ६ लाख टन का था, दूसरे प्लान में टारगेट ९ लाख टन का था और तीसरे प्लान में टारगेट ११ लाख टन का रखा गया है, अर्थात् पहली योजना में ३ लाख टन का एडीशन हुआ, दूसरी योजना में करीब ४ लाख टन का और तीसरी योजना में, जब कि प्लानर्ज कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट ६० परसेंट बढ़ने जा रहा है और इस कारण हमारा टारगेट दूसरी योजना से ज्यादा होना चाहिये था, शिपिंग में १,८१,००० टन का एडीशन रखा गया है, जोकि इस पुस्तक में दिया गया है । इसके मुकाबले में दूसरी योजना में ४,२५,००० टन का एडीशन रखा गया था । जब कि दूसरी योजना में ५४ करोड़ रुपया शिपिंग के लिये दिया गया था, तीसरी योजना में सिर्फ ५५ करोड़ रुपया रखा गया है, अर्थात् सिर्फ एक करोड़ रुपया ज्यादा रखा गया है । इस सम्बन्ध में हमको यह भी स्मरण रखना चाहिये कि हम ८० करोड़ रुपया फूडग्रेन्ज के लिये अमरीका में फ्रेट के लिये देने जा रहे हैं और आज तक एक पैसा भी फूडग्रेन्ज के फ्रेट से हमने अर्न नहीं किया है । स्टील, आयरन-ओर और काटन वगैरह का जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हम करने जा रहे हैं, अगर उसको भी इसमें जोड़ें, तो यह धन-राशि बहुत ज्यादा हो जाती है । सब से बड़ी बात यह है कि आठ करोड़ रुपया प्रति वर्ष हम फ़ारेन एक्सचेंज के रूप में आयल रिफ़ाइनरीज को, फ़ारेन कम्पनीज को दे रहे हैं, जिसमें हमारी अरनिंग्स बिल्कुल नहीं है ।

आज हमारे शिपिंग वर्ल्ड टनेज का .५ परसेंट है । अगर हम इस लक्ष्य को मान लेते हैं, तो पांच बरस के बाद हमारी शिपिंग .३ परसेंट रह जायेगी, अर्थात् .२ परसेंट कम हो जायेगी । कल के **स्टेट्समैन** में एक ख़बर छपी है कि आंध्र में एक कम्पनी फ्लोट हुई है जयन्ती कम्पनी । डा० तेजा के स्टेटमेंट से यह जाहिर होता है कि वह इन दो बरसों में चार लाख टन का एडीशन इंडियन शिपिंग में करने जा रहे हैं, अर्थात् जो गवर्नमेंट का टारगेट है, उसका दुगना एडीशन दो वर्ष में होने जा रहा है । इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट इस बारे में बड़ी दूरदर्शिता से नहीं देख रही है । हम यहां पर राष्ट्रीयकरण की बात बहुत करते हैं, लेकिन डा० तेजा का यह स्टेटमेंट है कि वह दो बरस में चार लाख टन का एडीशन करने जा रहे हैं, जो कि हमारे टारगेट का दुगुना तिगुना है । वह कहते हैं कि हमारे पास इंडियन क्रू नहीं है । मैं गवर्नमेंट से पूछता हूं कि हिन्दुस्तान को आजाद हुए तेरह बरस हो गये हैं और इस अवधि में यहां पर उसने इंजीनियरिंग कालेजिज का जाल सा बिछा दिया है, लेकिन क्या कभी उसने यह ख्याल किया कि हिन्दुस्तानी परसानेल को यहां पर ट्रेंड किया जाये । मान लीजिए, कल वार छिड़ जाती है, तो ये फ़ारेन परसानेल, जो कि हमारे शिप्स में हैं, इस देश के प्रति लायल होंगे या अपने देश के प्रति । आवश्यकता इस बात की है कि इस बारे में ठोस कदम उठाया जाये और इन परसानेल को, जिन की तादाद आठ-दस हजार होगी, हिन्दुस्तान में ट्रेन्ड किया जाये, ताकि उनकी लायल्टी अपने देश के प्रति हो ।

फ़राक्का बैराज के बारे में मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम से कम एक स्टेटमेंट में बड़े ज़ोरदार शब्दों में यह कहा कि फ़रावका बैराज बनना चाहिये। मैं प्लानिंग कमिशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने फ़राक्का बैराज के लिये काफ़ी रुपया—५६ करोड़ रुपया रखा है, जिसमें से २५ करोड़ रुपया थर्ड फाइव-यीअर प्लान में खर्च होगा और बाकी नौ बरस के अन्दर ख़र्च होगा । मैं ने पहले भी यहां पर कहा था कि सिन्ध वाटर ट्रीटी करने से पहले फ़राक्का बैराज का मामला तय होना चाहिये । मेरी बात पर उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया । सिन्ध वाटर ट्रीटी करके पाकिस्तान ने अपनी समस्या हल करली । आज जब हिन्दुस्तान फ़राक्का बैराज के लिये तैयार होता है, तो पाकिस्तान अड़ंगा लगाता है और कहता है कि हिन्दुस्तान को फ़राक्का बैराज बनाने का कोई हक़ नहीं है । मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बारे में एक मजबूत और ठोस स्टैंड लिया है कि पाकिस्तान माने या न माने, फ़राक्का बैराज बन कर रहेगा ।

जहां तक कोल के शार्टेज का सम्बन्ध है, सरकार को बहुत दिनों के बाद ख्याल आया कि कोल कोस्टल शिपिंग से जाना चाहिए । आप जानते हैं कि हमारी फ्रेट पालिसी क्या है । अगर रेलवे से कोल जाता है, तो एक हजार मील के बाद उसको कोई फ्रेट नहीं लगता है, उसका कोई भाड़ा नहीं देना पड़ता है । अगर सरकार चाहे कि उसी रीति से कोस्टल शिपिंग वाले भी एक हजार मील के बाद फ्रेट न लें, तो वह सम्भव नहीं है, क्योंकि रेलवेज तो राष्ट्रीय सम्पत्ति है, वहां तो सरकार कर सकती है, लेकिन ९० परसेंट कोस्टल शिपिंग प्राइवेट सैक्टर में है और प्राइवेट सैक्टर का ट्रेडर, बनिया, ऐसा कोई काम करने के लिये तैयार नहीं होगा, जिसमें उसको किसी प्रकार का लाभ हो । अगर कोल शार्टेज को दूर करना है, तो कोस्टल शिपिंग की तरक्की होनी चाहिए और फ्रेट स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि इंडियन शिपिंग को फ़ायदा पहुंच सके ।

विशाखापत्तनम् शिपयार्ड की कैपेसिटी यह आंकी गई है कि वहां पर प्रति वर्ष ५० हजार टन के जहाज तैयार होंगे और पांच बरस बाद साठ हजार टन के जहाज तैयार होंगे, अर्थात् सिर्फ़ दस हजार टन की तरक्की की गई है । हम देखते हैं कि डा० तेजा ने जितने आर्डर दिये हैं, वे फ़ारेन शिपयार्ड्ज को दिये हैं और एक पैसा भी हिन्दुस्तान शिपयार्ड को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पर जहाज बनाने की कैपेसिटी नहीं है, उसका विकास नहीं किया जा रहा है और अच्छे जहाज वहां पर नहीं बनाए जा सकते हैं । ऐसी अवस्था में अगर कोई शिपिंग कम्पनी स्टार्ट करेगा, तो वह किसी दूसरी जगह से जहाज लायेगा और कम्पनी स्टार्ट करेगा । मैं समझता हूं कि विशाखापत्तनम् का इतना विकास होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाये । कोचीन में सैकिंड शिपयार्ड के बारे में बहुत दिनों से बात हो रही है लेकिन इसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है । हमें चाहिये कि जो जहाज हम बाहर से ख़रीद रहे हैं, उन जहाजों को हम हिन्दुस्तान में ही तैयार करें, यहीं पर कंस्ट्रक्ट करें ।

विशाखापत्तनम् के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूं । ड्राई डाकिंग के वास्ते हमारे जहाज आज सिंगापुर जाते हैं, अदन जाते हैं, लंदन जाते हैं, फारेन हार्बर्ज में जाते हैं । यह रुपया हमें बचाना चाहिये । हम करीब दो तीन करोड़ रुपया साल का इस काम में ख़र्च कर देते हैं और यह फारेन कंट्रीज को जाता है । यह शर्म की बात है । आप कम से कम विशाखापत्तनम् में ड्राई डाक बना दीजिये । सात आठ बरस से यह मांग चली आ रही है । इससे दो लाभ हो सकते हैं । पहले शिप का कंस्ट्रक्शन ओपन डाक सिस्टम से होता था और यह तरीका पुराना पड़ गया । अब ड्राई डाक सिस्टम को काम में लाया जाता है और इससे शिप कंस्ट्रक्ट किया जाता है । एक तो यह लाभ है और दूसरा लाभ यह है कि रिपेयर का काम हो सकता है । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि विशाखापत्तनम् में ड्राई डाक होना चाहिये ताकि इन दोनों लाभों से हम वंचित न रहे और फारेन एक्सचेंज भी बचा सकें ।

[श्री रघुनाथ सिंह]

जहां तक शिपिंग का सम्बन्ध है, यह बहुत दिनों से अपरिचित सा विषय रहा है । इसकी आज के जमाने में उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । यह हमारी सैकिंड लाइन आफ डिफेंस है । आप देख रहे हैं कि युद्ध के बादल चारों ओर मंडरा रहे हैं । हमारी कोस्ट लाइन ३,००० मील के करीब है। उसकी हमें रक्षा करनी है । उसकी रक्षा करने की हम में ताकत होनी चाहिये और इतनी ताकत अवश्य होनी चाहिये कि अगर कोई विदेशी ताकत हम पर हमला करे तो हम उसका जवाब दे सकें । बेशक डिफेंस के सवाल को प्लान में स्थान नहीं दिया गया है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर हमारे पास अच्छा शिपयार्ड होगा तो उसमें सब-मैरींज भी तैयार हो सकते हैं, वार-शिप भी तैयार हो सकते हैं, क्रूजर भी तैयार हम कर सकते हैं । मैं यह नहीं कहता कि आप इन सब को तैयार करना शुरू कर दें लेकिन हम इस स्थिति में हों कि अगर जरूरत पड़े तो इन को भी तैयार कर सकें । मैं नहीं कहता कि आर्मामेंट की तरफ आप जायें लेकिन आम व्यापार की तरफ तो अपना ध्यान दें और कल अगर जरूरत हो तो व्यापारी चीज को आप आर्मामेंट में भी बदल सकते हैं ।

मैं अन्त में यही कहना चाहता हूं कि ड्राई डाक का जहां तक सम्बन्ध है, शिप्स का जहां तक सम्बन्ध है, ज्यादा से ज्यादा रुपया इस काम के लिये रखा जाए ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : अध्यक्ष जी, इस तृतीय पंचवर्षीय योजना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं और जब मैं ऐसा करता हूं तो इसका एक प्रधान कारण यह भी है कि इस निर्माण के युग में हमें देश का दो प्रकार से निर्माण करना है । (१) आधिभौतिक वस्तुओं का निर्माण और (२) नई पीढ़ी का निर्माण । उस निर्माण में सब से पहले इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ नैतिक और आध्यात्मिक निर्माण की बात भी कही गई है । हम आधिभौतिक निर्माण में तो जब से स्वतंत्र हुए हैं, तब से लगे हुए हैं । इस सम्बन्ध में चाहे हमारी कितनी भी आलोचना क्यों न की जाए किन्तु यह मानना होगा कि हमें आधिभौतिक निर्माण में बहुत दूर तक नहीं तो कुछ दूर तक सफलता भी मिली है । लेकिन अब तक हमारा ध्यान नैतिक और आध्यात्मिक निर्माण की ओर जितना होना चाहिये था उतना नहीं था और सब से पहले मुझे यह देख कर हर्ष हुआ कि तृतीय योजना में नैतिक और आध्यात्मिक विषयों के बारे में भी कुछ विचार किया गया है ।

अध्यक्ष जी, मैं एक छोटा सा साहित्यकार हूं और भारतीय संस्कृति से मुझे प्रेम है । इस समय संसार की जैसी अवस्था है, उस अवस्था में जब भारत सबसे मैत्री रखने का प्रयत्न कर रहा है, तो उस प्रयत्न में हमें तब तक सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि हम अपनी नई पीढ़ी का निर्माण नैतिक और आध्यात्मिक बिना पर न करें । जो लोग यह कहते हैं कि भारतवर्ष ने आकाश की ओर ही देखा है पृथ्वी की ओर नहीं देखा है उनसे मैं सहमत नहीं हूं । हमने आधिभूत और आध्यात्म दोनों की ओर देखा है । लेकिन इसके साथ ही इसमें भी सन्देह नहीं हो सकता कि भारतवर्ष में आध्यात्म प्रमुख रहा है । आज भी भारतवासियों के खून में वही भावनायें प्रधान रूप से हैं और मुझे यह देख कर हर्ष हुआ कि इस योजना में इस सम्बन्ध में कुछ विचार किया गया है ।

हमारी शिक्षा पद्धति बड़ी दोषपूर्ण है। इस शिक्षा पद्धति के परिवर्तन के सम्बन्ध में कई आयोग बने, कई समितियां बनीं, उनकी रिपोर्टें भी हमारे सामने आईं परन्तु यह खेद की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुए हैं, जिन परिवर्तनों की अत्यधिक आवश्यकता थी, वे भी नहीं हुए हैं । मैं आशा करता हूं कि जब इस तीसरी योजना में नैतिकता और आध्यात्मिकता की बात कही गई है तो हमारी शिक्षा पद्धति में भी आमूल परिवर्तन करने का प्रयत्न किया जाएगा ।

अब कुछ बातें मैं आधिभौतिक निर्माण के विषय में भी कहना चाहता हूं । जहां तक आधिभौतिक निर्माण का सम्बन्ध है, यह बात सब लोग स्वीकार करेंगे और अभी मेरी बड़ी बहन उमा नेहरू जी भी

कह रहीं थीं और उनसे मैं सर्वथा सहमत हूं कि आधिभौतिक निर्माण में जब तक हम खेती को प्रधानता नहीं देंगे तब तक हमारा काम चलने वाला नहीं है । जब श्री अजित प्रसाद जन कृषि मंत्री थे उस समय मैंने उनसे इसी लोक सभा में एक आश्वासन लिया था कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में खेती को सर्वप्रथम स्थान दिया जाएगा, प्राथमिकता दी जाएगी । मुझे हर्ष है कि यह बात भी हुई है ।

जहां तक खेती का सम्बन्ध है, उत्पादन बढ़ाने के लिए तीन बातों की प्रधानतया आवश्यकता है, आबपाशी की, खाद की और अच्छे बीज की । जहां तक आबपाशी का सम्बन्ध है, हमने बड़े बड़े बांध बना दिए हैं जिन से हज़ारों और लाखों एकड़ जमीन सींची जाएगी । लेकिन मुझे क्षमा किया जाए, अध्यक्ष जी, अगर मैं यह कहूं कि यदि आरम्भ से ही हम इन बड़े बड़े बांधों को पीछे रख कर लघु सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता देते तो शायद जितना लाभ हमें इन बड़े बड़े बांधों से हुआ है, उसकी अपेक्षा कहीं अधिक लाभ होता । फिर इस योजना के सम्बन्ध में यहां की जनता के मन में बहुत उत्साह भी नहीं है । इसका यह कारण है कि ये बड़ी बड़ी आबपाशी की योजनायें एक विशिष्ट स्थान को सहायता देती हैं और ज्यादातर आबादी और ज्यादातर स्थान ऐसे रह जाते हैं जहां बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं पहुंचता । जब तक खेती करने वालों को यह बात महसूस नहीं होगी कि ये योजनायें गांव गांव में उनकी सहायता के लिए हैं, तब तक उनके मन में इस योजना के प्रति उत्साह की उत्पत्ति नहीं हो सकती । और बिना उत्साह के कोई काम नहीं चल सकता । कम से कम प्रजातन्त्र देशों में, जहां कोई योजना बिना प्रजा के सहयोग के नहीं चल सकती वहां प्रजा के मन में योजना के प्रति उत्साह की आवश्यकता है । इस लिये मुझे हर्ष है कि इस योजना में लघु सिंचाई के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । मैं आशा करता हूं कि इस पर सब से अधिक ध्यान दिया जायेगा और जो कुछ कहा गया है उसे कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

इस सिंचाई, अच्छे बीच और खाद्य के कारण कृषि की उन्नति तो होगी लेकिन उसी के साथ लघु उद्योग धन्धों की आवश्यकता है । हमारे यहां बिजली की उत्पत्ति हो रही है, बिजली बढ़ रही है । मैं चाहता हूं कि जो नई बिजली की ताकत हमें मिले वह जो पुराने बड़े बड़े कारखाने हैं उन को न दी जाय । उस बिजली का उपयोग कुटीर उद्योगों में हो । गांव गांव में बिजली पहुंचाई जाय जिसमें कृषि के साथ साथ हमारे कृषकों के लिये छोटे छोटे उद्योग धन्धे भी बन सकें । इस लिये यदि हमें लोगों की आर्थिक अवस्था सुधारनी है और अधिभूत की ओर ध्यान देना है तो मैं दो बातें जड़ की मानता हूं, एक तो लघु सिंचाई की योजनायें जो गांव गांव में जायें और दूसरे लघु उद्योग धन्धे ।

अब विरोधी पक्ष से कुछ बातें कही गईं, उन के सम्बन्ध में मैं कुछ संक्षेप में कहना चाहता हूं । कल यहां कहा गया कि कीमतें न बढ़नी चाहियें । मैं कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में बार बार ध्यान खींचा गया है और एक पूरा अध्याय ही इस योजना में इस विषय में है । इस सम्बध में निश्चित बातें सुझाई गई हैं, और वे बातें यह हैं : सरकार को इस समय उन स्थानों से खरीद करनी चहिए जहां भाव गिरते हों । इस से सरकार को कम कीमतों में, सस्ते दामों में अन्न भी मिलेगा और साथ ही ऐसे स्थानों पर खरीद होने से वहां पर जो भाव एकदम घट जाते हैं वे घटेंगे भी नहीं । फिर सरकार को जो अनाज हो उस को ऐसे स्थानों पर भेजने के लिये तैयार रहना चाहिये जहां पर एका एक मंहगाई हो । हमें इस बात का ध्यान रखना है कि न तो भाव इतने बढ़ जायें कि लोगों को मंहगाई के सबब से कष्ट हो और न भाव इतने गिर जायें कि किसानों को उन के उत्पादन का उचित मूल्य न मिल सके । पूरा कंट्रोल तो हो नहीं सकता, उस के बुरे नतीजे हम देख चुके हैं, और न यह हो सकता है कि बिल्कुल किसी तरह का नियंत्रण ही न रक्खा जाय । इस लिये इस योजना में मध्यम मार्ग सुझाया गया है कि न भाव बढ़ने दिये जायेंगे और न अधिक घटने दिये जायेंगे, इस का मैं स्वागत करता हूं । लेकिन कार्य रूप में इस विषय को परिणत करना

[डा० गोविन्द दास]

आसान नहीं है। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय को बहुत सजग रहने की आवश्यकता होगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय के ऊपर इस बात की होगी कि वह इस बात को बराबर देखता रहे कि भाव जरूरत से ज्यादा बढ़ने भी न पायें और जरूरत से ज्यादा घटने भी न पायें।

फिर आर्थिक समानता की बात कही गई। मैं कहना चाहता हूं कि योजना के पहले अध्याय में ही इस विषय में सुझाव हैं। मुख्य सुझाव टैक्सेशन की नीति के सम्बन्ध में है। इस विषय में शहरों में कुछ काम हो रहा है, और शहरों में होना भी चहिये क्योंकि गरीबों से हम बहुत टैक्स वसूल नहीं कर सकते। इनकम टैक्स का जो विधेयक हमारे सामने उपस्थित हुआ है वह आर्थिक असमानता को दूर करने का अवश्य प्रयत्न करेगा। इसी के साथ कम्पनी लॉ में उचित परिवर्तन किया गया है। फिर एक नीति इस योजना में और निश्चित की गई है कि जिन लोगों के पास पहले से बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं उन को नये उद्योग धन्धे डालने के लिये प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। नये उद्योग धन्धे ऐसे लोगों को डालने को दिये जायेंगे जोकि अभी इस क्षेत्र में उतरे नहीं हैं। अतः जो धनवान हैं उनको अधिक धनवान न बनाया जाय, नये नये लोगों को नये नये उद्योग धन्धे दिये जायें जैसाकि इस योजना में कहा गया है।

इसी के साथ आर्थिक असमानता को दूर करने के लिये इस तरह की शिक्षा की भी आवश्यकता होगी, जिस को हम टैकनिकल शिक्षा कहते हैं। इस सम्बन्ध में भी इस योजना में कहा गया है। मैं यह आशा करता हूं कि इस प्रकार के लोगों को हम अपने देश में तैयार कर सकेंगे जो अपनी शिक्षा की बिना पर अपनी रोजी पैदा कर सकें और आर्थिक दृष्टि से स्वयम् उन्नत हो सकें तथा इस देश को उन्नत कर सकें।

बाहरी सहायता पर हमें कम से कम अवलम्बन रखना है। अभी भी हमारी योजनाओं पर अधिकतर रुपया हमारा ही खर्च होता है। आत्म निर्भरता के सम्बन्ध में भी यह योजना बहुत कुछ कहती है, और इस सम्बन्ध में सब से अधिक ध्यान रखना होगा बचत पर। जब हम इस पर ध्यान रखेंगे तो हमें फिजूलखर्ची को रोकना होगा, सादगी को लाना होगा, और इस सम्बन्ध में हमारे यहां जो नेतृत्व है उस के ऊपर सब से बड़ी जिम्मेदारी है। नेता जो कुछ करते हैं जनता उस का अनुसरण करती है। यदि सादगी का जीवन हमारे नेताओं में नहीं आयेगा, हमारे मंत्रियों में नहीं आयेगा, तो हम यह आशा नहीं कर सकते कि सादगी का जीवन हम इस देश में ला सकेंगे। इस लिये यदि हम को इस गरीब देश में आत्म निर्भर होना है, यदि हम को अपनी योजनायें अपने द्रव्य से चलानी हैं, यदि हमें बाहरी अवलम्बन पर निर्भर नहीं रहना है, तो इस बात की आवश्यकता है कि अधिक से अधिक हम अपने घर की फुजूलखर्ची को रोकें और दूसरों से ऐसा करायें। इस के लिये मैं फिर यह कहना चाहता हूं कि सब से बड़ी जिम्मेदारी हमारे नेतृत्व की है। हमारा नेतृत्व जब सादगी मे रहेगा और इस का उदाहरण हमारे सामने उपस्थित करेगा तभी देश उस का अनुसरण कर सकेगा। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा आदर्श हमारे सामने है। क्या गांधी जी इस बात को जानते नहीं थे कि उन के लंगोटी लगा लेने से सारे हिन्दुस्तान को कपड़ा नहीं मिल सकता, क्या वे जानते नहीं थे कि सेवाग्राम में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहने से सारे हिन्दुस्तान के लोगों को मकान नहीं मिल जायेंगे? लेकिन यह सब जानते हुए भी वे देश के सामने एक आदर्श उपस्थित करते थे। इस बारे में आप उन के जीवन को देखिये। हमें एक आदर्श पर चलाने के लिये उन्होंने लंगोटी लगाई। जिस प्रकार वे रहते थे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता था। अध्यक्ष महोदय, कि इस देश में कभी शान व शौकत की पूजा नहीं हुई। इस देश में सदा सादगी की, सादे जीवन की पूजा हुई है। हमारा प्राचीन संस्कृति वाला यह देश समस्त बातों को एक तरफ रख त्याग को प्रमुखता देता

है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि यदि इस योजना को आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों दृष्टियों से सफल करना है तो हमारे नेतृत्व को आगे आना पड़ेगा ।

जैसा मैंने आप से कहा, मैं इस पंचवर्षीय योजना का हृदय से समर्थन करता हूं । ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें दोष न निकाले जा सकें, दोष इस में भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन आवश्यकता है कि दोषों को कम से कम करके जो गुण हों उनको अधिक से अधिक बढ़ा कर हम इस योजना को सफल करें और आध्यात्मिक और आधिभौतिक दोनों दृष्टियों से इस देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करें ।

†**श्री रघुबीर सहाय** (बदायूं) : तीसरी योजना के बारे में जो व्यापक रूपरेखा रखी गई है उससे प्रकट होता है आगामी पांच वर्षों में हमारे देश में किस प्रकार विकास होगा । यह सन्तोष की बात है कि योजना निर्माताओं ने योजना बनाते समय विशाल दृष्टिकोण अपनाया है । यह योजना भी पहली अन्य दो योजनाओं की भांति ग्रामीण जनता को स्थिति सुधारने के बारे में है । उनकी स्थिति सुधारने के लिये सामुदायिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया है । पंचायती राज्य की स्थापना हुई है । सारे देश ने इस पंचायती राज्य कार्यक्रम को अपनाया है । यह सन्तोष की बात है कि कुछ राज्यों में इस कार्यक्रम को और भी आगे बढ़ाया जा रहा है । कुछ राज्यों में इसके बारे में सुसंगत विधान भी बनाये जा रहे हैं । केरल और पश्चिमी बगाल ही कुछ ऐसे राज्य हैं जहां कि इस कार्यक्रम के बारे में कुछ मतभेद है । मेरा निवेदन है कि योजना आयोग तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय का यह कर्तव्य है कि वे इन मतभेदों को दूर करें और उन राज्यों को इस कार्यक्रम को अपनाने के लिये तैयार करें ।

मेरा विचार है कि सामूयिक विकास कार्यक्रम ने जनसाधारण का कोई भला नहीं किया है । लेकिन सौभाग्य को बात है कि योजना आयोग, भारत सरकार तथा सामुदायिक विकास मन्त्रालय इस तथ्य के प्रति सचेत हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम से समाज के कमजोर अंगों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है । और इस त्रुटि को दूर करने के लिये अब कदम उठाये जा रहे हैं । पंचायत समितियों, जिला परिषदों तथा ग्राम पंचायतों को अब अधिक धन दिया जा रहा है ताकि वे समाज के कमजोर अंगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें । श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है और लोगों के हितों की देखभाल करने के लिये उप-समितियां गठित कर दी गई हैं ।

इन पंचायती राज्यों के सम्बन्ध में हमने एक कठिनाई और भी देखी है और वह है कि इन पंचायतों के चुनाव के समय लोगों में जातीय भेदभाव को भावना बढ़ी है तथा आपस में द्वेष की भावना भी बढ़ी है । यहां तक कि दिन दहाड़े लोगों की हत्या कर दी गई है । अनावश्यक मुकदमेबाजी भी बढ़ी है । भ्रष्टाचार भी बढ़ा है । अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन कमियों को दूर किया जाये और ऐसा प्रयत्न किया जाये कि जहां तक सम्भव हो सके ये चुनाव निर्विरोध सम्पन्न हों । निर्विरोध चुनाव तभी सम्भव है जबकि ग्रामवासियों में शिक्षा का प्रचार हो । निर्विरोध चुनाव से पंचायतों का भला ही होगा । राजस्थान में एक समिति ने पंचायती राज्य की कार्य सफलता के बारे में जांच की और इस निष्कर्ष पर वह समिति पहुंची है कि जितनी पंचायत छोटी होगी उतना ही यह सम्भव है कि वहां निर्विरोध चुनाव हो । अतः इस निष्कर्ष से हमें लाभ उठाना चाहिये ।

एक समस्या का समाधान और किया जाना है । कलक्टर की स्थिति एवं दर्जा इन पंचायतों के बारे में क्या होगी । उसका इनके प्रति क्या कर्तव्य होगा इसे भी निश्चय करना होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रघुवीर सहाय]

जहां तक विधान सभाई एवं संसद सदस्यों की बात है कि इन निकायों के प्रति इनका क्या कर्तव्य होगा। यह निर्णय करना भी आवश्यक है। यह प्रसन्नता की बात है राज्य के मन्त्रियों और विकास आयुक्तों ने अपने अधिवेशन में जो अभी हाल में हैदराबाद में हुआ था यह निश्चय किया है कि ये इन निकायों के सदस्य तो हो सकते हैं लेकिन उन्हें मत देने एवं कोई पदग्रहण करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। अतः मेरा निवेदन है कि इसे शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाये।

पंचायती राज्य को सफल बनाने के लिये यह भी आवश्यक है कि सरकारी तथा गैर-सरकारी सभी पदाधिकारियों को ग्राम पंचायत के कारबार के बारे में प्रशिक्षण दिया जाये। ताकि वे कुशलता-पूर्वक कार्य कर सकें।

पंचायत राज्य संस्थाओं के पास पर्याप्त संसाधन होने चाहियें। साथ ही उन्हें अपने संसाधन जुटाने के योग्य भी बनाया जाना चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि हमारी दोनों ही पहली एवं दूसरी योजनाएं काफी सफल रही हैं और देश एवं जनता पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा है। और आशा है कि यह तीसरी योजना भी सफल रहेगी।

†**श्री बालकृष्णन्** (डिंडोगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : पहली और दूसरी दोनों योजनाओं की सफलता के बाद आज हमारे सामने तीसरी योजना की रूपरेखा है। इससे स्पष्ट है कि हम प्रगति पथ पर हैं। योजना का मूलभूत उद्देश्य समाजवादी ढांचे के समाज की स्थापना करना है। यह निश्चय है कि जब तक समाज के कमजोर अंग का सुधार नहीं होगा तब तक योजना की सफलता नहीं हो सकती।

जहां तक अनुसूचित जाति के लोगों की बात है, संविधान में उनको विशेष प्राथमिकता दी गई है किन्तु फिर भी वे अभी तक पिछड़े हैं। वे अब भी अन्य वर्गों की अपेक्षा पिछड़े हैं। यह सब इसलिये हो रहा है कि इनके लिये किसी भी योजना में पर्याप्त धन का आवंटन नहीं किया गया है। पहली योजना में यह राशि ७.८ करोड़ दूसरी में २७.६६ करोड़ थी और तीसरी योजना में ४०.४० करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। अनुसूचित जातियों की साधारण स्थिति सुधारना अत्यन्त आवश्यक है। उनकी आर्थिक दशा का सुधारना आवश्यक है। सरकार बताये कि विभिन्न योजनाओं से हरिजनों को क्या लाभ पहुंचे हैं। यदि अनुसूचित जातियों के लिये कुछ हो रहा है तो वह केवल इसलिये कि संविधान में दस वर्ष तक उन्हें विशेष सुविधाएं दी जाएगी और हम विशेष सुविधा के अन्तर्गत जो राशि निर्धारित की गई है उसी में से उन पर व्यय किया जा रहा है। लेकिन हमें ऐसा प्रयत्न करना है कि इन दस वर्षों के भीतर इतनी स्थिति ऐसी हो जाये कि ये अपने पैरों पर अपने आप खड़े होने लगें। इन विशेष सुविधाओं के समाप्त होने पर क्या होगा। यह मैं नहीं जानता। अतः मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इनको संरक्षण और भी मिलता रहेगा अथवा नहीं। योजना में इस कार्य के लिये बहुत थोड़ी राशि रखी गई है। यह राशि अधिक होनी चाहिये।

यह सन्तोष की बात है कि तीसरी योजना के अन्तर्गत दक्षिण में कुछ नई रेलवे लाइनों के बनाने की ओर ध्यान दिया जायेगा। यह खेद की बात है कि मद्रास में बिजली के भारी संयंत्रों को स्थापित करने की ओर अवहेलना दिखाई गई है। मेरा निवेदन है कि इन संयंत्रों की स्थापना वहां की जानी चाहिये। इन संयंत्रों के लिये मद्रास एक उपयुक्त स्थान है। मद्रास में एक अणु विद्युत् स्टेशन की स्थापना की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामुदायिक विकास कार्यक्रम ठीक से हो रहा है। उन्होंने कम से कम गांवों में पानी, खाने, तथा कपड़ा आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं को जनता तक पहुंचाने में सहायता की है।

जहां तक मद्रास राज्य से इस योजना को सहयोग मिलने की बात है। मैं यह आश्वासन देता हूं कि सरकार को वहां से पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : पंचायती राय तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम निर्माण कार्यक्रम का एक आवश्यक तत्व है।

जहां तक मेरे राज्य की बात है मैं देखता हूं कि पचायत राज वहां ठीक से काम नहीं कर रहा है यही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी यह कार्यक्रम ठीक से नहीं हो रहा है। उसका एक कारण यह है कि इस मामले में विधान में एक रूपता नहीं है जो कि होनी चाहिये आशा है कि सरकार इस दिशा में कुछ करेगी।

मेरा निवेदन है कि दक्षिण में कुछ नई रेलवे लाइनों का बनाया जाना आवश्यक है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगलवार, २२ अगस्त, १९६१
३१ श्रावण, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		१९६९–९४
तारांकित प्रश्न संख्या		
७८३	अन्तरिक्ष उड़ानों से प्राप्त जानकारी की उपलब्धि	१९६९–७०
७८४	राजनैतिक प्रदर्शनों मे छात्रों द्वारा भाग लिया जाना	१९७०–७२
७८५	तेल शोधक कारखानों के लागत प्राक्कलन	१९७२–७४
७८६	तेल की खोज	१९७५
७९८	तेल की खोज	१९७५–७७
७८७	लुब्रिकेटिंग तेल का आयात	१९७७–७८
७८८	मोहिन्दरगढ़ में लोह अयस्क	१९७८–७९
६८६	पीपल्स फ्रेंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को	१९७९–८१
७९०	जासूसी के मामले	१९८१–८३
७९२	जन्न मरण आदि के आंकड़े इकट्ठा करन	१९८३–८४
७९३	भूतपूर्व राजाओं के महलों को खरीदना	१९८४–८६
७९४	जासूसी की गति विधियों को रोकने के लिये सुरक्षा उपाय	१९८६–८८
७९६	पलाई बैंक के खातेदारों को भुगतान	१९८८–९०
७९७	करनूल जिले में हीरों के निक्षेप	१९९०–९१
७९९	तेल शोधक कारखानों के उपोत्पाद	१९९१–९२
८००	हिन्दू धर्मदाय संस्था आयोग की रिपोर्ट	१९९२–९४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		१९९४–२०७८
तारांकित प्रश्न संख्या		
७९१	अमरीकी इस्पात मिशन	१९९४
७९५	अफ्रीकी छात्रों के लिये छात्रवृत्तियां	१९९४
८०१	सशस्त्र बल मुख्यालय का दिल्ली से हटाया जाना	१९९४–९५
८०२	उत्तर पूर्वी सीमान्त अधिकरण में कोयला	१९९५

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या		
८०३	आस्ट्रिया से ऋण	१९९५
८०४	तीसरी योजना अवधि में केरोसीन और डीजल तेल की आवश्यकता	१९९५–९६
८०५	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का परस्पर स्थानातरण	१९९६
८०६	करगली का कोयला धोने का कारखाना	१९९६–९७
८०७	राजनैतिक पीड़ितों के बच्चों को शिक्षा की सुविधायें	१९९७
८०८	कोयला खानों की ऐच्छिक एकीकरण समिति	१९९७
८०९	अंकलेश्वर तेल-क्षेत्र	१९९७–९८
८१०	रूरकेला कारखाने के लिये पश्चिम जर्मन ऋण	१९९८
८११	अश्लील सिनेमा पोस्टरों पर प्रतिबन्ध	१९९८
८१२	राष्ट्रमंडल के छात्रों को भारत में अध्ययन के लिये छात्र वृत्तियां	१९९८–९९
८१३	भारतीय प्रोद्योगिकी संस्था, कानपुर	१९९९
८१४	उत्तरी बिहार में तेल की खोज	१९९९
८१५	सड़कें बनाने के लिये रेगिस्तानी बालू को जमाना	२०००
८१६	तेल का मूल्य	२०००
८१७	अंधों के लिये केन्द्रीय संस्था	२०००–०१
८१८	रूरकेला में इस्पात का कारखाना	२००१
८१९	पूर्वी जर्मनी के विशेषज्ञों द्वारा नेवेली लिग्नाइट का परीक्षण	२००१
८२०	बैंक एण्ड स्टोर्स लि०, पूर्णिया का बन्द होना	२००२
८२१	नेवेली में तापीय बिजली घर	२००२
८२२	रूस के छात्रों को छात्र वृत्तियां	२००२–०३
८२३	अप्रत्यक्ष कर-भार	२००३
८२४	खेल कूद जांच समिति की रिपोर्ट	२००३
८२५	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	२००४
८२६	भिलाई इस्पात कारखाना	२००४–०५
८२७	सिलचर में दंगे	२००५
८२८	विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम	२००५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित
प्रश्न संख्या

८२९ पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद अध्ययन के लिये छात्रवृत्तियां २००६
८३० टेगोर शताब्दी समारोह . . २००६
८३१ लक्ष्मी बैंक के खातेदारों को भुगतान . . २००६–०७
८३२ जिला जल, थल और वायु सेना बोर्ड . . २००७
८३३ बहुप्रयोजनीय स्कूलों के अध्यापकों के लिये क्षेत्रीय कालिज २००७
८३४ विदेशी तेल कम्पनियों में भारतीयों की छंटनी . . २००७–०८
८३५ कलकत्ता क्षेत्र में सेना द्वारा मकानों का गिराया जाना . २००८
८३६ कांगो में भारतीय सेना पर व्यय . . . २००८
८३७ चीनियों द्वारा आकाश सीमा का अतिक्रमण . . २००९
८३८ भारतीय भाषाओं की शब्दावली . . . २००९
८३९ वैज्ञानिकों को योग्यता पदोन्नति २०१०
८४० समुद्र के रास्ते लाये गये कोयले का मूल्य . . २०१०
८४१ विश्वविद्यालयों मे प्रवेश की आयुसीमा . . . २०१०–११
८४२ उड़ीसा खान निगम २०११
८४३ संध्या कालीन कालिज २०१२
८४४ नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य शाला . . . २०१२
८४५ पेट्रोलियम उत्पादकों का मूल्य २०१२
८४६ विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन . २०१३
८४७ तृतीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधियां . . २०१३
८४८ अध्यापकों के लिये त्रि-लाभ योजना . २०१३–१४
८४९ इस्पात कारखानों में समान मजूरी . . . २०१४
८५० दिल्ली में क्रीड़ा गांव . . २०१४
८५१ कलकत्ता का विकास . . . २०१५
८५२ भारतीय कला केन्द्र रूस यात्रा . . . २०१५
८५३ ऐतिहासिक स्मारक २०१५
८५४ लाभ राशि का ब्रिटेन भेजा जाना . . . २०१६
८५५ सैनिक स्कूल २०१६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१९३८ संसद् भवन के पास मोती लाल नेहरू की मूर्ति . . . २०१६–१७
१९३९ केन्टीन स्टोर विभाग (इंडिया) के कर्मचारियों का स्तर . . २०१७
१९४० सोलन में जलाशय २०१७
१९४१ अपाहिज व्यक्ति के संघों को सहायता . . . २०१७–१८
१९४२ सस्ती धातु के सिक्कों का उत्पादन २०१८
१९४३ सनिक स्कूल २०१८–१९
१९४४ महाराष्ट्र में अनुसूचित आदिम जातियों के लिये चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवायें २०१९
१९४५ महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये बहु प्रयोजनीय खण्ड २०१९
१९४६ महाराष्ट्र में स्कूलों में बच्चों के लिये मध्याह्न भोजन . . २०१९
१९४७ महाराष्ट्र में बुनियादी शिक्षा २०२०
१९४८ महाराष्ट्र में बहु प्रयोजनीय स्कूल २०२०
१९४९ महाराष्ट्र में छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये लोहे और इस्पात का कोटा २०२०–२१
१९५० कोयला उत्पादन २०२१
१९५१ अभ्रक की खानें २०२१
१९५२ सूर्य शक्ति का उपयोग २०२१
१९५३ लाहौल और स्पीति में केन्द्र द्वारा चलाई गई योजना . . २०२१–२२
१९५४ इस्पात का उत्पादन २०२२
१९५५ पंजाब में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण २०२२
१९५६ विदेशों में प्रशिक्षण के लिये भारतीय सेना कर्मचारी . . २०२३
१९५७ पंजाब अल्प बचत योजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि . . २०२३
१९५८ संसद् में लाहौल स्पीति के लिये स्थान . . . २०२३
१९५९ रोहतांग दर्रे के ऊपर रज्जु मार्ग . . . २०२३

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

१९६०	बकलोह छावनी में खाली मकान	२०२४
१९६१	पंजाब में बकाया कर	२०२४
१९६२	कांगड़े में भारतीय अस्पताल	२०२४–२५
१९६३	मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें	२०२५
१९६४	बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनायें	२०२५
१९६५	राजस्थान में राजनीतिक पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां	२०२६
१९६६	राजस्थान में अल्प बचत योजना के अन्तर्गत वसूली	२०२६
१९६७	एन्टीबायोटिक्स सम्बन्धी अनुसन्धान	२०२६
१९६८	दिल्ली में अनिधिकृत बस्तियां	२०२७
१९६९	सौराष्ट्र में पवन से बिजली तैयार करने का जेनरेटर	२०२७–२८
१९७०	छपाई उद्योग पर कर की समान दर	२०२८
१९७१	उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का सम्मेलन	२०२८
१९७२	पुनर्बेलन मिलें	२०२९
१९७३	दिल्ली में खुले सिनेमा	२०२९
१९७४	दिल्ली विश्वविद्यालय कैम्पस	२०२९–३०
१९७५	कुवैत में भारतीय मुद्रा	२०३०
१९७६	भारतीय तेल शोधक कारखानों में विदेशी विशेषज्ञ	२०३०
१९७७	कांगो में भारतीय सैनिकों की कार की दुर्घटना	२०३०–३१
१९७८	यूनेस्को के अधीन प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र	२०३१–३२
१९७९	भारतीय प्रशासन सेवा	२०३२
१९८०	राष्ट्रपति के राजभाषा सम्बन्धी आदेश को लागू करना	२०३२
१९८१	केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकीय अनुसंधान संस्था, मैसूर	२०३२–३३
१९८२	सशस्त्र बल मुख्यालय के कर्मचारी	२०३३
१९८३	कानपुर में रेजीडेंशियल यूनिवर्सिटी	२०३३
१९८४	आम हड़ताल में सम्मिलित हुये कर्मचारियों के मामलों का पुनरावलोकन	२०३४
१९८५	आम हड़ताल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों का शामिल होना	२०३४
१९८६	कानपुर की हारनैस और सडलरी फेक्टरी में जूते बनाने का संयंत्र	२०३४–३५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्नसंख्या

१९८७ कानपुर में आय, धन और दान करों की बकाया राशियां . २०३५
१९८८ उत्तर प्रदेश में कोयले और कोक का संभरण . २०३५
१९८९ प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के संघों को मान्यता . २०३५-३६
१९९० ५०५ आर्मी बेस वर्कशाप . . २०३६
१९९१ सेना इंजीनियरिंग (एस० ई० एस०) के कर्मचारी . . २०३६-३७
१९९२ दार्जिलिंग में ऊंचाई पर चिड़ियाघर . . २०३७-३८
१९९३ प्रादेशिक इंजीनियरिंग विद्यालयों में भर्ती . २०३८
१९९४ पर्वतारोहण २०३८
१९९५ मद्रास में व्यायाम शिक्षा संगठनों को सहायता . २०३९
१९९६ कोलार और हट्टी की सोने की खानें . . २०३९
१९९७ बिक्री कर . . . २०३९-४०
१९९८ मेंगनीज समिति की रिपोर्ट . . . २०४०
१९९९ तस्कर व्यापार २०४०
२००० अखिल भारतीय विनियोजन केन्द्र . . २०४०-४१
२००१ उड़ीसा में श्रम और समाज कल्याण शिविर . . २०४१
२००२ रत्नागिरि जिले में चोरी छिपे लाई गई लौंगों का पकड़ा जाना . २०४२
२००३ सुन्दर नगर, दिल्ली में हत्या . . २०४२
२००४ डोलोमाइट २०४३
२००५ बरौनी तेल शोधक कारखाने में चिकनाई के तेलों का उत्पादन २०४३
२००६ क्वार्टजाइट निक्षेप . . . २०४३-४४
२००७ हिमाचल प्रदेश प्रसाशन के अधिकारी . . २०४४
२००८ मनीपुर प्रशासन के अधिकारी २०४४
२००९ त्रिपुरा प्रशासन के अधिकारी . . . २०४५
२०१० पानागढ़ में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये परिवहन सुविधायें २०४५
२०११ दिल्ली की कृष्ण पार्क बस्ती . . २०४६
२०१२ असैनिक प्रतिरक्षा कर्मचारियों का स्थायी बनाया जाना २०४६-४७
२०१३ त्रिपुरा का शिक्षा निदेशालय . . २०४७
२०१४ मद्रास में कावेरी बेसिन में तेल २०४७
२०१५ विद्युत चालित करघों पर बने कपड़ों पर उत्पादन शुल्क . २०४७-४८

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२०१६	त्रिपुरा में तूफान से पीड़ित व्यक्ति . . .	२०४८
२०१७	शौलापुर की ओल्ड मिल से आयकर की बकाया राशि .	२०४८
२०१८	त्रिपुरा के स्कूलों में मनीपुरी विद्यार्थी .	२०४८–४९
२०१९	त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन में पुनर्वास .	२०४९
२०२०	त्रिपुरा के कमालपुर डिवीजन में खास भूमि .	२०४९–५०
२०२१	औद्योगिक वित्त निगम	२०५०
२०२२	मनीपुर में बहुप्रयोजनीय स्कूल	२०५०–५१
२०२३	मनीपुर में प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट . . .	२०५१
२०२४	मनीपुर के तेगंनौपाल सब-डिवीजन में आदिम जातीय कल्याण .	२०५१
२०२५	तेल समन्वेषण के लिये विदेशी सहयोग . .	२०५१–५२
२०२६	प्रामाणिक पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण . . .	२०५२–५३
२०२७	पारिभाषिक शब्दों के हिन्दी पर्याय . . .	२०५३
२०२८	भारतीय दूतावासों में हिन्दी	२०५३–५४
२०२९	अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा गोष्ठी की कार्यवाही . .	२०५४
२०३०	हिन्दी जानने वाले कर्मचारी . . .	२०५४
२०३१	बीमा कम्पनियों के लाभांश . . .	२०५४
२०३२	दिल्ली में आत्महत्यायें . . .	२०५५
३०३३	विभिन्न संगठनों को सरकारी अनुदान . .	२०५५–५६
२०३४	विश्वविद्यालय अनुसन्धान छात्रवृत्ति योजना . .	२०५६
२०३५	डा० सुजुकी की भारत यात्रा	२०५६–५७
२०३६	प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के डिप्लोमाधारी व्यक्ति .	२०५७
२०३७	स्कूल के बच्चों को मध्यान्ह योजना . . .	२०५७
२०३८	शिक्षा तथा व्यवसायिक मार्ग दर्शन पाठ्यक्रम .	२०५७
२०३९	केरल के लिये इस्पात	२०५८
२०४०	भूतपूर्व राज्यों की निजी थैलियां . .	२०५८–५९
२०४१	विदेशी विश्वविद्यालय की डाक्टर की डिग्री . .	२०५९
२०४२	कछार के दंगे	२०५९
२०४३	अपीलीय सहायक आयुक्तों के समक्ष लम्बित अपीलें . .	२०५९
२०४४	भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान . .	२०६०

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित प्रश्न संख्या

२०४५ आसवान बांध के स्थान पर पुरातत्वयीय खुदायी २०६०—६१

२०४६ विदेशी अधिनियम २०६१

२०४७ रुड़की विश्वविद्यालय में अफ्रीकी-एशियाई जल संसाधन विकास केन्द्र में विदेशी प्रशिक्षार्थी . . . २०६१

२०४८ भारत के सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्र दल . . २०६१—६२

२०४९ कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा से सहायता २०६२

२०५० पंजाब में रक्षित स्मारकों को बाढ़ से क्षति २०६२

२०५१ पंजाब में शिक्षित बेरोजगारों को सहायता . . २०६२

२०५२ पंजाब में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कृषि बस्तियां . . . . . २०६२—६३

२०५३ महाराष्ट्र के लिये जस्ता चढ़ी लोहे की चादरें २०६३

२०५४ तस्कर व्यापारी . . . . . २०६३—६४

२०५५ त्रिपुरा में बाढ़ २०६४

२०५६ मध्य प्रदेश में अफीम की खेती को क्षति . . २०६४

२०५७ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् . . . . . २०६४—६५

२०५८ लाहौल और स्पीति को भूतत्वीय सर्वेक्षण . . २०६५

२०५९ त्रिपुरा में बाढ़ . २०६५

३०६० त्रिपुरा में भूमि की हस्तांतरण २०६६

२०६१ मसूर के असरकारी कर्मचारियों द्वारा महाराष्ट्र में स्थानांतरण की अपीलें २०६६

२०६२ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित सरकारी संकल्प २०६७

२०६३ विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशन २०६७

२०६४ केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण स्कूल, माउंट आबू . . २०६७

२०६५ सीनियर बेसिक स्कूल, चेबड़ी बाजार, त्रिपुरा . . २०६८

२०६६ उड़ीसा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण २०६८

२०६७ दिल्ली में उद्योगपतियों के लिये भूमि . . २०६९

२०६८ दिल्ली प्रशासन में हिन्दी का प्रयोग . . . २०६९

२०६९ दिल्ली की सरकारी कर्माचारियों की बस्तियों की केन्द्रीय समिति द्वारा ज्ञापन २०७०

२०७० अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम की कार्यान्विति २०७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः	
अतारांकित	
प्रश्न संख्या	
२०७१ रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये पुर्जे	२०७१
२०७२ विदेशों को ऋण	२०७१—७२
२०७३ पेट्रोल की खपत	२०७२
२०७४ अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	२०७२
२०७५ रामपुर में विश्वविद्यालय	२०७२—७३
२०७६ दिल्ली में आकास में चमकदार सफेद वस्तु	२०७३
२०७७ डिग्री कालेजों आदि के अध्यापकों के वेतन क्रम	२०७३
२०७८ बीकानेर में तेल	२०७४
२०७९ इनामी बांड योजना से लाभ	२०७४
२०८० क्लर्क ग्रेड परीक्षा	२०७४
२०८१ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिये साइकिलें	२०७५
२०८२ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वृत्तिकाएँ	२०७५
२०८३ दिल्ली में सरकारी स्कूल	२०७५—७६
२०८४ अजन्ता में काम	२०७६
२०८५ जम्मू तथा काश्मीर को विदेशी मुद्रा का आवंटन	२०७६—७६
२०८६ भूतपूर्व भारतीय राज्यों के राजाओं का पाकिस्तान चले जाना	२०७७
२०८७ हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर भत्ता	२०७७—७८
२०८८ विदेशी मुद्रा की स्वीकृति	२०७८
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	२०७८—७९
यमुना बांध का टूटना ।	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२०७९—८०
श्री हेम बरूआ ने खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल के कथित उत्पादन की ओर इस्पात, खान और ईंधन मंत्री का ध्यान दिलाया । खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२०८०—८१
(१) दूसरी लोक-सभा के तेरहवें अधिवेशन, १९६१ में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न अश्वासनों, वचनों और प्रतिज्ञाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले अनुपूरक विवरण संख्या ५ की एक प्रति ।	
(२) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, १९५९ की धारा ३१ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक १२ अगस्त, १९६१ की अधिसूचना	

संख्या जी० एस० आर० १०२८ में प्रकाशित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (प्रथम संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनायों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १० जून, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६८ में प्रकाशित भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियम, १९६१

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६४ .

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची संख्या ३ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ जुलाई, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ९६५ .

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . २०८०

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया

याचिका—उपस्थापित २०८१

श्री स० मो० बनर्जी ने मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के सम्बन्ध में १४०५ व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . . . २०८१—२११३

२१-८-६१ को तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक) के बारे में कार्यावलि

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा

GMGIPND—LS III—1173 (Ai) LSD—23-9-61—125.